सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय महिला आयोग

वार्षिक रिपोर्ट

2022-2023

वार्षिक रिपोर्ट
2022-2023

राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लॉट नंबर 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया,
नई दिल्ली-110025
http://www.ncw.nic.in

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ
	प्राक्कथन	v-vi
अध्याय -1	पृष्ठभूमि	1-4
अध्याय -2	शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ	5-8
अध्याय -3	अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित समस्याएँ	9-10
अध्याय -4	घटनाओं/मामलों का स्वत: संज्ञान	11-15
अध्याय -5	24X7 हेल्पलाइन	16-17
अध्याय -6	नीति, निगरानी और अनुसंधान प्रकोष्ठ	18-37
अध्याय -7	पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहल	38-42
अध्याय -8	महिला कल्याण एवं क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ	43-49
अध्याय -9	नई पहल प्रकोष्ठ	50-53
अध्याय -10	जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख प्रकोष्ठ	54-59
अध्याय -11	मानव-तस्करी निवारण प्रकोष्ठ	60-62
अध्याय -12	महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ	63-66
अध्याय -13	जेलों, हिरासत गृहों और मनोरोग संस्थाएं तथा आश्रय गृह	67-71
अध्याय -14	विधि समीक्षा और कानूनी जागरूकता	72-75
अध्याय -15	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग	76-77
अध्याय -16	मीडिया एवं जनता तक पहुँच (आउटरीच) - संबंधित कार्यक्रम	78-79
अध्याय -17	यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र	80
अध्याय -18	सूचना का अधिकार	81-82
अध्याय -19	सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	83-84
अध्याय -20	वार्षिक लेखा 2022-23	87-129
अध्याय -21	लेखारीक्षा रिपोर्ट	131-135
	अनुलग्नक	
अनुलग्नक -I	आयोग की संरचना	136
अनुलग्नक -II	आयोग का संगठनात्मक चार्ट	137
अनुलग्नक -III	2022-23 के दौरान आयोग द्वारा विचारित प्रमुख निर्णय/ मामले	138-139
अनुलग्नक -IV	2022-23 के दौरान वित्त पोषित सेमिनार	140-141
अनुलग्नक -V	2022-23 के दौरान आयोग की ओर से वित्तीय सहायता प्राप्त शोध अध्ययन	142-143
अनुलग्नक -VI	2022-23 के दौरान वित्त पोषित विशेष शोध अध्ययन	144
	संग्रहित फोटो	145-161

Rekha Sharma
Chairperson
Tel. : 011-26944808
Fax :011-26944771

भारत सरकार
राष्ट्रीय महिला आयोग
प्लाट नं. 21, जसोला इंस्टीट्यूशनल एरिया
एफ.सी.-33, नई दिल्ली-110 025

Government of India
National Commission for Women
Plot No. 21, Fc-33, Jasola
Institutional Area, New Delhi-110 025
Website : www.ncw.nic.in
E-mail : chairperson-ncw@nic.in
sharma.rekha@gov.in

प्राक्कथन

वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, जो दर्शाती है कि आयोग, अपने विभिन्न प्रयासों द्वारा देश में महिलाओं के अधिकारों को सशक्त बनाने और उनकी रक्षा करने की दिशा में काम कर रहा है और केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, राज्य महिला आयोगों और पुलिस अधिकारियों आदि के साथ मिलकर महिला सुरक्षा, लैंगिक समानता और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

आयोग महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन का सुझाव देकर, महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों की घटनाओं का स्वत: संज्ञान लेकर, महिलाओं के प्रति भेदभाव और अत्याचारों से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों की जांच के लिए पूछताछ और क्षेत्रीय दौरे तथा महिलाओं के ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि के लिए कई क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, आयोग ने कानून की समीक्षा की, मानव तस्करी निवारण प्रकोष्ठ की शुरुआत की, आपदाग्रस्त महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर चालू रखा और विभिन्न हितधारकों के साथ विभिन्न सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए।

महिलाओं से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए संबंधित राज्यों और प्राधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से कार्रवाई की जाती है। विदेश मंत्रालय, विदेशों में भारतीय मिशन, राज्य पुलिस एजेंसियों आदि के सहयोग से, आयोग अनिवासी भारतीय विवाह से जुड़े महिलाओं के मुद्दों का समाधान करने में भी सहायता कर रहा है।

ग्राम पंचायतों से लेकर महिला सांसदों और राष्ट्रीय/राज्यीय राजनीतिक दलों के कार्यकारी सदस्यों सहित राजनीतिक कार्यकर्ताओं तक सभी स्तरों पर महिला राजनीतिक नेताओं के नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग एक अखिल भारतीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम **"शी इज़ ए चेंजमेकर"** आयोजित कर रहा है।

आयोग ने महिलाओं को स्वतंत्र और रोजगार के लिए तैयार करने के प्रयास में महिला स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को श्रम बाजार के लिए तैयार करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम शुरू किया है, साथ ही ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने के प्रयास में डेयरी फार्मिंग और संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं को कुशल बनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी पहल की है।

आयोग ने किसी को भी पीछे न छोड़ने के इरादे के साथ, "यौनकर्मियों के लिए सम्मान के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ" विषय पर परामर्श का आयोजन किया और भारत में ट्रांस-महिला समुदाय के व्यक्तियों के साथ जुड़े कलंक को जन्म देने वाली गलत धारणाओं के समाधान एवं समाज में उनकी स्वीकार्यता और भागीदारी के संबंध में बातचीत शुरू करते हुए आधे दिन के परामर्श का भी आयोजन किया।

राष्ट्रीय कानूनी सेवाओं (National Legal Services) के सहयोग से जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए एक 'अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम' शुरू किया गया, जिसमें तालुका स्तर पर महिलाओं के लिए बुनियादी कानूनी अधिकारों और महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत प्रदान किए गए उपायों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित किए गए ताकि उन्हें वास्तविक जीवन स्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जा सके।

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा राज्य महिला आयोगों के साथ परस्पर-संवादी (इंटरैक्टिव) बैठकें आयोजित की जाती हैं, जिससे राज्य महिला आयोगों के साथ उनकी नेटवर्किंग-प्रक्रिया मजबूत होती है और एक-दूसरे के अनुभवों से लाभ मिलता है और देश भर में महिलाओं की बेहतरी के लिए एक एकजुट इकाई के रूप में मिलकर काम किया जाता है। वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य महिला आयोगों के साथ 04 परस्पर-संवादी (इंटरैक्टिव) बैठकें आयोजित की हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने 31 वें स्थापना दिवस के अवसर पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जिसका उद्देश्य **"सशक्त नारी, सशक्त भारत"** के नाम से उन सभी महिलाओं की कहानियों को याद करना था जिन्होंने अपने उत्कृष्ट कार्यों से विभिन्न क्षेत्रों में अभिन्न छाप छोड़ी है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस अवसर पर उपस्थित थीं। इस अवसर पर माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी ने आयोग की जर्नी बुक **"सशक्त नारी, सशक्त भारत"** का विमोचन किया और पहली प्रति माननीय राष्ट्रपति को भेंट की।

आयोग ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अथक प्रयास किए हैं। हमारा दृढ़ निश्चय है कि समाज के रूप में अपना दायित्व समझते हुए महिलाओं को समकक्ष लाने का प्रयास हम तब तक जारी रखेंगे जब तक सभी महिलाओं को स्वतंत्र एवं समान जीवन की सुविधा नहीं मिल जाती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय महिला आयोग इस दिशा में निरन्तर अग्रसर रहेगा।

(रेखा शर्मा)

अध्याय -1

परिचय

1.1 भारत का संविधान देश के सभी नागरिकों को इतना सशक्त बनाना चाहता है कि उन्हें अपनी क्षमता का ज्ञान हो। यह लैंगिक एवं अन्य मतभेदों के बावजूद समानता और समान अवसर की गारंटी देकर प्रत्येक नागरिक के लिए अनुकूल सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक माहौल बनाने का लक्ष्य रखता है।

1.2 राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अनुसरण में, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31जनवरी,1992 को महिलाओं के अधिकारों और हितों को सुरक्षित रखने और उनमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। आयोग को अधिदेश है कि संविधान और अन्य कानूनों के तहत महिलाओं को प्रदान किए गए कानूनी सुरक्षा उपायों की जाँच और परीक्षण करे एवं उनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश सरकार से करे।

1.3 आयोग को महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनों के वर्तमान प्रावधानों की समीक्षा करने और उनमें किसी भी प्रकार के अंतराल, अपर्याप्तता या कमियों को पूरा करने के लिए संशोधनों की सिफारिश करने, महिलाओं की शिकायतों पर गौर कर उनके लिए बनाए गए अधिकारों की अवहेलना आदि से संबंधित मामलों पर स्वत: संज्ञान लेने और मुद्दों के अनुरूप उचित अधिकारियों के साथ संपर्क कर उनका समाधान करने, महिलाओं के सामयिक/प्रासंगिक मुद्दों पर शोध अध्ययन, पुलिस अधिकारियों के लिए लिंग संवेदीकरण, महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बन रही योजनाओं की प्रक्रिया में सहभागिता और परामर्श, महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन, जेल, रिमांड होम आदि जहां महिलाओं को रखा जाता का निरीक्षण एवं आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई आदि जैसे कार्यो का अधिदेश प्राप्त है। इस प्रकार, आयोग को महिलाओं की परेशानियों को दूर करने और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए गतिविधियों, कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों को डिजाइन करने, लागू करने और निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1.4 किसी देश के विकास के लिए आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारीआवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 में आयोग के कार्यों को निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया है:

i. महिलाओं के लिए तैयार किए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन और निगरानी;

ii. मौजूदा विधानों की समीक्षा करना और जहां कहीं आवश्यक हो, संशोधन का सुझाव देना;

iii. असहाय महिलाओं के अधिकारों की अवहेलना के मामलों में उन्हें कानूनी सहायता देने या अन्य किसी प्रकार से सहायता देने के लिए उन मामलों का स्वत: संज्ञान लेना;

iv. महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानूनों के उचित कार्यान्वयन की निगरानी करना ताकि वे जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता प्राप्त कर सकें और राष्ट्र के विकास में समान भागीदारी कर सकें; तथा

v. महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में प्रचार और शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देना और उसमें भाग लेना और सलाह देना।

1.5 आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्यों और एक सदस्य सचिव का समावेश किया गया है। आयोग की संरचना **अनुलग्नक-I** में दी गई है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष है। आयोग के कार्यों में हाथ बँटाने का कार्य सचिवालय द्वारा किया जाता है, साथ ही आयोग को उसके दैनिक कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के लिए आयोग में समन्वयन, सूचना का अधिकार(RTI), सूचना प्रौद्योगिकी (IT), राजभाषा, जनसंपर्क आदि प्रशासनिक मामलों से संबंधित दिन-प्रतिदिन के कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने का कार्य अनुभागों/इकाईयों द्वारा किया जाता है । महिलाओं से जुड़े मामलों को समझने और सुलझाने के लिए आयोग में निम्नलिखित प्रकोष्ठों की स्थापना की गई हैं:-

i. शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ

ii. अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ

iii. नीति, निगरानी और अनुसंधान प्रकोष्ठ

iv. क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ

v. महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ

vi. स्वत: संज्ञान प्रकोष्ठ

vii. पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ

viii. मनोरोग गृह/संरक्षण सुधार गृह प्रकोष्ठ

ix. विधिक प्रकोष्ठ

x. सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ

xi. 24x7 हेल्पलाइन प्रकोष्ठ

xii. नई पहल प्रकोष्ठ

xiii. जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख प्रकोष्ठ

xiv. राजभाषा प्रकोष्ठ

xv. मानव तस्करी निवारण प्रकोष्ठ

1.6 वर्तमान में, प्रकोष्ठों में अधिकांश विशेषज्ञ कर्मियों की नियुक्ति संविदात्मक और बाहरी माध्यम (आउटसोर्स आधार पर) से की गई है, इनमें से कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किए गये हैं। आयोग का संगठनात्मक चार्ट **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

1.7 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने कई मामलों पर विचार किया। आयोग द्वारा की गई बैठकों और लिए गए प्रमुख निर्णयों का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

1.8. राष्ट्रीय महिला आयोग ने 31 जनवरी, 2023 को अपने 31वें स्थापना दिवस के अवसर पर दो दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जिसका उद्देश्य **"सशक्त नारी, सशक्त भारत"** के नाम से उन सभी महिलाओं की कहानियों को याद करना था जिन्होंने अपने पसंदीदा क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों से अमिट छाप छोड़ी है। भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई, जिसमें माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी ने आयोग की जर्नी बुक "सशक्त नारी, सशक्त भारत" का विमोचन किया और पहली प्रति माननीय राष्ट्रपति को भेंट की।

1.9 राजनीतिक-महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम - "शी इज़ ए चेंजमेकर": अधिदेश के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला राजनीतिक नेताओं की क्षमताओं और कौशल के विकास में मदद करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया ताकि वे जमीनी स्तर पर प्रभावी परिवर्तन निर्माताओं के रूप में उभर पाएँ। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 57 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये तथा 1835 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया।

1.10 **राज्य महिला आयोगों के साथ गतिविधियाँ:** राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य महिला आयोगों के साथ चार परस्पर-संवादी (इंटरैक्टिव) बैठकें आयोजित की।

1.11 **"मानव तस्करी निवारण जागरूकता" पर सेमिनार:** मानव तस्करी के मामलों को सुलझाने में प्रभावशीलता के साथ-साथ देश भर में मानव तस्करी निवारण इकाईयों में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की सुविधा के लिए, राज्यों एवं केन्द्र की कानून प्रवर्तन मशीनरी को और मजबूत और संवेदनशील बनाने के लिए आयोग ने 2 अप्रैल 2022 को मानव तस्करी निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की।

1.12 **कानून की समीक्षा हेतु परामर्श:** राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से संबंधित कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए धारा 10 (1) (डी) के तहत अधिदेश के अनुसरण में, मातृत्व लाभ अधिनियम 1861 और 2017 संशोधन वर्ष के दौरान "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005", "पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984", "मुस्लिम महिलाओं के अधिकार - मुस्लिम पर्सनल लॉ" पर कानूनी समीक्षा हेतु परामर्श आयोजित किया। इन परामर्शों के माध्यम से, आयोग ने संशोधनों के लिए विशिष्ट सिफारिशें तैयार करने और कानून की पहुंच बढ़ाने के लिए इन अधिनियमों पर फिर से विचार करने के लिए देश भर से हितधारकों के विचार, सुझाव और राय लेने का प्रयास किया।

1.13 **अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023:** अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और हिंसा और महिलाओं के खिलाफ दुर्व्यवहार के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रॉयल एनफील्ड (आयशर मोटर्स लिमिटेड) के सहयोग से एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इस पहल के तहत, दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे और बैंगलोर के चयनित स्थानों में महिला सुरक्षा जागरूकता यात्रा निकाली गई।

1.14 राष्ट्रीय महिला आयोग ने पंजाब विश्वविद्यालय के सहयोग से **"अनिवासी भारतीय विवाह- क्या करें और क्या न करें**-आगे बढ़ने का रास्ता" पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। अनिवासी भारतीय वैवाहिक मुद्दों पर पंजाब के 14 जिलों में जागरूकता अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

1.15 **घटनाओं/मामलों का स्वत: संज्ञान:** वर्ष 2022-23 के दौरान, राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया रिपोर्टों, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बने महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन और अधिनियमित कानूनों के गैर-क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के आधार पर 317 मामलों का स्वत: संज्ञान लिया। 16 मामलों में आयोग ने जाँच समिति/तथ्यान्वेषी दल का गठन किया।

1.16 **स्वच्छता अभियान 2.0:** सरकारी दिशानिर्देशों के अनुरूप आयोग में स्वच्छता अभियान 2.0 चलाया गया। कार्यालय परिसर और उसके आसपास सफाई अभियान चलाने के अलावा, आयोग द्वारा लगभग 6000 मामलों/ फ़ाइलों की छंटनी की गई।

1.17 **आयोग में राजभाषा-प्रगति:** वर्ष 2022-23 के दौरान, राष्ट्रीय महिला आयोग ने आधिकारिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 एवं समय-समय पर राजभाषा विभाग के विभिन्न आदेशों/निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास जारी रखे। आयोग ने संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए सक्रिय कदम उठाए और आधिकारिक कामकाज में हिंदी के उपयोग को बढ़ाया।

1.18. कुल मिलाकर, अपने अधिदेश को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2022-2023 के दौरान आयोग द्वारा कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

*****

अध्याय -2

शिकायत एवं जाँच प्रकोष्ठ

2.1 रा.म.आ के महत्वपूर्ण अधिदेशों में सबसे महत्वपूर्ण है महिलाओं की परेशानियों और शिकायतों का समाधान। इस दृष्टि से आयोग ने प्राप्त शिकायतों के निपटान के लिए पिछले कुछ वर्षों में मजबूत प्रणाली विकसित की है।

2.2 आयोग ने अपने अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम किया है। वर्ष 2022-2023 के दौरान आयोग ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में बढ़ोत्तरी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न गतिविधियाँ जारी रखीं। आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और अधिकारियों ने राज्य महिला आयोगों और शैक्षणिक संस्थानों आदि के सहयोग से आयोग द्वारा आयोजित बैठकों/संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/जन सुनवाई और अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। आयोग द्वारा महिलाओं पर हुए कथित अत्याचारों के विभिन्न मामलों की जाँच की गई है और कई मामलों में प्रभावित महिलाओं को तत्काल राहत प्रदान की गई है। महिलाओं को अधिकारों से वंचित किए जाने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित कानूनों को लागू न करने से संबंधित कष्टों और शिकायतों का निवारण आयोग द्वारा की जाने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। शिकायतें लिखित रूप में या ऑनलाइन मोड www.ncw.nic.in के माध्यम से प्राप्त होती हैं। शिकायतों पर कार्रवाई/ कानूनी प्रक्रिया के समय आयोग राज्य पुलिस प्राधिकरणों, राज्य महिला आयोगों, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के साथ अपने सहयोग का लाभ उठाता है।

2.3. अधिदेश के अंतर्गत शिकायतों का निवारण

वर्ष 2022-2023 के दौरान आयोग द्वारा दर्ज शिकायतों का प्रकृति-वार और राज्य-वार वितरण निम्नानुसार है:

(i) 2022-2023 के दौरान प्राप्त शिकायतों का प्रकृति-वार विवरण

क्र.सं.	प्रकृति	कुल
1	एसिड हमला	11
2	द्विविवाह / बहुविवाह	215
3	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	840
4	महिलाओं को मातृत्व लाभ देने से इन्कार करना	90
5	दहेज हत्या	347
6	महिलाओं को नि:शुल्क कानूनी सहायता	38
7	लैंगिक भेदभाव, शिक्षा एवं कार्य में समान अधिकार सहित	27
8	विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न	4534
9	महिला का अश्लील रूपण चित्रण	9
10	महिलाओं का शील भंग /छेड़-छाड़ करना	2666
11	महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता	1496
12	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण	6916
13	बलात्कार/ बलात्कार का प्रयास	1723
14	अपनी पसंद से विवाह का अधिकार/प्रतिष्ठा हेतु अपराध	426
15	गरिमा के साथ जीने का अधिकार	9596
16	लिंग चयनित गर्भपात; मादा भ्रूण हत्या/गर्भवती महिला के गर्भाशय की जाँच	9
17	यौन हमला	174
18	यौन- उत्पीड़न	884
19	कार्यस्थल में महिलाओं का यौन- उत्पीड़न	298
20	पीछा करना/बुरी नजर से देखना	330
21	सती प्रथा, देवदासी प्रथा और विच हंटिग जैसी अपमानजनक परंपरागत प्रथाएं	8
22	महिलाओं की तस्करी/वेश्यावृत्ति	55
23	विवाह-विच्छेद की स्थिति में महिलाओं को संतान- संरक्षण का अधिकार	1
	कुल	30693

(ii) वर्ष 2022-2023 के दौरान प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा

क्रमांक	राज्य	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	7
2	आंध्र प्रदेश	185

क्रमांक	राज्य	कुल
3	अरुणाचल प्रदेश	4
4	असम	122
5	बिहार	1360
6	चंडीगढ़	61
7	छत्तीसगढ़	168
8	दादर नगर हवेली	5
9	दमन एवं द्वीप	1
10	दिल्ली	2822
11	गोवा	16
12	गुजरात	221
13	हरियाणा	1291
14	हिमाचल प्रदेश	89
15	जम्मू एवं कश्मीर	140
16	झारखंड	369
17	कर्नाटक	524
18	केरल	149
19	मध्य प्रदेश	1162
20	महाराष्ट्र	1336
21	मणिपुर	6
22	मेघालय	3
23	नागालैंड	3
24	ओड़िशा	159
25	पांडिचेरी	16
26	पंजाब	472
27	राजस्थान	1003
28	सिक्किम	4
29	तमिलनाडु	645
30	तेलंगाना	235
31	त्रिपुरा	16
32	उत्तर प्रदेश	17048
33	उत्तराखंड	436
34	पश्चिम बंगाल	615
	कुल	**30693**

(iii) शीर्ष दस श्रेणियाँ जिनके अंतर्गत शिकायतें दर्ज की गई

क्रमांक	प्रकृति	कुल
1	गरिमा के साथ जीने का अधिकार	9596
2	घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण	6916
3	विवाहित महिलाओं का उत्पीड़न/दहेज उत्पीड़न	4534
4	महिलाओं का शील भंग /छेड़-छाड़ करना	2666
5	बलात्कार/ बलात्कार का प्रयास	1723
6	महिलाओं के प्रति पुलिस की उदासीनता	1496
7	यौन- उत्पीड़न	884
8	महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध	840
9	अपनी पसंद से विवाह का अधिकार/ प्रतिष्ठा हेतु अपराध	426
10	दहेज हत्या	347

(iv) सबसे अधिक शिकायतों वाले शीर्ष दस राज्य:

क्रमांक	प्रकृति	कुल
1	उत्तर प्रदेश	17048
2	दिल्ली	2822
3	बिहार	1360
4	महाराष्ट्र	1336
5	हरियाणा	1291
6	मध्य प्रदेश	1162
7	राजस्थान	1003
8	तमिलनाडु	645
9	पश्चिम बंगाल	615
10	कर्नाटक	524

2.4 महिला जन-सुनवाई

शिकायतों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य/जिला पुलिस अधिकारियों के सहयोग से एक प्रायोगिक परियोजना "महिला जन-सुनवाई" शुरू की। इस वर्ष के दौरान आयोग ने तिरुवनंतपुरम, लुधियाना और एर्णाकुलम में 03 महिला जन-सुनवाई का आयोजन किया है।

*****

अध्याय -3

अनिवासी भारतीय विवाह से संबंधित समस्याएँ

3.1 अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ को अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के विवाहों से संबंधित मुद्दों पर देश भर से और विदेश में रहने वालों की ओर से शिकायतें प्राप्त होती हैं, जो मुख्य रूप से घरेलू हिंसा, परित्याग, दहेज की मांग, प्रतिवादी के देश छोड़ने की आशंका, पति और ससुराल वालों द्वारा पासपोर्ट जब्ती, बाल-अभिरक्षा के मुद्दों, विदेश मंत्रालय की योजना के तहत वित्तीय और कानूनी सहायता, रखरखाव, विदेश में दस्तावेजों से जुड़ी सेवा, पति का पता नहीं होना और विदेश में पति के साथ रहने में पत्नी की अक्षमता आदि से संबंधित हैं।

3.2 राष्ट्रीय महिला आयोग, अनिवासी भारतीयों के वैवाहिक मुद्दों का समाधान करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों के प्रति बड़े पैमाने पर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है। पीड़ित महिलाओं द्वारा शुरू की गई कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया को विभिन्न हितधारकों के समन्वय से तेज किया जाता है और संबंधित पुलिस विभाग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भारतीय दूतावास और विदेशों में मिशनों, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी (विदेश मंत्रालय) के प्राधिकारियों से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी जाती है। अवधि के दौरान, संबंधित अधिकारियों और अन्य को लगभग 3180 पत्र जारी किए गए हैं।

3.3 शिकायतकर्ताओं/पीड़ितों द्वारा व्यक्तिगत रूप से आयोग से संपर्क करने पर कानूनी प्रोफेशनल्स और परामर्शदाताओं द्वारा मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और कानूनी परामर्श भी प्रदान किया जाता है और मामलों से निपटने के दौरान अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ द्वारा किए गए कार्यों से भी अवगत करवाया जाता हैं। अनिवासी प्रकोष्ठ द्वारा दैनिक आधार पर प्राप्त टेलीफोनिक परामर्श के अलावा, लगभग 50 वॉक-इन शिकायतों पर परामर्श दिया गया है।

3.4 संबंधित अधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई या पक्षों के बीच सुलह के संबंध में आवश्यक हस्तक्षेप के लिए आयोग के साथ पंजीकृत मामलों में भी सुनवाई की जाती है। इस दौरान करीब 15 मामलों की सुनवाई की गयी।

3.5 आयोग का अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ व्यापक जन जागरूकता पैदा करने और अनिवासी भारतीय विवाहों से संबंधित विभिन्न मुद्दों के कारण प्रभावित भारतीय महिलाओं के लिए उपलब्ध कानूनी उपायों की प्रभावशीलता पर विचार-विमर्श शुरू करने के लिए समय-समय पर कार्यक्रम/सेमिनार और परामर्श/बैठकें भी आयोजित करता है। इस अवधि के दौरान, अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ ने कानून और अधिकार क्षेत्र के संघर्ष के कारण पीड़ित महिलाओं को पर्याप्त राहत पाने में आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए थे-

3.5.1 1 जून, 2022 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 'अनिवासी भारतीय विवाह में परित्यक्त भारतीय महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय तक पहुँच - नीति एवं प्रक्रियात्मक अंतराल' पर राष्ट्रीय परामर्श;

3.5.2 अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ ने तमिलनाडु पुलिस – महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध कक्ष के सहयोग से 24 सितम्बर, 2022 को डीजीपी कॉन्फ्रेंस हॉल, चेन्नई में 'अनिवासी भारतीय विवाहों में भारतीय महिलाओं के अधिकारों के लिए संस्थागत प्रतिक्रिया' पर सेमिनार का आयोजन किया।

3.5.3 पंजाब के विभिन्न जिलों में 'एनआरआई विवाह- क्या करें और क्या न करें - आगे बढ़ने का रास्ता' विषय पर 14 जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ के सामंजस्य से शुरू की गई।

3.5.4 नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज (एनयूएएलएस), कोच्चि, केरल के समन्वय से केरल के विभिन्न जिलों में एनआरआई विवाहों पर 'एनआरआई वैवाहिक मुद्दों में भारतीय महिलाओं के अधिकार' पर 05 जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई गई।

3.5.5 'एनआरआई विवाह - क्या करें और क्या न करें- आगे बढ़ने का रास्ता' पर गुजरात विश्वविद्यालय के समन्वय से गुजरात के विभिन्न जिलों में एनआरआई विवाहों पर 10 जागरूकता कार्यक्रमों की श्रृंखला चलाई गई।

3.6 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ को 538 नई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और आयोग ने सभी शिकायतों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस अवधि के दौरान, आयोग बड़ी संख्या में पीड़ित महिलाओं को एनआरआई विवाह से संबंधित मामलों में आयोग से मांगी गई हर संभव राहत प्रदान करने में सफल रहा है।

1 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में पंजीकृत शिकायतों का राज्य-वार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान पंजीकृत अनिवासी भारतीय मामले

राज्य	शिकायतों की संख्या	राज्य	शिकायतों की संख्या
आंध्र प्रदेश	23	केरल	16
असम	02	मध्य प्रदेश	14
बिहार	06	महाराष्ट्र	49
चंडीगढ़	06	ओडिशा	02
छत्तीसगढ	01	पांडिचेरी	02
दिल्ली	67	पंजाब	50
गोवा	02	राजस्थान	11
गुजरात	25	तमिलनाडु	39
हरियाणा	22	तेलंगाना	59
हिमाचल प्रदेश	05	उत्तर प्रदेश	70
जम्मू एवं कश्मीर	04	उत्तराखंड	10
झारखंड	08	पश्चिम बंगाल	09
कर्नाटक	36	कुल	538

अध्याय -4

घटनाओं/मामलों का स्वत: संज्ञान

4.1 महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और 10(4) के तहत, रा.म,आ मीडिया रिपोर्टों और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन और अधिनियमित कानूनों के गैर-कार्यान्वयन से संबंधित शिकायतों के आधार पर मामलों का स्वत: संज्ञान लेता है। आमतौर पर इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जाती है। किसी महिला के विरुद्ध किए गए जघन्य प्रकृति के अपराध के मामलों में, आयोग द्वारा जाँच समितियों/तथ्यान्वेषी दलों का भी गठन किया जाता है, जो आयोग को अपनी सिफारिशें/निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि अपराध में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके, जिन्हें आगे की उचित कार्रवाई के लिए संबंधित प्राधिकारी को अग्रेषित किया जाता है।

4.2 ऐसे मामलों की संख्या जहां आयोग द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया है, ऐसे मामलों की संख्या जहां कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई है और 2022-23 (अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023) के दौरान बंद किए गए मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

मामलों की संख्या	मामले जिनमें कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त हुई	बंद हुए मामलों की संख्या (पुराने और नए)	गठित जाँच समिति/तथ्य खोज दल
317	**480**	**99**	**16**

4.3 उन मामलों के संक्षिप्त विवरण, जहाँ रा.म.आ ने 2022-23 के दौरान स्वतः संज्ञान लिया और तथ्यों का पता लगाने के लिए दलों/ समितियों का गठन किया था, उनका सारांश नीचे दिया गया है:--

4.3.1 प्रोफेसर द्वारा पास करने के बदले शारीरिक संबंध की मांग: और छात्र को किया फेल; बिचौलिए ने छात्रा को फंसाया, ऑडियो वायरल: राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1) और धारा 10(4) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के कोटा जिले में उक्त मीडिया रिपोर्ट **प्रोफेसर द्वारा पास करने के बदले शारीरिक संबंध की मांग: और छात्र को किया फेल; बिचौलिए ने छात्रा को फंसाया, ऑडियो वायरल:** पर स्वत: संज्ञान लिया जहां राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (आरटीयू) कोटा के एसोसिएट प्रोफेसर पर उनकी छात्रा ने शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालने का आरोप लगाया है। बात न मानने पर प्रोफेसर द्वारा छात्रा को फेल कर दिया गया। इसके बावजूद आरोपी बिचौलिए छात्र के जरिए छात्रा पर दबाव बनाता रहा। मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कर ली गई है।

आयोग ने कथित घटना की मौके पर जाँच के लिए तीन सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम का गठन किया। इस मामले में पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत की जा रही है। इस मामले में कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उन्होंने सूचित किया है कि मामले की जाँच की जा रही है। .

4.3.2 **तमिलनाडु आश्रय गृह के मालिक सहित 8 लोग गिरफ्तार, आवासी कैदियों ने की थी बलात्कार, यातना की शिकायत :** राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया पोस्ट का स्वतः संज्ञान लिया था, जिसका शीर्षक था **"तमिलनाडु आश्रय गृह के मालिक सहित 8 लोग गिरफ्तार, आवासी कैदियों ने की थी बलात्कार, यातना की शिकायत"** जिसमें यह बताया गया है कि विलुप्पुरम, तमिलनाडु में केदार के पास एक गाँव में स्थित अंबू ज्योति आश्रम के मालिक द्वारा आश्रम की महिला कैदियों का बलात्कार एवं प्रताड़ना की गई थी। रिपोर्टों के अनुसार, मालिक और अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 142 महिला कैदियों को या तो सरकारी सुविधा या उनके रिश्तेदारों के पास स्थानांतरित कर दिया गया है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की धारा 10 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले में दो सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम का गठन किया गया था। इस मामले पर तमिलनाडु राज्य पुलिस के साथ कार्रवाई की जा रही है।

4.3.3 **राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में ऋण अदायगी के विवादों को निपटाने के लिए स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की नीलामी:** राष्ट्रीय महिला आयोग ने अधिनियम 1990 की धारा 10(1) और 10(4) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए **राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में ऋण भुगतान पर विवादों को निपटाने के लिए स्टाम्प पेपर पर लड़कियों की कथित "नीलामी" के संबंध में** मीडिया पोस्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था। इसके अलावा, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, जो पहले से ही सवाई माधोपुर में थीं, को राजस्थान के सवाई माधोपुर में युवा नाबालिग लड़कियों से जबरन वेश्यावृत्ति कराए जाने की जानकारी मिली। इस मामले में दो सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम का गठन किया गया था और राजस्थान पुलिस के साथ इसकी पैरवी की गई थी जिसे अब आयोग द्वारा बंद कर दिया गया है क्योंकि पुलिस द्वारा आवश्यक कार्रवाई की गई थी।

मामले में प्राप्त कार्यवाही रिपोर्ट के अनुसार चार्जशीट फाइल की गई है और मामले में मुकदमा चल रहा है।

4.3.4 **बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ने लगाया विदेशी छात्र पर यौन उत्पीड़न का आरोप :** राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया पोस्ट का स्वत: संज्ञान लिया था, जिसका शीर्षक था **"बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की प्रोफेसर ने लगाया विदेशी छात्र पर यौन उत्पीड़न का आरोप"** इसके बाद, आयोग ने रा.म.आ अधिनियम, 1990 की धारा 10 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले के कथित तथ्यों की जाँच के लिए दो सदस्यीय तथ्यान्वेषी टीम का गठन किया। मामला पुलिस के साथ उठाया गया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इसे बंद कर दिया गया। इस मामले में संबंधित पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार यह सूचित किया गया है कि आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और मामले में उचित कार्रवाई की गई है, बाद में अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

4.3.5 **तेलंगाना: सरकारी अस्पताल में 'खराब' ट्यूबेक्टॉमी से 2 की मौत:** राष्ट्रीय महिला आयोग ने रंगा रेड्डी जिले के इब्राहिमपटनम के सिविल अस्पताल में **"तेलंगाना: सरकारी अस्पताल में 'खराब' 'ट्यूबेक्टॉमी से 2 की मौत"** शीर्षक वाली मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया। तेलंगाना ने दिनांक 02.09.2022 की रिपोर्ट दी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि सरकार द्वारा प्रायोजित नसबंदी शिविर में ट्यूबेक्टॉमी कराने के कुछ दिनों बाद 22 वर्ष की दो महिलाओं की संदिग्ध सेप्सिस से मृत्यु हो गई।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10(1)(च) के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मामले के तथ्यों की जाँच के लिए दो सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया । इस मामले को तेलंगाना के संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया गया मामले में तेलंगाना पुलिस से एक कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि मामले में भारतीय दंड संहिता, 1860 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी और फोरेंसिक साइंस लैब से चिकित्सा राय अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। मामले की जाँच अभी चल रही है।

4.4 कुछ अन्य मामलों का संक्षिप्त विवरण जिनका आयोग ने स्वत: संज्ञान लिया :

4.4.1 राष्ट्रीय महिला आयोग ने 07.10.2022 को आउटलुक मीडिया में सुश्री साक्षी भट्ट, पत्रकार ने अपना पीड़ादायक अनुभव साझा किया **"गर्भपात: प्रगतिशील निर्णयों के बावजूद, भारत में शारीरिक और मानसिक आघात अभी भी कायम है"** शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट का संज्ञान लिया। एम्स जैसे प्रतिष्ठित अस्पताल में उसे इसलिए अपमानित किया गया क्योंकि वह अविवाहित थी और गर्भवती थी। मामला एम्स निदेशक के समक्ष उठाया गया।

4.4.2 दिनांक 18.10.2022 को इंडिया टूडे द्वारा रिपोर्ट की गई एक मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय महिला आयोग के सामने आई जिसका शीर्षक है **"गुरुग्राम में इफको चौक के पास सूटकेस में मिला महिला का नग्न शरीर"** जिसमें गुरुग्राम में इफ्को चौक के पास सूटकेस में एक महिला का नग्न शरीर पाया गया था। आयोग ने इस मामले में डीजीपी, हरियाणा से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी थी।

4.4.3 राष्ट्रीय महिला आयोग को डॉ. कुमार विश्वास का एक ट्विटर पोस्ट मिला, जिसमें श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज का एक वीडियो था, जिसमें वह महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी कर रहे थे। वीडियो की सामग्री के अनुसार श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज अपने खिलाफ किसी भी यौन संबंधी अपराध के लिए महिलाओं को दोषी ठहराकर समाज को गलत संदेश भेज रहे थे। आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक से मामले की कार्रवाई रिपोर्ट मांगी। मामले में एक कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि जाँच पूरी हो चुकी है और अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया है।

4.4.4 राष्ट्रीय महिला आयोग ने पर्वतजन डिजिटल न्यूज के यूट्यूब से एक वीडियो संलग्न करते हुए एक ईमेल का संज्ञान लिया जिसमें उत्तराखंड की पुलिस द्वारा महिला पर की गयी कथित बर्बरता और शारीरिक हमले का आरोप लगाया गया था। वीडियो में बताया गया कि पीड़ित दिहाड़ी मजदूर है। उस पर रुपये 16 लाख की चोरी का आरोप है। यह मामला दिल्ली पुलिस आयुक्त के समक्ष उठाया गया।

4.4.5 राष्ट्रीय महिला आयोग को दिनांक 09.10.2022 को जयपुर, राजस्थान में **"पायल चोरी करने के लिए 108 वर्षीय राज महिला के पैर काट दिए गए"** शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट मिली थी, जिसमें जयपुर में एक वृद्ध महिला की पहनी हुई चांदी की पायल चोरी करने के लिए अज्ञात बदमाशों ने कथित तौर पर 108 वर्षीय महिला के पैर काट दिए थे। मामले में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई। मामले में कार्यवाही रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है।

4.4.6 राष्ट्रीय महिला आयोग ने मीडिया पोस्ट का स्वत: संज्ञान लिया है, जिसका शीर्षक है **"केरल में मानव बलि का चौंकाने वाला मामला; केरल के तिरुवल्ला में 2 महिलाओं की हत्या"** केरल कौमुदी द्वारा दिनांक 11.10.2022 को रिपोर्ट की गई, जिसमें एर्णाकुलम जिले की दो महिलाओं की तिरुवल्ला में एक पति-पत्नी के लिए बलि दे दी गई, शव कोच्चि से बरामद किया गया। मामले में केरल के पुलिस महानिदेशक से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई थी। मामले में पुलिस मुख्यालय, केरल से की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामला अदालत में विचाराधीन है।

4.4.7 राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 10.10.2022 को राजस्थान के अजमेर जिले में **"अजमेर में दलित महिला के साथ बलात्कार, आरोपियों में पुजारी: पुलिस"** शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट का संज्ञान लिया, जिसमें राजस्थान के अजमेर में एक 25 वर्षीय दलित महिला ने आरोप लगाया था। एक पुजारी और उसके परिचित कुछ अन्य लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और कथित अपराध के वीडियो के साथ उसे ब्लैकमेल भी किया। मामले में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई थी।

4.4.8 राष्ट्रीय महिला आयोग को एक मीडिया पोस्ट मिली थी जिसका शीर्षक था **"केरल की एक आदिवासी बस्ती में गर्भवती आदिवासी महिला को कपड़े के 'स्ट्रेचर' पर 3 किलोमीटर तक ले जाया गया,"** जिसमें यह बताया गया था कि प्रसव पीड़ा का सामना कर रही एक आदिवासी महिला को एक कपड़े के स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा, सात लोगों ने खतरनाक इलाके में लगभग 3 किमी तक सफर किया क्योंकि एम्बुलेंस उसके स्थान तक नहीं पहुंच सकी। इस मामले को केरल के मुख्य सचिव के समक्ष उठाया गया। मामले में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें बताया गया था कि आवश्यक कदम उठाए गए हैं और इसलिए आयोग की ओर से मामला बंद कर दिया गया है।

4.4.9 राष्ट्रीय महिला आयोग को दिनांक 09.12.2022 को पश्चिमी दिल्ली में **"पंजाबी बाग में सूटकेस में महिला का शव मिला"** शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट मिली थी, जिसमें पश्चिमी दिल्ली के पंजाबी बाग में एक सूटकेस से एक महिला का क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया था। इस मामले में पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई थी।

4.4.10 राष्ट्रीय महिला आयोग को उत्तर प्रदेश के बरेली में **"एक रात में दो बार सेक्स करने से इनकार करने पर पत्नी की गला घोंटकर हत्या"** शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट मिली, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने 09.12.2022 को रिपोर्ट किया था, जिसमें एक 34 वर्षीय व्यक्ति ने "एक रात में दो बार सेक्स करने" की

मांग ठुकराने पर अपनी 30 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी। मामला उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के समक्ष उठाया गया।

4.4.11 राष्ट्रीय महिला आयोग ने एक ट्विटर पोस्ट देखी जिसमें हरियाणा के भिवानी जिले में एक व्यक्ति द्वारा एक महिला को बेरहमी से पीटने का वीडियो संलग्न था। आरोप है कि हमला करने वाला शख्स सिरसा घोगड़ा गांव का नवनियुक्त सरपंच है और जिस महिला पर हमला किया गया है उसकी पत्नी है। इसके बाद मामला हरियाणा के पुलिस महानिदेशक के समक्ष उठाया गया।

4.4.12 राष्ट्रीय महिला आयोग को एक मीडिया रिपोर्ट मिली थी, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस ने दिनांक 19.12.2022 को रिपोर्ट किया था कि झारखंड के साहिबगंज जिले में **"महिला की हत्या करने, शरीर काटने के आरोप में पति, ससुराल वाले गिरफ्तार"**, जिसमें आदिवासी समुदाय की एक 22 वर्षीय महिला को उसके पति और ससुराल वालों ने मार डाला । झारखंड के पुलिस महानिदेशक से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गयी।

4.4.13 राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 19.12.2022 को एशियन एज द्वारा रिपोर्ट की गई मीडिया पोस्ट का स्वत: संज्ञान लिया कि मध्य प्रदेश के रतलाम में **"अवैध संबंध के लिए महिला की सार्वजनिक रूप से पिटाई"** इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कथित तौर पर दूसरे आदमी के लिए अपने पति को छोड़ने पर एक 30 वर्षीय महिला को रस्सियों से बांध दिया गया, लाठियों से पीटा गया और सार्वजनिक रूप से परेड कराई गई। मामला मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के समक्ष उठाया गया। मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि जाँच पूरी हो चुकी है और मामले में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है।

4.4.14 राष्ट्रीय महिला आयोग ने **"गुरुग्राम ऑटो चालक द्वारा 19 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार"** शीर्षक वाली एक मीडिया पोस्ट पर स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें कथित तौर पर यह आरोप लगाया गया था कि एक 19 वर्षीय महिला के साथ एक ऑटो चालक ने कथित तौर पर बलात्कार किया था। तुरंत कार्रवाई के लिए उक्त मामला पुलिस महानिदेशक, हरियाणा के ध्यान में लाया गया।

*****

अध्याय -5

24X7 रा.म.आ. महिला हेल्पलाइन

5.1 24X7 रा.म.आ. महिला हेल्पलाइन-7827170170: दिनांक 27 जुलाई, 2021 को, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24X7 हेल्पलाइन-7827170170 शुरू की, जिसका उद्देश्य संबंधित पुलिस, अस्पतालों, कानूनी सेवा प्राधिकरणों और मनोवैज्ञानिक परामर्श आदि के साथ जोड़कर रेफरल के माध्यम से महिलाओं को ऑनलाइन सहायता प्रदान करना है। पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के माध्यम से आईवीआर इंटरैक्टिव तंत्र द्वारा संचालित है। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हेल्पलाइन में प्राप्त कुल कॉल 1,55,242 हैं।

कुछ सफल मामलों का विवरण इस प्रकार है:

5.5.1 विवाह में चयन का अधिकार: सूरौठ, करौली, राजस्थान से एक कॉल करने वाले ने हेल्पलाइन को बताया कि उसकी परिचित महिला के साथ उसके परिवार के सदस्यों द्वारा शारीरिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उसके पास मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं है। राजस्थान के करौली के स्टेशन हाउस ऑफिसर(SHO) और वन स्टॉप सेंटर(OSC), सुरोठ को रा.म.आ हेल्पलाइन द्वारा तुरंत सूचित किया गया। टीम पीड़िता के घर गई, जहां उन्होंने शिकायत दर्ज की और मजिस्ट्रेट के लिए पीड़िता का बयान दर्ज किया। अपने परिवार से यह आश्वासन मिलने के बाद कि उस पर शादी के लिए कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। उसने वापस लौटने और अपने माता-पिता पर मुकदमा दायर करने से इनकार करने का विकल्प चुना ।

5.5.2 बचाव: बिहार से एक कॉलर ने रा.म.आ हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी बहन के लिए सहायता मांगी जो उत्तर प्रदेश के बारीपुर टोले में थी। शिकायतकर्ता ने आगे कहा कि उसकी बहन को उसके पति ने गेट से बांधकर पीटा था। रा.म.आ हेल्पलाइन द्वारा पुलिस अधीक्षक, देवरिया, उत्तर प्रदेश से संपर्क किया गया। पुलिस ने पुष्टि की कि उसकी बहन को उसके पति ने बांध दिया था और पीटा था। पुलिस ने पीड़िता को बचाया। पुलिस अधिकारी द्वारा उसे उसके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया, लेकिन उसने परामर्श के लिए कहा और अपने पति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। दोनों पक्षों को बुलाकर परामर्श दिया गया।

5.5.3 बाल अभिरक्षा: पीड़िता ने उत्तर प्रदेश के बागपत से संपर्क किया और कहा कि वह अपने माता-पिता के साथ रह रही है क्योंकि उसके पति और ससुराल वाले उसके घरेलू झगड़े का कारण बन रहे हैं। उसने विरोध किया कि उसका पति उसकी सहमति के बिना उसके सात महीने के बच्चे को ले गया है। उत्तर प्रदेश के बागपत के स्टेशन हाउस ऑफिसर(SHO) और वन स्टॉप सेंटर(OSC) से रा.म.आ हेल्पलाइन द्वारा संपर्क किया गया। पुलिस स्टेशन में बाल कल्याण समिति ने बच्चे को उसके पास वापस लाने में सहायता की। बच्चा वापस उसे सौंप दिया गया।

5.5.4 मानव तस्करी मामला: 16 साल की उम्र में, पीड़िता को पश्चिम बंगाल से जम्मू और कश्मीर जाने के लिए मजबूर किया गया था। वह वर्तमान में शादीशुदा है और उसके तीन बच्चे हैं। पिछले आठ वर्षों में उसने अपने लंबे समय से खोए हुए रिश्तेदारों के साथ फिर से जुड़ने का प्रयास किया लेकिन ऐसा करने में असमर्थ रही। उसने रा.म.आ हेल्पलाइन पर कॉल किया और अपने माता-पिता से संपर्क करने में सहायता मांगी। पीड़ित परिवार की सहायता करने और उसका पता लगाने के लिए, रा.म.आ हेल्पलाइन ने दक्षिण 24 परगनों, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली और सुंदरबन सहित विभिन्न जिलों के एसएसपी से संपर्क किया। तीन दिनों के भीतर, अधिकारी लड़की के माता-पिता का पता लगाने में सक्षम हो गए, जिससे पीड़ित परिवार की पहचान हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की। वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल पर लड़की ने अपने माता-पिता को पहचान लिया। इसके अतिरिक्त, वन स्टॉप सेंटर OSC के एक प्रतिनिधि ने रा.म.आ हेल्पलाइन को सूचित किया कि लड़की के माता-पिता अपनी बेटी से मिलने के लिए जम्मू-कश्मीर गए थे।

*****

अध्याय -6

नीति निगरानी एवं अनुसंधान प्रकोष्ठ

6.1 राष्ट्रीय महिला आयोग जीवन के सभी पहलुओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की उन्नति और प्रभावी भागीदारी में बाधा डालने वाले कारकों की पहचान करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में विभिन्न शोध अध्ययन आयोजित करता है।

6.2 प्रचारात्मक और शैक्षणिक अनुसंधान से संबंधित मामलों को संभालने का उत्तरदायित्व आयोग के नीति, निगरानी और अनुसंधान प्रकोष्ठ पर है। इसमें महिलाओं के प्रति भेदभाव और अत्याचार से उत्पन्न होने वाली विशिष्ट समस्याओं या स्थितियों की जाँच शामिल है। इन अध्ययनों के निष्कर्ष बाधाओं की पहचान करने और उनका निष्कासन करने में आयोग की मदद करते हैं।

6.3 वर्ष 2022-2023 के दौरान, आयोग ने सेमिनारों, कार्यशालाओं और अनुसंधान अध्ययनों सहित कई गतिविधियों को वित्त पोषित किया। इन गतिविधियों का उद्देश्य महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले कठिन-श्रम और व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों के लिए जिम्मेदार कारकों का विश्लेषण करना है। आयोग का मानना है कि इस तरह के शोध महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और उनके समाधान के लिए प्रभावी समाधान विकसित करने में महत्वपूर्ण हैं।

6.4 रा.म.आ यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समान अवसर और प्रतिनिधित्व मिले। अपने शोध अध्ययनों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से आयोग एक ऐसा समाज बनाने की दिशा में काम कर रहा है जो सभी के लिए समावेशी और न्यायसंगत हो।

6.5 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेमिनार आयोजित करने के लिए पांच विषयों को मंजूरी दी जो इस प्रकार हैं:

क) दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (DAW)

ख) खेल में महिलाएँ

ग) अर्धसैनिक बलों में महिलाएं

घ) महिलाओं को न्याय दिलाने में फास्ट ट्रैक कोर्ट की भूमिका

ड) महिला थाने की कार्यप्रणाली (कार्य, दक्षता एवं प्रभावशीलता)

पूरे भारत में उपर्युक्त विषयों पर जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न राज्यों में गैर सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों आदि को सेमिनार की अनुमति दी गई थी। आयोग द्वारा प्रायोजित सेमिनारों की सूची अनुबंध IV में संलग्न है।

तदनुसार पाँच विषयों पर सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं:

6.5.1 दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (DAW): सभी व्यक्तियों की तरह दिव्यांग महिलाओं के पास भी मौलिक अधिकारों का एक समूह है जो उनकी गरिमा, भलाई और समाज में पूर्ण भागीदारी के लिए आवश्यक हैं। ये अधिकार, जिन्हें अक्सर "विकलांगता अधिकार" कहा जाता है, समानता, गैर-भेदभाव और समावेशन के सिद्धांतों पर आधारित हैं। हालाँकि, अलग-अलग रूप से सक्षम महिलाओं को अक्सर अजीब चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उनके लिंग और विकलांगता से जुड़ी होती हैं, जिससे उनके विशिष्ट अधिकारों और जरूरतों को समझना और उनकी वकालत करना महत्वपूर्ण हो जाता है। दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों को पहचानना और उनका समर्थन करना सतत विकास की दिशा में एक समावेशी और न्यायसंगत समाज के निर्माण की दिशा में एक कदम है।

6.5.1.1 **समावेशन और पहुंच :**

क) सार्वजनिक भवनों, परिवहन और बुनियादी ढांचे तक पहुंच के लिए मानकों और नियमों को विकसित और लागू करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे विकलांग महिलाओं के लिए पूरी तरह से सुलभ हैं।

ख) संगठनों और व्यवसायों को उनकी सुविधाओं और सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने में मदद करने के लिए धन और तकनीकी सहायता प्रदान करें।

ग) स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच और समावेशन नीतियों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विकलांगता अधिकार समितियां या सलाहकार बोर्ड स्थापित करें।

6.5.1.2 **रोजगार के अवसर:**

क) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विकलांग महिलाओं को काम पर रखने के लिए कोटा या अन्य प्रोत्साहन स्थापित करें।

ख) नौकरी प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कार्यक्रम विकसित करें जो विकलांग महिलाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप हों।

ग) दिव्यांग महिलाओं को रोजगार देने वाले व्यवसायों को कर-प्रोत्साहन और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करें।

6.5.1.3 **शिक्षा और जागरूकता:**

क) ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम विकसित करें जो दिव्यांग महिलाओं के सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों के बारे में समझ और जागरूकता को बढ़ावा दें।

ख) शिक्षकों, नियोक्ताओं और सेवा प्रदाताओं को दिव्यांग महिलाओं को प्रभावी ढंग से समर्थन और समायोजित करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करें।

ग) दिव्यांग महिलाओं के योगदान और उपलब्धियों को उजागर करने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।

6.5.1.4 **स्वास्थ्य और कल्याण:**

क) सुनिश्चित करें कि दिव्यांग महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हों जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हों।

ख) यह सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा सहायता और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों का

विस्तार करें कि जीर्ण स्थितियों में विकलांग महिलाओं की पूर्व-सतर्कता-संबंधी उपाय, जाँच और उपचार तक पहुंच हो।

ग) सहायक प्रौद्योगिकियों और चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान और विकास में निवेश करें जो विकलांग महिलाओं के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं।

6.5.1.5 **सामाजिक सहायता:**

क) समुदाय-आधारित कार्यक्रम स्थापित करें जो समाजीकरण और मनोरंजन में सामाजिक सहायता के अवसर प्रदान करते हैं।

ख) अलग-अलग रूप से सक्षम महिलाओं को परामर्श, चिकित्सा और अन्य मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें जो अलगाव, अवसाद या अन्य मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही हों।

ग) परामर्श और नेतृत्व कार्यक्रम विकसित करें जो दिव्यांग महिलाओं को उनके कौशल और क्षमता विकसित करने में मदद करें।

6.5.1.6 **कानूनी सुरक्षा:**

क). दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भेदभाव विरोधी कानूनों को मजबूत करें।

ख) सुनिश्चित करें कि सरकारी एजेंसियाँ और व्यापार संबंधित नियमों और मानकों तक पहुंच का अनुपालन करें।

ग) भेदभाव या अन्य कानूनी चुनौतियों का सामना करने वाली दिव्यांग महिलाओं को कानूनी सहायता और समर्थन प्रदान करें।

निष्कर्षतः दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों का समाधान करे। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक समर्थन और कानूनी सुरक्षा में निवेश करके हम एक अधिक समावेशी और न्यायसंगत समाज बना सकते हैं जो सभी को लाभ पहुंचाएगा।

6.5.2 खेलों में महिलाएँ: पिछले दशक में हमने खेलों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि देखी है। यह भी देखा गया है कि महिला खिलाड़ियों के प्रति राशि के भुगतान, प्रचार और बुनियादी ढांचे और संसाधनों की उपलब्धता को लेकर रवैया भेदभावपूर्ण है। खेलों में महिलाओं की बेहतरी के लिए सुधार की आवश्यकता लैंगिक समानता सुनिश्चित करने, महिला एथलीटों को सशक्त बनाने और अधिक समावेशी और न्यायसंगत खेल परिदृश्य बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। लैंगिक भेदभाव को कम करने और खेलों में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए आयोग को प्राप्त और स्वीकृत विभिन्न सेमिनार रिपोर्टों के अनुसार कुछ प्रमुख क्षेत्र जिनमें सुधार आवश्यक हैं: -

6.5.2.1 **खेल और सेहत**

क) शिक्षा के सभी स्तरों पर शारीरिक शिक्षा अनिवार्य करें।

ख) खेलों में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी के लिए अलग से अंक रखें।

ग) बालिका खिलाड़ियों के पोषण की देखभाल के लिए खेल पोषण विशेषज्ञ की नियुक्ति।

घ) शैक्षणिक संस्थानों के पास मध्याह्न भोजन जैसी कोई योजना होनी चाहिए जो बालिका खिलाड़ियों के पोषण का ख्याल रख सके।

ड़) बालिका खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए खेल मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति।

6.5.2.2 **खेलों का चुनाव कैरियर के रूप में**

क) खेल प्रशासन में महिलाओं के लिए आरक्षण रखें।

ख) लड़कियों को उनके लिए उपलब्ध खेल छात्रवृत्तियों के बारे में जानकारी दें।

ग) खेल में कैरियर के अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए बालिका एथलीटों के लिए कैरियर परामर्श सत्र और प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाएं।

घ) खेलों में महिलाओं की भागीदारी के संबंध में अभिभावकों एवं शिक्षकों को जागरूक करें।

ड़) खेल से जुड़ी सभी गतिविधियों जैसे कोचिंग, मसाज, फिजियोथेरेपी, पोषण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएँ।

6.5.2.3 **संस्था का प्रचार एवं भूमिका**

क) यह देखा गया है कि लड़कियों के लिए टूर्नामेंट में केवल दो श्रेणियां हैं। यह अनुशंसा की जाती है कि पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों के लिए समान श्रेणियां होनी चाहिए।

ख) अधिक संख्या में महिला प्रशिक्षकों की नियुक्ति करें।

ग) प्रत्येक विद्यालय में महिला शारीरिक शिक्षा अध्यापिका की नियुक्ति करें।

घ) महिला एथलीटों और महिला अधिकारियों के लिए उचित बुनियादी ढाँचा प्रदान किया जाना है जिसमें छात्रावास, चेंजिंग रूम और उचित प्रकाश की व्यवस्था, अच्छी तरह का रखरखाव भी शामिल है।

ड़) शारीरिक शिक्षा में प्राप्त अंकों को श्रेणी पुरस्कार के लिए गिना जाना चाहिए।

च) उपस्थिति, असाइनमेंट जमा करने के संबंध में एथलीटों को रियायतें दें।

छ) खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ स्थापित करना।

ज) बालिका एथलीटों को खेल में भाग लेने के लिए आवश्यक उपकरण उनके क्लबों और संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए जाने चाहिए जिनका वे प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

झ) बालिका एथलीटों को शिक्षा और खेल के बीच संतुलन बनाने में मदद करने के लिए समय प्रबंधन पर सत्र आयोजित करें।

ञ) बच्चों में योग्यता की पहचान करने के लिए प्रत्येक जिले में खेल-नर्सरी की शुरूआत करें।

6.5.2.4 **कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न**

क) सभी शैक्षणिक संस्थानों और खेल अकादमियों और क्लबों में आंतरिक शिकायत समितियाँ अनिवार्य करें।

ख) हर साल बालिका एथलीटों के लिए पॉश (POSH) अधिनियम के बारे में ओरिएंटेशन का आयोजन करें।

ग) खेल अकादमियों, क्लबों और संस्थानों के खेल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा लेखा परीक्षा सालाना रूप से की जानी चाहिए।

घ) संस्थानों, क्लबों और खेल अकादमियों में महिला पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करें।

निष्कर्षतः यह स्पष्ट है कि महिलाएँ खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं, बशर्ते उन्हें परिवार, समाज से सहयोग मिले। जैसे शिक्षा का अधिकार, 'बच्चों के लिए खेलने का अधिकार' अधिनियम

देश में होना चाहिए, महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर खेल प्रशासन में 50% आरक्षण रखा जाए और सरकारी अधिकारियों द्वारा सुरक्षा और उचित बुनियादी ढाँचा प्रदान करने में बड़ी मदद की जाए।

6.5.3 अर्धसैनिक बलों में महिलाएं: अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की स्थिति से संबंधित विभिन्न प्रमुख और छोटे मुद्दों को सेमिनार सत्रों में उठाया गया। उन कारकों पर चर्चा की गई जो इन बलों में महिलाओं की कम भागीदारी के लिए जिम्मेदार हैं, भले ही महिलाएं कुल आबादी का 50% हैं और उनमें इसका हिस्सा बनने की इच्छा है। सभी सत्रों में सामने आने वाले प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख यहां नीचे दिया गया है:

1. समाज की प्रतिगामी मानसिकता जो महिलाओं को इस भूमिका में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें अपने लक्ष्यों से समझौता करने के लिए मजबूर करके उनके रास्ते में बाधाएं पैदा कर रही है।
2. सरकार द्वारा नीतिगत हस्तक्षेप को अधिक प्रभावी होने की आवश्यकता है और महिलाओं के दृष्टिकोण से बुनियादी चिंताओं के लिए समावेशी होना चाहिए यानी इसे इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि यह महिलाओं की शारीरिक नियमों के साथ तालमेल बिठाए।
3. सरकार और संबंधित अधिकारियों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, न केवल इसलिए कि महिलाओं को इसकी आवश्यकता है बल्कि इसलिए भी कि उन महिला कर्मियों को प्रशिक्षित करने में संगठन ने समय और संसाधनों का निवेश किया है और जब वे मातृत्व या बच्चे के पालन-पोषण एवं परिवार की देखभाल के कारण बीच में ही नौकरी छोड़ देती हैं तो यह संस्था के लिए बहुत बड़ी क्षति है।

6.5.4 **महिलाओं को न्याय दिलाने में फास्ट ट्रैक अदालतों की भूमिका:** जैसा कि ठीक ही कहा गया है, 'न्याय में देरी, न्याय न मिलने के समान है' और त्वरित न्याय प्रदान करने की सुविधा के लिए, अतीत में विभिन्न 'फास्ट ट्रैक अदालतें' और 'विशेष अदालतें' स्थापित की गई हैं। भारत सरकार विभिन्न कानूनी उपायों के माध्यम से सभी उम्र की महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। बलात्कार जैसे मामलों को रोकने के लिए विशेष कानूनों के माध्यम से मृत्युदंड सहित कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। हालाँकि, यह तभी संभव है जब अदालत में सुनवाई समय सीमा के भीतर पूरी हो और पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिले। यौन अपराधों की घटनाओं और अभियुक्तों की लंबी सुनवाई के कारण पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए समर्पित अदालती तंत्र की आवश्यकता है।

विभिन्न सत्रों में जो मुख्य बातें सामने आईं वे इस प्रकार हैं:

6.5.4.1 मामले की जाँच करने और समय पर रिपोर्ट प्रदान करने के लिए जाँच एजेंसियों को मजबूत किया जाना चाहिए, डीएनए रिपोर्टिंग उचित होनी चाहिए, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएं पर्याप्त संख्या में स्थापित की जानी चाहिएं और त्वरित सुनवाई और न्याय के लिए मुकदमे के दौरान विशेष लोक अभियोजक भी उपलब्ध होना चाहिए।

6.5.4.2 अदालतों में कमजोर गवाह बयान केंद्र (VWDC) हों ताकि उचित सुनवाई के लिए यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिलाओं और बच्चों पर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव न हो।

6.5.4.3 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिएं क्योंकि बहुत से लोगों को कानूनों के बारे में जानकारी नहीं हैं। कानूनी जागरूकता प्रत्येक नागरिक से जुड़ी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर स्पष्टता प्रदान करने में मदद करती है।

6.5.4.4 जाँच करने और साक्ष्य एकत्र करने में पुलिस अधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिएं। साथ ही महिला मुद्दों से निपटने वाले पुरुष कानून अधिकारियों के लिए विशेष संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिएं ताकि उन्हें निर्णय लेते समय ध्यान में रखे जाने वाले आवश्यक कारकों से अवगत कराया जा सके।

6.5.4.5 पुलिस विभाग को किसी भी पीड़ित की पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए क्योंकि पीड़ित या उसके रिश्तेदारों को धमकी और दबाव देने से मामला कमजोर हो सकता है।

6.5.4.6 समाज की मानसिकता को बदलने के लिए महिलाओं से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाने चाहिएं।

6.5.4.7 फास्ट ट्रैक अदालतों में न्यायाधीशों का अलग सेट होना ताकि यह नियमित अदालतों के साथ ओवरलैप न हो और त्वरित सुनवाई हो सके और समय पर न्याय दिया जा सके।

6.5.5 महिला थाने की कार्यप्रणाली (कार्य, दक्षता एवं प्रभावशीलता)

महिला पुलिस स्टेशन (WPS) बनाने का मुख्य लक्ष्य महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण देना था जहां वे पुलिस सेवाओं तक पहुंच सकें। जो महिलाएं अपने लिंग के आधार पर अपराधों की शिकार होती हैं, वे प्रतिशोध, सामाजिक कलंक, कम सजा दर और पुरुष पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार की चिंता के कारण पुलिस में रिपोर्ट करने से हिचकती हैं। महिला पुलिस स्टेशनों की मदद से पीड़िता प्रतिशोध के डर के बिना अपराधों का खुलासा कर सकती हैं और कानूनी प्रणाली में विश्वास हासिल कर सकती हैं। पुलिस बल में महिलाओं के अनुपात को बढ़ावा देने से अधिक महिलाओं को आपराधिक न्याय प्रणाली से मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। पुलिस विभागों में काम करने वाली और अपराधों को देखने वाली महिलाएं बड़े पैमाने पर समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलने में मदद कर सकती हैं।

महिलाओं के प्रति हिंसा (VAW) अपराधों की बढ़ती व्यापकता के जवाब में रिपोर्टिंग दर बढ़ाने के प्रयास में महिला पुलिस स्टेशन (WPS) महिलाओं के लिए, कलंक-मुक्त और स्वागत योग्य वातावरण प्रदान करता है। इन स्टेशनों में पुलिस कर्मचारी के रूप में काम करने वाली महिलाएं अन्य महिलाओं को इन सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जिससे महिला पुलिस स्टेशन (WPS) की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपराध से लड़ने के लिए संसाधनों को प्राथमिकता देना और आबंटित करना आवश्यक है।

विभिन्न सत्रों में की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1) महिला पुलिस स्वयंसेवकों की योजना को राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनों के सक्रिय वित्तीय और प्रशासनिक समर्थन से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि यह केंद्रीय क्षेत्र की नीति है।

2) सभी महिला पुलिस कर्मियों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित अंतराल पर चलाया जाना चाहिए। उनकी सक्रिय भूमिका के अलावा सभी हितधारकों की क्षमता को मजबूत करना और सामुदायिक सशक्तिकरण भी जरूरी है।

3) महिला पुलिस अधिकारियों को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को संतुलित करने में मदद करने के लिए परिवार के अनुकूल नीतियां बनाई जानी चाहिएं। इन पॉलिसियों में सवैतनिक वैवाहिक अवकाश, बच्चे की देखभाल और चिकित्सा बीमा शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा कार्यस्थल पर सैनिटरी उत्पादों की आसान उपलब्धता भी एक बड़ी पहल है।

4) नीतियों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम भी शामिल होने चाहिएं और सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिएं जहां उनके सामने आने वाली समस्याओं पर ध्यान दिया जाए और उनका समाधान किया जाए। इसे न केवल पुलिस विभागों में बल्कि स्कूलों और कॉलेजों में भी आयोजित किया जाना चाहिए जो महिलाओं को पुलिस संगठन में नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

5) पुलिस विभागों के प्रशासनिक और सेवा दोनों वर्गों में महिलाओं के रोजगार से उनके लिंग से जुड़ी रूढ़िवादिता दूर होगी। महिलाओं को केवल दिखावे के लिए नियुक्त करना और उन्हें केवल प्रशासन विभाग तक ही सीमित रखना उनकी क्षमताओं को कम आंकना है।

6) पुलिस विभाग के भीतर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के मामलों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। महिलाओं के लिए अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के खिलाफ बिना किसी जटिलता के ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। प्रत्येक क्षेत्राधिकार के पुलिस स्टेशनों और प्रशिक्षण केंद्रों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया जाना चाहिए जहां ऐसी शिकायतें दर्ज की जा सकें और त्वरित जाँच हो सके।

7) मार्गदर्शन के अवसरों का विस्तार करने से महिला अधिकारियों को ज्ञान और संपर्क प्राप्त करने में भी मदद मिल सकती है जो उनके कैरियर के विकास में सहायक होंगे। उच्च रैंकिंग वाले पुरुषों और महिलाओं और उनके अधीनस्थों के बीच पेशेवर संबंधों के विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने वाली औपचारिक सलाह योजनाएं फायदेमंद होंगी और वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच की दूरियों को पाटने में मदद करेंगी।

8) इसके अलावा, महिलाओं को कैरियर में उन्नति में सहायता के लिए व्यावसायिक विकास के अवसरों को और अधिक सुलभ बनाया जाना चाहिए।

9) अंत में, पुलिस विभाग में विविधता के प्रबंधन में सहायता के लिए गृह मंत्रालय द्वारा विभिन्न सिफारिशें प्रदान की जाती हैं। इन सिफारिशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने से विविधता के प्रबंधन और सभी कर्मचारियों के लिए समान अवसर की सुविधा मिलेगी।

6.6 वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसंधान अध्ययन आयोजित करने के लिए स्वीकृत विषय थे:

i) दिव्यांग महिलाओं के अधिकार

ii) खेल में महिलाएँ

iii) अर्धसैनिक बलों में महिलाएं

iv) महिलाओं को न्याय दिलाने में फास्ट ट्रैक कोर्ट की भूमिका

v) महिला थाने की कार्यप्रणाली (कार्य, दक्षता एवं प्रभावशीलता)

आयोग द्वारा प्रायोजित अनुसंधान अध्ययनों की सूची **अनुबंध V** के रूप में संलग्न है।

कुल 15 अनुसंधान अध्ययनों में से आयोग द्वारा वित्त पोषित अनुसंधान अध्ययन इस प्रकार है- 3 अनुसंधान अध्ययन दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों (DAW) पर हैं; तीन शोध अध्ययन खेल में महिलाओं पर हैं'; एक 'अर्धसैनिक बलों में महिलाओं' पर है और आठ महिला थाने की कार्यप्रणाली (कार्य, दक्षता और प्रभावशीलता)' पर हैं। इन अनुसंधान अध्ययनों के पूरा होने पर, संबंधित अनुसंधान संस्थान नियम और शर्तों के अनुसार संबंधित रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करेंगे।

6.7 विगत वर्षों में आयोग द्वारा अग्रेषित तथा वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रस्तुत मुख्य सिफारिशें नीचे देखी जा सकती हैं:

6.7.1 'मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) में सक्षमकर्ताओं और अवरोधकों का आकलन' पर शोध-अध्ययन: एमिटी यूनिवर्सिटी (लखनऊ कैंपस), यूपी द्वारा मध्य उत्तर प्रदेश के अर्ध शहरी क्षेत्रों में जागरूकता और व्यवहार पर अध्ययन आयोजित किया गया।

- मासिक धर्म के दौरान लड़कियों/महिलाओं से जुड़ी जैविक, सामाजिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से स्कूलों/अभियानों के माध्यम से लड़कों/पुरुषों के लिए सूचना का अधिकार सुनिश्चित करना। इसके अतिरिक्त, इससे मासिक धर्म संबंधी वर्जनाओं और मिथकों को दूर करने में परिवर्तन एजेंटों के रूप में उनकी भूमिका को समझने में भी सुविधा होगी। वृत्तचित्र फिल्मों के माध्यम से, स्कूल में लड़कों को इस बात पर खुली चर्चा करनी चाहिए कि वे कठिन दिनों के दौरान घर पर अपनी माताओं और बहनों की कैसे मदद करते हैं।
- पुरुषों की उपस्थिति में सैनिटरी नैपकिन मांगने में पीरियड शेमिंग, झिझक, बेचैनी, शर्मिंदगी और अजीब समस्याओं को हल करने के लिए मेडिकल स्टोर के अलावा उन सभी संभावित स्थानों की दृश्यता में सुधार करना जहां से सैनिटरी नैपकिन खरीदे जा सकते हैं। रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, हवाई अड्डों और शॉपिंग सेंटरों पर व्यापारिक मशीनों (वेंडिंग मशीन) की स्थापना में नवाचार और नए साझेदारी मॉडल को शुरू और प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे जागरूकता बढ़ेगी और साथ ही मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में भी जागरूकता बढ़ेगी।
- ऊंची कीमतों की धारणा को तोड़ने के लिए उत्पाद की कम कीमतों पर ध्यान केंद्रित करने वाले विज्ञापनों के माध्यम से व्यापक जागरूकता सुनिश्चित की जा सकती है। सरकारी कम कीमत वाले गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन विज्ञापनों के प्रसारण की आवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिए। चूंकि माताएँ मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) जागरूकता और प्रथाओं के लिए एक स्पष्ट प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरी हैं, विज्ञापन में उनकी सही भूमिका चित्रित करने से लाखों लोग प्रभावित होंगे। अधिकांश माताएं मासिक धर्म के बारे में पहली सूचना प्रदाता होती हैं, लेकिन ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में उनकी भूमिका को बढ़ावा नहीं दिया गया है।
- कक्षा छह से आगे के सभी छात्रों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर एक अध्याय शामिल किया जाना चाहिए। इससे जागरूकता आएगी, ज्ञान पैदा होगा और लड़कों को मासिक धर्म और मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति संवेदनशील बनाया जा सकेगा।
- सभी छात्रों के लिए मासिक धर्म स्वास्थ्य और संबंधित मुद्दों पर सामान्य प्रश्न सहित व्यापक परीक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। यदि विषय पर कम से कम एक लंबा प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र का हिस्सा बनता है तो प्रभाव अधिक होगा। स्पष्ट रूप से समझाया जाए कि यह प्रक्रिया जीवन देती है और युवा मन में बिठाना होगा कि इसे समाज में अपमानित नहीं किया जाना चाहिए।
- सर्वश्रेष्ठ मासिक धर्म प्रबंधन स्कूल और मासिक धर्म अनुकूल स्कूल आदि अवधारणाओं के लिए विशेष पुरस्कार शुरू कर दिए जाने चाहिएं। स्कूल की मान्यता के लिए एक अनिवार्य मानदंड इसमें वेंडिंग मशीन, चेंजिंग रूम, उचित शौचालय के साथ कूड़ेदान आदि का प्रावधान होना चाहिए। इसी तरह, 'मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) को बढ़ावा देने में योगदान देने वाले शिक्षकों के लिए विशेष पुरस्कार दिए जाने चाहिएं। ये शिक्षक अन्य सामाजिक संस्थानों के साथ सहयोग कर सकते हैं और अस्वास्थ्य कर मासिक धर्म प्रथाओं के कारण स्वास्थ्य जोखिमों को

कम करने के लिए लड़कियों को स्वच्छता और घर में बने पैड के भंडारण के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।

- 'मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) के महत्व को समझाने के लिए इस विषय पर मशहूर हस्तियों के वृत्तचित्र और टॉक शो दिखाकर मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर एक अनिवार्य सत्र के साथ स्कूलों/कॉलेजों में ओरिएंटेशन सत्र के लिए माता-पिता को आमंत्रित करना। स्कूलों में वरिष्ठ छात्राओं से लेकर युवा लड़कियों को मासिक धर्म स्वास्थ्य और उत्पादों के बारे में सहकर्मी सलाह दी जानी चाहिए।

6.7.2 भारतीय स्त्री शक्ति, मुंबई द्वारा 'जमीनी स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण पर नीतियों का मूल्यांकन' पर शोध अध्ययन

- विधवाओं को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWP) और वृद्धावस्था पेंशन योजना दोनों से लाभ मिल सकता है। एक विधवा को देय पेंशन उसकी मृत्यु तक उसकी उम्र या उसके बेटे की कमाई की स्थिति के संबंध में किसी पूर्व शर्त के बिना जारी रखी जानी चाहिए। पेंशन की राशि बढ़ाने की सिफारिश की गयी है।
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को लेकर लाभ की राशि बढ़ाई जा सकती है। योजना का लाभ दूसरी डिलीवरी तक भी दिया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए सिफारिश की गई है कि दूसरे सिलेंडर की कीमत कम की जा सकती है, साथ ही योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर का आकार भी बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार से राज्य सरकार को विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने में होने वाली देरी से बचा जा सकेगा।
- विशेष रूप से ग्रामीण, आदिवासी और स्लम क्षेत्रों में वंचित महिलाओं की अधिकतम संख्या तक पहुंचने के प्रयास आवश्यक हैं। बड़े होर्डिंग्स और दीवार पेंटिंग प्रचार के कुछ अनुशंसित सफल तरीके हैं जिससे लोगों को योजनाओं का लाभ उठाने के लिए योजनाओं और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने और प्रत्येक योजना के तहत आवश्यक तकनीकी आवश्यकताओं के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण शिविर/कार्यशालाएं आयोजित की जा सकती हैं।
- जिला स्तर पर सभी योजनाओं के लिए वन विंडो सिस्टम एवं हेल्प डेस्क की स्थापना। योजना पर मोहल्ला जनसुनवाई सत्र स्थानीय सरकार द्वारा आयोजित किए जाने हैं।
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का समर्थन (STEP) योजना के तहत, प्रशिक्षण मॉड्यूल में ऑनलाइन बैंक लेनदेन और ऑनलाइन विपणन गतिविधियों के बारे में ज्ञान पर विषयों को शामिल करने की आवश्यकता है। STEP योजना प्रशिक्षण मॉड्यूल के तहत सॉफ्ट स्किल और कंप्यूटर कौशल प्रदान करने और जमीनी स्तर तक पहुंच प्रदान करने की आवश्यकता है। STEP योजना के तहत बार-बार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें। बैंक प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा सकते हैं।
- फॉर्म और दस्तावेज़ ऑफ़लाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।
- प्रत्येक योजना के तहत योजनाओं का लाभ उठाने की प्रक्रिया एवं तकनीकी पर एक अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए।

- STEP के तहत महिलाओं को जिला स्तर पर विपणन केंद्र, प्रदर्शनियां, मेले आदि जैसे तैयार बाजार उपलब्ध कराकर सुविधा प्रदान की जा सकती है।

6.7.3 जादवपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल द्वारा 'घरेलू हिंसा से निपटने के सामाजिक-कानूनी आयाम: घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 को लागू करने में चुनौतियाँ' पर शोध अध्ययन

- घरेलू हिंसा पर घर-घर जागरूकता के लिए गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी और स्वयं-सेवी संगठनों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कर्मियों की भागीदारी।
- पुरुषों के लिए भी घरेलू हिंसा की अवैधता पर जागरूक होना जरूरी है। इस मुद्दे पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और पोस्टर और दीवार भित्तिचित्रों (ग्राफिटी आर्ट) में वृद्धि होनी चाहिए।
- पुलिस बल के लिए नियमित लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम अनिवार्य होना चाहिए।
- घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम (PWDVA) के बेहतर प्रभाव से समाज सेवा को मजबूत बनाना। घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा अधिनियम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए समर्पित सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।
- घरेलू हिंसा के मामलों पर काम करने के लिए सेवा प्रदाताओं के लिए वार्षिक धनराशि जारी करना।
- अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले घरेलू हिंसा के मरीजों की पहचान के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पीड़ित महिलाओं के इलाज के लिए अधिक संवेदनशीलता के साथ डॉक्टरों की सहायता करने के लिए मेडिकल स्टाफ को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- अस्पतालों में पीड़ितों को आपातकालीन मनोवैज्ञानिक देखभाल देने के लिए उचित बुनियादी ढांचा होना चाहिए।
- घरेलू हिंसा के मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित विशेष/अलग अदालतें प्रदान करें। घरेलू हिंसा के मामलों से निपटने के लिए विशेष रूप से नामित अदालतों की स्थापना या अधिनियम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए अधिक अदालतों की स्थापना के लिए धन में वृद्धि आवश्यक है।
- आजीविका और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने वाले विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से घरेलू हिंसा के पीड़ितों की आर्थिक स्वतंत्रता के लिए एक आय सृजन कार्यक्रम विकसित करना।
- पारिवारिक परामर्श के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक परामर्श के संदर्भ में पीड़ितों के लिए परामर्श की भूमिका पर जोर दिया गया।

6.7.4 मदुरै कामराज विश्वविद्यालय द्वारा 'तमिलनाडु के संदर्भ में सोशल मीडिया में महिलाओं के प्रति हिंसा की अभिव्यक्ति' पर शोध अध्ययन-

i. केंद्र सरकार:

- अच्छे ऑनलाइन आचरण बनाम बुरे ऑनलाइन आचरण के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता प्राथमिक विद्यालय स्तर से ही शुरू की जा सकती है। साइबर अपराध की रिपोर्ट करने का पहला स्तर संभवतः माता- पिता होंगे। इस प्रकार यह आवश्यक है कि माता-पिता को भी अपनी लड़कियों के लिए अपराध या छोटी असुविधा की

ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए अनुकूल माहौल बनाने के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।

- अध्ययन में केस स्टडी के उदाहरण दर्शाते हैं कि महिलाओं के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग ऑनलाइन पीड़ित महिलाओं के बारे में झूठी और अपमानजनक छवि पेश करने के लिए किया जा रहा है। महिलाओं द्वारा कानूनी रूप से अपराध के खिलाफ लड़ने और अपराधियों को सजा दिलाने के मामले में, प्रसारित अपमानजनक डेटा अभी भी ऑनलाइन प्रसारण में होगा। ऐसे में महिलाओं को इंटरनेट से ऐसे सभी डेटा को डिलीट करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।
- तकनीकी बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित जनशक्ति के साथ साइबर अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए विशेष साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो- आपराधिक जाँच विभाग विंग के समान साइबर अपराध जाँच ब्यूरो देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया जाए।
- सोशल मीडिया से संबंधित साइबर अपराधों की जाँच में अधिक महिला पुलिसकर्मियों को शामिल करने की आवश्यकता है क्योंकि सोशल मीडिया दुरुपयोग की ज्यादातर शिकार महिलाएं हैं।
- महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साइबर अपराध विंग (मुख्यालय) में एक हेल्प लाइन के माध्यम से मनोसामाजिक विशेषज्ञों द्वारा महिला साइबर अपराध पीड़ितों को परामर्श सेवा प्रदान की जा सकती है।
- पीड़ित सहायता कार्यक्रमों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के एक भाग के रूप में शामिल किया जा सकता है।
- साइबर ट्रोलिंग, साइबर बुलिंग आदि जैसे अपराधों से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में विशिष्ट और केंद्रित कानूनों और कानूनी प्रावधानों को शामिल करने की आवश्यकता है।
- वैश्विक पहल 'सुरक्षित इंटरनेट दिवस' के समान डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहने पर अभियानों की एक श्रृंखला आयोजित करने के लिए एक वर्ष में 'राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा दिवस' के लिए विशेष दिन समर्पित किया जा सकता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध ऑनलाइन पोर्टल जैसे मौजूदा कानूनी प्रावधानों के बारे में राष्ट्रव्यापी प्रचार किया जाना चाहिए।
- विभिन्न हैशटैग Stopsufferingincyberspace#, StalkingOnlineisCrime#, TrollingOnlineisCrime# का उपयोग कर इन्हें सोशल मीडिया अभियान बनाकर इंटरनेट पर सक्रिय लोगों के बीच वायरल किया जा सकता है।

ii राज्य सरकार:

- प्रत्येक जिले में साइबर अपराध कक्ष द्वारा 'हेल्पलाइन' नंबरों के समान विशेष व्हाट्सएप नंबर दिए जाएं और नंबरों को महिला सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

- सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बीच साइबर अपराध के बारे में जागरूकता पैदा करके कानूनी निहितार्थों की अज्ञानता को कम किया जाना चाहिए।
- जिला मुख्यालयों में स्थित साइबर कक्ष के पुलिस कर्मियों को संबंधित जिलों के कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में मौजूदा साइबर कानूनों और साइबर अपराध पीड़ितों के लिए कानूनी उपायों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिएं।

iii. स्थानीय स्वशासन:

- स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा साइबर कक्ष के पुलिस कर्मियों को संबंधित जिलों के कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों के पंजीकृत और निवारण किए गए साइबर अपराधों की स्थिति पर एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और अपने संबंधित जिलों के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में साइबर सुरक्षा पर जागरूकता अभियान के लिए साइबर अपराध कक्ष की गतिविधियों की निगरानी करने का निर्देश दिया जाए।
- कॉलेज के छात्रों को 'साइबर सुरक्षा चैंपियन' के रूप में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और स्किट, मीम्स, नुक्कड़ नाटक आयोजित करके, सार्वजनिक सेवा विज्ञापन (पीएसए) का निर्माण करके, पोस्टर और पैम्फलेट वितरित करके छात्रों और स्थानीय समुदाय के बीच जागरूकता पैदा की जा सकती है।
- सभी ग्राम प्रशासनिक अधिकारी (वीएओ) पीड़ित व्यक्तियों को कानूनी उपचार प्राप्त करने में मार्गदर्शन करने के लिए अपने कार्यालयों में एक 'सहायता डेस्क' स्थापित कर सकते हैं। सभी गांवों में स्थित ई-सेवा केंद्र लोगों को राष्ट्रीय साइबर अपराध ऑनलाइन पोर्टल में अपनी शिकायतें दर्ज कराने की सुविधा के लिए एक अलग कंप्यूटर समर्पित करेंगे।

6.7.5 मदुरै इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, तमिलनाडु द्वारा 'महिलाओं के मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता और व्यवहार: तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों के विशेष संदर्भ में एक तुलनात्मक, हस्तक्षेप अध्ययन' पर शोध अध्ययन

I किशोरावस्था काल

किशोरियों की श्रेणी से संबंधित उत्तरदाताओं के बीच मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता और प्रथाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं।

- **व्यक्ति की भूमिका:** एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों में भाग लेकर किशोर मासिक धर्म चक्र को समझ सकते हैं; उन्हें एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) के किशोर गर्ल्स क्लब के सदस्य के रूप में शामिल करें; वे अपनी मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं को दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा कर सकती हैं; किशोर मोबाइल ऐप्स के माध्यम से मासिक धर्म पर नज़र रखने की आदत को बनाए रख सकते हैं, उपलब्ध संसाधनों के साथ स्वच्छता अभ्यास बनाए रखें, विश्वास आधारित प्रतिबंधों के आधार पर मिथकों और वास्तविकता के पीछे के कारण को समझें; मासिक धर्म के दौरान स्वस्थ भोजन की आदत विकसित करें।
- **परिवार के सदस्यों और माता-पिता की भूमिका:** परिवार के सदस्य अपने घर में शौचालय बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के प्रावधान का लाभ उठाने के लिए पहल

कर सकते हैं; माता-पिता विशेष रूप से मां मासिक धर्म के बारे में उन्हें शिक्षित कर सकती हैं और अपने अनुभव साझा कर सकती हैं, उन्हें नियमित मासिक धर्म चक्र के लिए मार्गदर्शन कर सकती हैं। मासिक धर्म के दौरान होने वाले परिवर्तनों को समझाने के लिए माता-पिता को उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और परिवर्तनों से उबरने में उनकी मदद करनी चाहिए; माता-पिता को यह समझना चाहिए कि सामान्य मासिक धर्म को स्थगित करने की आदत किशोरियों के लिए स्वास्थ्य समस्या का कारण बनती है, मासिक धर्म के दौरान किशोरियों को अधिक पारिवारिक सहायता दी जाएं।

- **एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) की भूमिका:** संचालन के लक्ष्य क्षेत्र में एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) किशोरियो के विकास का निगरानी डेटा बनाए रख सकता है, एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) और स्कूलों के माध्यम से मासिक धर्म, मासिक धर्म चक्र के बारे में जागरूकता पैदा करें; मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं - कारण, परिणाम, लक्षण और निवारक उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करें, एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) द्वारा दिए गए सैनिटरी नैपकिन की गुणवत्ता में सुधार, एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) किशोरियों के मासिक धर्म स्वास्थ्य डेटा को इकट्ठा कर सकता है जिसमें किशोरियो के मासिक धर्म स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को समझने के लिए मासिक धर्म की उम्र, मासिक धर्म चक्र की अवधि, मासिक धर्म का पैटर्न शामिल है, माताओं और किशोरियो के लिए समुदाय आधारित स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम किशोर लड़कियों की जागरूकता के स्तर में सुधार कर सकते हैं।
- **शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका:** शैक्षणिक संस्थानों को चाहिए कि यौन शिक्षा के बारे में ज्ञान और जागरूकता प्रदान करने के लिए निम्न बातों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। शैक्षणिक संस्थान के बुनियादी ढांचे, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं में सुधार करें; सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन और इंसिनिरेटर(भस्मक) का उचित रखरखाव बनाए रखें; छात्रों को मासिक धर्म चक्र, मासिक धर्म स्वास्थ्य समस्याओं और व्यावहारिक-स्वच्छता के बारे में जागरूक करें; छात्रों को मासिक धर्म स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करें; स्कूलों में छात्रों को मासिक धर्म स्वास्थ्य और प्रजनन स्वास्थ्य और महिला स्वास्थ्य में इसके महत्व के बारे में सिखाने के लिए एक साप्ताहिक विशेष कक्षा हो सकती है। सरकारी विद्यालयों में स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय में पढ़ने वाली किशोरियों को यौन शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किये जाने चाहिएं; मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को एक विषय के रूप में जोड़ा जाना चाहिए; मासिक धर्म उत्पादों के निपटान, अवधि उत्पादों के प्रकार जैसे विभिन्न पहलुओं पर किशोर लड़कियों के बीच व्यावहारिक कक्षाएं आयोजित करनी चाहिएँ। बहुत से किशोरियों को मासिक धर्म कप के उपयोग की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं हैं। सरकार को प्रत्येक स्कूल और कॉलेजों में मासिक धर्म कप और टैम्पोन के उपयोग के बारे में डेमो क्लास प्रदान करनी चाहिए। के विद्यालय में स्वास्थ्यजनक परिवेश बनाकर रखा जाए।
- **गैर सरकारी संगठनों की भूमिका:** गैर सरकारी संगठन बेहतर आवास सुविधा के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे उपलब्ध सरकारी कार्यक्रमों के बारे में लोगों को जागरूकता प्रदान कर आवास की कमी जैसे स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों की समस्या का समाधान कर सकते हैं; महिलाओं को उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के

कारण होने वाले स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के माध्यम से परिवार की महिलाओं को स्वरोजगार-प्रशिक्षण प्रदान करें; गैर सरकारी संगठन लोक मीडिया के उपयोग के माध्यम से व्यवहार में स्वच्छता के विषय में और सफाई से न रहने पर सामने आने वाली समस्याओं के विषय में जानकारी दें; किशोरों को विभिन्न प्रकार के मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM), इसके गुण और दोष आदि के बारे में जागरूक करें, इस प्रकार उन्हें मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) से परिचित कराया जा सकता है; किशोर लड़कियों के माता-पिता को विश्वास आधारित प्रतिबंधों के पीछे के कारणों के बारे में शिक्षित करें; किशोरों को पुन: प्रयोज्य सैनिटरी पैड/प्राकृतिक सैनिटरी नैपकिन प्रदान करें और उन्हें इसका उपयोग करने के तरीके का मार्गदर्शन करें, मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता, समस्याओं, आदतों और व्यवहार से संबंधित गैर सरकारी संगठनों द्वारा छोटे शोध अध्ययन किए जा सकते हैं।

- **सरकार की भूमिका:** राज्य के सभी हिस्सों में कल्याण कार्यक्रमों का विस्तार करना, विशेष रूप से स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों में सुधार के लिए कल्याण कार्यक्रम, निगम जल की स्वच्छता सुनिश्चित करें। पानी की गुणवत्ता की समय-समय पर निगरानी, परीक्षण एक अधिदेश है, सरकारी तंत्र को गाँव में सामुदायिक शौचालयों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता है, सरकार किशोरियों के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के माध्यम से मुफ्त सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए तमिलनाडु सरकार के पुदु युगम कार्यक्रम जैसे विशेष कार्यक्रम विकसित कर सकती है; आम स्थानों पर मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) की वेंडिंग मशीन के लिए कियोस्क की स्थापना और इसका उचित रखरखाव समय की मांग है।

II. युवा वयस्कता अवधि

युवा वयस्कता अवधि श्रेणी से संबंधित उत्तरदाताओं के बीच मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता और व्यवहारों में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं-

- **व्यक्तियों की भूमिका:** युवा वयस्कता अवधि की महिलाएं किशोर लड़कियों को मासिक धर्म स्वच्छता व्यवहारों के बारे में शिक्षित कर सकती हैं। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) के उचित उपयोग और इसके निपटान के तरीकों, मासिक धर्म स्वास्थ्य समस्याओं और इनका सामना करने की रणनीतियों आदि जैसे विषयों पर दिशानिर्देश दिए जा सकते हैं; उन्हें विशेष रूप से अपनी गर्भावस्था अवधि और स्तनपान चरण के दौरान एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS), प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्र (PHC) आदि के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता है। महिलाओं को वार्षिक जाँच की आदत विकसित करने की आवश्यकता है और जो महिलाएं 30 वर्ष से अधिक उम्र की हैं उन्हें पैप स्मीयर परीक्षण और मैमोग्राफी परीक्षण अवश्य कराना चाहिए, प्रत्येक महिला को अपनी प्रजनन प्रणाली के बारे में जानना चाहिए और उसकी कार्यप्रणाली और गतिविधियों के बारे में जागरूक होना चाहिए। इससे महिलाओं को समस्याओं का विश्लेषण करने और प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में अपनी आदत बदलने में मदद मिलेगी।
- **गैर सरकारी संगठनों की भूमिका:** गैर सरकारी संगठन (NGO) भी मासिक धर्म क्लब बनाने में लोगों की मदद कर सकते हैं। मासिक धर्म से संबंधित समस्याओं और चुनौतियों को साझा करने में झिझक और असुरक्षाओं से बचने के लिए मासिक धर्म

क्लब के सदस्य हर महीने खुली चर्चा के लिए मिल सकते हैं; ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से जागरूकता पैदा करना, रजोनिवृत्ति और लक्षणों के प्रति तैयारी कैसे करें, इसके बारे में पैम्फलेट और अन्य सूचना,शिक्षा और संचार(IEC) सामग्री वितरित करना; निःशुल्क चिकित्सा शिविर, विशेषकर महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर समय-समय पर आयोजित किए जा सकते हैं। इससे मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं, यदि कोई हो उसका पता लगाने और सावधानी बरतने में मदद मिलेगी, स्वैच्छिक संगठन माताओं को शिक्षित कर सकता है और उन्हें अपनी बेटी को स्वच्छ मासिक धर्म तरीकों के बारे में शिक्षा देने, उसे पर्याप्त पोषण प्रदान करने और घरेलू बजट में मासिक धर्म सहायता को प्राथमिकता देने आदि के लिए तैयार करने; स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों के सहयोग से हर गांव में युवा वयस्क आयु वर्ग के लिए EKTA, तमिलनाडु महिला विकास ट्रस्ट जैसे समुदाय आधारित संगठनों द्वारा रजोनिवृत्ति पर जागरूकता आयोजित करने की आवश्यकता है; गैर सरकारी संगठन सैनिटरी नैपकिन तैयार करने सहित स्व-रोज़गार कार्यक्रमों के लिए महिलाओं के छोटे समूह बना सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और आंगनबाड़ियों के सहयोग से संचालन क्षेत्र की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बेचे जा सकता है।

- **सरकार की भूमिका और नीतिगत निहितार्थ:** सरकार को मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी है। दृश्य, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से, मासिक धर्म कप, टैम्पोन आदि जैसे अन्य मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM) के लाभों को पेश करने के लिए और अधिक प्रयास किए जा सकते हैं; मासिक धर्म और प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं और जरूरतों से निपटने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC), आंगनबाड़ियों, महिला स्वास्थ्य केंद्रों, स्वैच्छिक संगठनों, समुदाय आधारित संगठनों के संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है; सरकार को सभी महिलाओं के लिए प्रजनन स्वास्थ्य बीमा प्रदान करके युवा वयस्कता की निवारक देखभाल को बढ़ाना होगा। महिलाओं में अन्य प्रजनन रोगों की संभावना अधिक होती है, इसलिए स्वास्थ्य और स्वच्छता सेवाओं को प्रजनन स्वास्थ्य बीमा में शामिल किया जाना चाहिए; सरकार को मासिक धर्म स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में पेशेवर रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त करना होगा; प्रारंभिक चरण में ही मासिक धर्म संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देना; ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी महिलाओं को सैनिटरी उत्पादों का मुफ्त वितरण सुनिश्चित करें, विशेष रूप से सैनिटरी बैंक को सामान्य स्थानों पर स्थापित करें और इसका उचित रखरखाव सुनिश्चित करें।

III उत्तर वयस्कता अवधि

उत्तर वयस्कता अवधि श्रेणी के उत्तरदाताओं के बीच मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता और प्रथाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तावित हैं-

- **व्यक्तियों की भूमिका:** बेहतर प्रजनन स्वास्थ्य, विशेषकर मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए जीवन के शुरुआती चरणों में प्रजनन स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति के बारे में जानने की पहल करें; मासिक धर्म के दौरान उचित आहार-विहार का पालन करने की पहल करें; मासिक धर्म संबंधी कार्यक्रमों में भाग लें; मासिक धर्म की समस्या के बारे में बिना झिझके बोलें; स्वस्थ मासिक धर्म के लिए बच्चे

को शिक्षित करने और परिवार में मासिक धर्म संबंधी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए आरामदायक माहौल बनाने की पहल करें।

- **सरकार की भूमिका:** वयस्क साक्षरता कार्यक्रम को सभी गांवों तक बढ़ाया जा सकता है। इससे उन लोगों के ज्ञान और समझने की क्षमता को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी जो निरक्षर हैं; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों(PHC) और आंगनवाड़ियों के माध्यम से अनियमित मासिक धर्म के कारण के बारे में जागरूकता प्रदान करने, अनियमित मासिक धर्म, रजोनिवृत्ति चरण आदि का प्रबंधन करने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है; उत्तर वयस्कता में उचित मासिक धर्म स्वास्थ्य जाँच के लिए एक कल्याणकारी नीति तैयार करें; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आयुष कार्यक्रम के माध्यम से प्रजनन और मासिक धर्म स्वास्थ्य पर जोर दें; ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों के लोगों की पोषण संबंधी समस्याओं को पूरा करने के लिए मुफ्त भोजन किट कार्यक्रम शुरू किए जा सकते हैं; सभी महिलाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS), के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता सामग्री और स्वास्थ्य मिश्रण प्रदान करना; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों(PHC) और मोबाइल क्लिनिक इकाईयों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पोषण संबंधी स्थिति, शुगर और रक्तचाप जैसी सामान्य जाँच करना; मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता में सुधार के लिए मासिक धर्म स्वच्छता सामग्री के प्रकार तक आसान पहुंच के लिए पहल करें; विभिन्न प्रकार की मासिक धर्म स्वच्छता सामग्री पर प्रिंट, विज़ुअल और सोशल मीडिया के माध्यम से विज्ञापन प्रसारित करें।
- **गैर सरकारी संगठनों की भूमिका:** रजोनिवृत्ति के चरणों, विशेष रूप से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और यौन परिवर्तनों के बारे में जागरूकता पैदा करना; पुन: प्रयोज्य नैपकिन के उत्पादन में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें। स्व-रोज़गार या सूक्ष्म उद्यमिता प्रयास के रूप में, इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करने में मदद मिलेगी।

6.7.6 पांडिचेरी विश्वविद्यालय द्वारा 'समावेश को रोकना: ग्रामीण तमिलनाडु की कन्या भ्रूण-हत्या बेल्ट में महिला सशक्तिकरण का मूल्यांकन' पर शोध अध्ययन

- **ग्रामीण तमिलनाडु में कन्या भ्रूण हत्या:** इस प्रथा के बारे में शादी के बाद महिलाओं के बीच जागरूकता की सीमा का पता लगाने के लिए कन्या भ्रूण हत्या की व्यापकता एकत्र की गई थी। कन्या भ्रूण हत्या की व्यापकता के दो महत्वपूर्ण पहलू यानी शादी से पहले महिलाओं की जागरूकता, शादी के बाद कन्या भ्रूण हत्या के बारे में उनकी जागरूकता से कम है। यह खोज लड़कियों के लिए उनके विवाहित समकक्षों के मुकाबले जागरूकता हासिल करने में लिंग बाधाओं के संचालन को दोहराती है; महिलाओं का प्रवासन कन्या भ्रूण हत्या करने में उनकी संलिप्तता की सीमा निर्धारित करता है। अन्य जिलों से पलायन करने वाली महिलाओं की तुलना में गांव के भीतर विवाहित महिलाएं काफी हद तक कन्या भ्रूण हत्या प्रतिबद्ध होने का दावा करती हैं। इस निष्कर्ष के आधार पर, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रवासन के बावजूद कन्या भ्रूण हत्या बेल्ट में महिलाएं गर्भपात के लिए अतिसंवेदनशील हैं; कन्या भ्रूण हत्या की घटनाएं मुख्य रूप से उन महिलाओं के मामले में होती हैं जिनकी शादी अठारह वर्ष से पहले हो जाती है। तदनुसार, यह निष्कर्ष इस धारणा को मान्य करता है कि कन्या भ्रूण हत्या के प्रसार में बालिका विवाह का काफी हद तक योगदान है। ग्रामीण तमिलनाडु में कन्या भ्रूण हत्या की

घटनाओं में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में बालिका विवाह और किशोर गर्भावस्था को पाया गया है; इस परियोजना के निष्कर्षों ने ज्ञात और रिपोर्ट की तुलना में समय की अवधि में कन्या भ्रूण हत्या बेल्ट में कन्या का गर्भपात के अभ्यास में निरंतरता स्थापित की; गरीबी गर्भपात में लिप्त होने का प्रमुख कारण है।

- **ग्रामीण तमिलनाडु के कन्या भ्रूण-हत्या क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण:** निष्कर्ष दर्शाते हैं कि पंचायत राज में महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में कम है। इन बैठकों से महिलाओं का इस तरह अलगाव इन बैठकों में लैंगिक प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसलिए अधिकांश महिलाओं को पंचायत बैठकों में भाग लेने के साथ-साथ बार-बार उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सर्वेक्षण के आंकड़ों से प्राप्त साक्ष्य आधार, बैंक खाते और परिवार कार्ड के उपयोग के साथ सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता और बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए कानूनी व्यक्ति के रूप में महिलाओं की तैयारी के बारे में बताते हैं। इन निष्कर्षों से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के बारे में निर्णय लेते समय महिलाओं की स्वतंत्रता में बदलाव होता है जिसका गर्भावस्था, प्रसव के मामले में निदान उपचार अस्पताल में भर्ती होने के साथ-साथ कन्या भ्रूण-हत्या और कन्या भ्रूण-हत्या बेल्ट के अभ्यास के संबंध में अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत, अधिकांश महिलाएं अपने पति के परामर्श से ही अपने बारे में निर्णय लेती हैं। इससे पता चलता है कि कन्या भ्रूण-हत्या बेल्ट में महिलाएं काफी हद तक अपने बारे में निर्णय लेने में कम स्वतंत्र हैं।
- **तमिलनाडु में बेटी बचाओ का कार्यान्वयन:** मौखिक प्रचार को छोड़कर, मीडिया के किसी भी स्रोत ने जिलों में महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया है, क्योंकि महिलाओं द्वारा संचार के अन्य तरीकों के प्रभाव और उपयोग के संदर्भ में काफी भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। जानिए इस योजना के बारे में- यह खोज महिलाओं के लिए जनसंचार के कुछ माध्यमों जैसे मोबाइल, इंटरनेट, समाचार पत्र आदि तक पहुंच की कमी पर भी प्रकाश डालती है। दरअसल, जब इस योजना के बारे में जानकारी देने के लिए लिखित संचार का उपयोग किया जाता है तो निरक्षरता का प्रसार सूचना के प्रसार में एक बड़ी बाधा है। सबसे बढ़कर, इस क्षेत्र की महिलाओं को गैर-हिंदी क्षेत्र में होने वाली भाषाई बाधा से चुनौती मिलती है, जो मौखिक और लिखित संचार के माध्यम के रूप में तमिल पर बहुत अधिक निर्भर रहती हैं; उपरोक्त विश्लेषण से पता चलता है कि बेटी बचाओ योजना का प्रदर्शन काफी हद तक अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका के साथ-साथ मास मीडिया और सोशल मीडिया के उपयोग पर निर्भर है। विशेष रूप से पारंपरिक मानदंडों और सांस्कृतिक प्रतिबंधों से जुड़े FI बेल्ट में, लड़कियों की सुरक्षा के विचार के प्रचार-प्रसार में नई चुनौतियाँ हैं। बेटी बचाओ योजना ने इस योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण प्रगति की है। चूँकि ये रणनीतियाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए उच्च संतुष्टि वाली पाई गई हैं, इसलिए योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ये रणनीतियाँ इस योजना की सफलता के लिए काफी व्यवहार्य हैं।

6.7.7 पी एस जी आर कृष्णम्मल कॉलेज फॉर विमेन, तमिलनाडु द्वारा 'संगठित क्षेत्र में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले भावनात्मक दुर्व्यवहार के मुद्दे और चुनौतियाँ ' पर शोध अध्ययन

- सरकार को संगठनों में पॉश (POSH) समिति के प्रभावी कामकाज को सुनिश्चित करना चाहिए और नियमित अंतराल पर इसकी निगरानी करनी चाहिए।
- लैंगिक समानता उपायों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अलावा, संगठनों को कर्मचारियों के व्यवहारों के बारे में बार-बार शिक्षित और सूचित करने के लिए कदम उठाने में

और भी अधिक सक्रिय होना होगा, जिन्हें कार्यस्थल में सहन नहीं किया जाएगा और जिन्हें न केवल कार्यस्थल पर प्रचारित किया जाना चाहिए। मासिक या वार्षिक प्रशिक्षण चक्रों के दौरान बल्कि पूरे वर्ष सभी कर्मचारियों और छोटी टीम की बैठकों, आंतरिक कंपनी संचार आदि में प्रचारित किया जाना चाहिए।

- सरकारी संगठनों में विशेष प्रशिक्षित बाहरी व्यक्तियों या शिक्षाविदों के माध्यम से लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने में सहायता कर सकती है और स्थानीय जिला और राज्य शासी निकायों द्वारा इसकी निगरानी की जा सकती है।
- किसी भी संगठन में कर्मचारियों को हिंसा के अपने अनुभवों को संबोधित करने के लिए बारी-बारी से आने का अवसर प्रदान करने की सिफारिश की जाती है और यदि आवश्यक हो तो संगठनों के पास प्रदर्शन के बजाय व्यवहार के आधार पर कर्मचारियों को अन्य भूमिकाओं में स्थानांतरित करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश होने चाहिए।

6.7.8 राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात द्वारा 'गुजरात में महिला पुलिस कर्मियों की प्रजनन विकल्पों का एक अध्ययन' पर शोध

- पुलिस स्टेशन/यूनिट स्तर पर महिला पुलिसकर्मियों के लिए शौचालय/विश्राम कक्ष के रूप में मूल ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। 'बंदोबस्त' और फील्ड ड्यूटी के दौरान महिला पुलिस कर्मियों के लिए पोर्टेबल शौचालय उपलब्ध कराने की आवश्यकता।
- विभाग द्वारा प्रदान किया जाने वाला मातृत्व अवकाश कई महिला पुलिसकर्मियों के लिए गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद व्यापक रूप से फायदेमंद होता है। उनके कार्यस्थल पर फीडिंग रूम और क्रेच सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- प्रजनन विकल्पों को प्रतिबिंबित करने वाली विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों और नियमों पर जानकारी प्रसारित करने के लिए पुलिस विभागों द्वारा उचित प्रचार या विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।
- लिंग-संवेदनशील कार्यस्थल विकसित करने की आवश्यकता है, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों को अपने वरिष्ठों और अन्य प्रभावशाली अधिकारियों के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति हो। लिंग-संवेदीकरण कार्यशालाओं के माध्यम से कार्यस्थल पर लिंग-भेदभाव को दूर करने की आवश्यकता है।
- गर्भावस्था के दौरान कार्यस्थल पर नियमित चिकित्सा जाँच सेवा जैसी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। माता-पिता और मातृत्व देखभाल के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बढ़ावा देना चाहिए।
- महिला पुलिस कर्मियों की गर्भावस्था के दौरान एम्बुलेंस सेवा और आपातकालीन सहायता को बढ़ावा देना। ऑन-साइट या आस-पास स्तनपान सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। योग और ध्यान शिविरों या सत्रों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है।
- कार्य-जीवन संतुलन पर प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल परामर्श चाहने वाली महिलाओं के खिलाफ कलंक और भेदभाव का मुकाबला करें।
- अध्ययन में पाया गया कि समय की कमी और छुट्टी की कमी के कारण महिला पुलिसकर्मियों को अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखने में समस्याओं का सामना करना पड़

रहा है। इसलिए उन्हें परामर्श प्रदान करने की आवश्यकता है जो उनके काम और परिवार को प्रबंधित करने में मदद करेगी।

- अध्ययन में पाया गया कि कई महिला पुलिसकर्मी, माता-पिता, पति और ससुराल वाले उनके लंबे समय तक काम करने और पुरुषों के साथ काम करने के कारण उनके पेशे से खुश नहीं थे। ये स्थितियाँ परिवार में दुःख का कारण बनती हैं। अत: उनके लिए समय-समय पर परामर्श सत्र की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

6.7.9 कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 'ए रेड डॉट एंड साइकल ऑफ़ बर्थ' : युवा वयस्कों के प्रजनन विकल्प' पर शोध अध्ययन

- क्षेत्र से प्राप्त साक्ष्यों से पता चलता है कि यदि आशा की सदस्याएँ दौरों के समय गर्भनिरोधक के बारे में चर्चा करती हैं तो आधुनिक गर्भ निरोधकों के उपयोग की संभावना में आश्चर्यजनक रूप से सुधार होता है, जो मौजूदा नीति ढांचे और हस्तक्षेप रणनीतियों की क्षमता को साबित करता है। हालाँकि, आशा की सदस्यों द्वारा दौरे के दौरान मुख्य रूप से बच्चों के टीकाकरण और मातृत्व लाभों के बारे में चर्चा की जाती है, जबकि वे शायद ही कभी गर्भनिरोधक, जन्म-अंतराल, नसबंदी और मासिक धर्म संबंधी समस्याओं के बारे में बात करती हैं। इसके अलावा, तस्करी के माध्यम से लाई गई तथा व्यावसायिक यौनकर्मी महिलाओं जैसी हाशिए पर रहने वाली (marginalized) महिलाओं का स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ या स्वास्थ्य सुविधाओं से (क्योंकि वे शायद ही इनका लाभ उठाती हैं) कोई संपर्क नहीं होता है। अधिकांशतः अपने घर से दूर रहने के कारण वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल नहीं कर पाती हैं। सरकार (राज्य और पंचायत/नगर पालिकाओं) को तत्काल प्रभाव से इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नीतिगत हस्तक्षेप में पूर्ण बहिष्कार इन महिलाओं को और भी अधिक असुरक्षित और हाशिए पर रखता है। कठिन भौगोलिक और पर्यावरणीय रूप से खतरनाक इलाकों में रहने वाली महिलाओं को भी इसी तरह के बहिष्कार का सामना करना पड़ता है।
- अध्ययन से पता चलता है कि एक बार जब युवा महिलाएं मासिक धर्म स्वास्थ्य योजना के संपर्क में आ जाती हैं, तो वे शादी के बाद भी बेहतर उत्पादों का उपयोग करना जारी रखती हैं, जो लड़कियों के बीच सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन का संकेत देता है। सरकार को सभी राज्यों में इस कार्यक्रम का दायरा बढ़ाने के लिए और कदम उठाने चाहिएं। सब्सिडी वाले सैनिटरी नैपकिन को लोकप्रिय बनाने के साथ-साथ क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक निपटान विधि के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण को नियंत्रित करने के लिए जैव-निम्नीकरणीय नैपकिन और भस्मक के उत्पादन को अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। कर अवकाश और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन अपेक्षित हैं।
- हस्तक्षेप का दूसरा संभावित क्षेत्र वयस्क शिक्षा कार्यक्रमों की तत्काल आवश्यकता है। तथ्य यह है कि युवा लड़कियों की शिक्षा उन्हें मासिक धर्म संबंधी बाध्यताओं से नहीं बचा सकती और वे मिथकों और बुजुर्ग सदस्यों (ज्यादातर मां या सास) के विचारों पर विश्वास करना जारी रखती हैं। इसके अतिरिक्त, किशोरों को जागरूकता सृजन, जीवन कौशल, यौन शिक्षा के साथ-साथ निरंतर मनोवैज्ञानिक परामर्श पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।
- स्थानीय स्तर की प्रतिष्ठित लड़कियाँ जिन्होंने खुद को सुस्थित किया है, उन्हें लैंगिक समानता के लिए अभियान चलाने के लिए रोल मॉडल के रूप में चित्रित किया जा सकता है। हालाँकि, बेटों पर आर्थिक और वित्तीय निर्भरता से उत्पन्न बेटे की प्राथमिकता को केवल तभी कम किया जा सकता है जब महिलाओं को अधिक से अधिक श्रम शक्ति में शामिल किया जाए।

6.7.10 कश्मीर में घरेलू हिंसा पर शोध अध्ययन: महिलाओं के अधिकारों को लागू करने के लिए कानूनी ढांचा, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित

- महिलाओं को संवैधानिक अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के प्रावधानों के बारे में शिक्षित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। निर्णय लेने में समानता और सशक्तिकरण के लिए समान शिक्षा, शिक्षा क्षेत्र में एक जोर देने वाला क्षेत्र हो सकता है।
- आत्मनिर्भरता के उद्देश्य को क्रियान्वित करने के लिए व्यावसायिक केन्द्रों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों द्वारा महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि महिलाएँ कम उम्र में ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।
- इसके साथ ही, घरेलू हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए वयस्क शिक्षा के रूप में व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। कानूनी प्रवर्तन एजेंसियाँ पीड़ित लोगों को व्यावसायिक वयस्क शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्रों से जोड़ सकती हैं।
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत अधिकार, कानूनी सहायता की उपलब्धता और सुरक्षा अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और अन्य एजेंसियों की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करना। एजेंसियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम और प्रशिक्षण आयोजित करना। 25 नवंबर, घरेलू हिंसा पर संवाद पैदा करने के लिए स्कूलों और सरकारी संस्थानों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा सकता है।
- घरेलू घटनाओं से संबंधित रिपोर्ट (DIR) के पंजीकरण से लेकर मामलों के निपटान तक जिम्मेदारी और जवाबदेही की कमी के कारण होने वाले अंतराल को ठीक करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है।
- अध्ययन में सहायता प्रणालियों और सुरक्षा प्रणालियों की उपलब्धता में अंतर पाया गया और दिन-प्रतिदिन के मामलों में चुनौतियों को दूर करने और एक सभ्य जीवन जीने का अनुरोध किया गया। सहायता प्रणाली को समग्र दृष्टिकोण के साथ विस्तारित करने की आवश्यकता है।
- कश्मीर में पीड़ितों के लिए नारी निकेतन केंद्र, वन स्टॉप सेंटर और अन्य आश्रय गृहों की स्थापना शुरू की जाए। आश्रय गृहों में रहने की अवधि को कम से कम 20 दिनों तक बढ़ाने की आवश्यकता है। एजेंसियों, सिविल सोसायटी और कानूनी सेवाओं के बीच समन्वय और उत्तरदायित्व- मोहल्ला समिति को लिंग-अनुकूल वातावरण के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई के रूप में मान्यता देना अपरिहार्य माना जाता है ।

6.7.11 महिला सुरक्षा ऑडिट सर्वेक्षण

- आयोग ने टियर-II भारतीय शहरों में महिला सुरक्षा ऑडिट सर्वेक्षण की शुरूआत की जिसका लक्ष्य नमूना सर्वेक्षण तथा केंद्रिति समूह चर्चा(FGDs) के आधार पर शहरों में सार्वजनिक स्थलों तथा कार्य-स्थलों में महिलाओं द्वारा अनुभव की गई सुरक्षा की भावना की जानकारी लेना था। इस सर्वेक्षण के माध्यम से आयोग शहरों के भौतिक एवं सामाजिक-आर्थिक परिवेश में सहभागी दृष्टिकोण से अंतर की पहचान करना चाहता था ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षित सार्वजनिक एवं कार्य-स्थलों को सुनिश्चित किया जाए जिससे महिलाएँ समाज में धमकी या अवांधित व्यवहार से निडर रहें।
- वर्ष 2022-23 के दौरान गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, कोयंबतूर, जोधपुर, औरंगाबाद, ग्वालियर, रायपुर, रांची, मेरठ, वसई, विरार तथा आसनसोल राज्यों को सर्वेक्षण कार्य दिया गया। सर्वेक्षण अध्ययन के आंकड़ों का संकलन डिजिटल इंडिया कारपोरेशन-इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से रा.म.आ द्वारा विकसित एप्लिकेशन के द्वारा किया जाएगा।

*****

अध्याय -7

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहल

7.1 महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम:-

क) मणिपुर में महिला व्यापारियों का क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम (जुलाई, 2022):-

मणिपुर की महिला उद्यमियों की ऊंची उड़ान और व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए और उनकी क्षमता का प्रयोग करने और उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं की व्यापक पहुंच और अन्यों से तुलना के लिए सक्षम करने के उद्देश्य से मणिपुर राज्य महिला के सहयोग से 5 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। महिला व्यापारियों को उन्नत उत्पादन और सामूहिक विपणन क्षमताओं के माध्यम से उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए संगठित किया गया था। इसमें उनके जीवन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया ताकि उनके लिए अधिक उद्यमशीलता के अवसर पैदा किए जा सकें और उनकी आजीविका, सामाजिक सुरक्षा और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार हो सके।

कार्यक्रम का शीर्षक	माह (2022)	कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	पूर्ण/पूर्ण किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या
मणिपुर में महिला व्यापारियों का क्षमता निर्माण - मणिपुर राज्य महिला आयोग का सहयोग।	जुलाई, 2022	5	इंफाल: 05.07.2022	100
			उखरुल : 15.07.2022	100
			निंगथौखोंग : 22.07.2022	100
			सेकमाई: 25.07.2022	100
			चंदेल : 11.08.2022	100

7.2 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के तहत छात्रों की एक्सपोजर ट्रिप:-

क. नागालैंड के छात्रों का दौरा (6 से 10 जून, 2022):

आयोग ने 6 से 10 जून, 2022 तक नागालैंड के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ने वाली दस लड़कियों की यात्रा प्रायोजित की और उनकी मेजबानी की। यात्रा का उद्देश्य उन्हें सरकारी संस्थानों/राष्ट्रीय आयोगों के कामकाज के साथ-साथ दिल्ली में सार्वजनिक हित और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। छात्रों ने संसद भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय, विभिन्न राज्य भवनों, राष्ट्रीय आयोगों जैसे अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPRCR), नेशनल सेंटर फॉर सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी(NCST) और दिल्ली पुलिस के उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए विशेष पुलिस (SPUNER) का दौरा किया। उन्हें माननीय कानून एवं न्याय मंत्री, श्री किरेन रिजिजू से मिलने और बातचीत करने का भी अवसर मिला। पूरी यात्रा का मुख्य आकर्षण माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बैठक थी जहां उन्होंने उत्तर पूर्व के लिए उनके दृष्टिकोण, नागालैंड में उनके अनुभवों और दैनिक जीवन में योग का महत्व सहित कई विषयों पर चर्चा की और माननीय प्रधान मंत्री के विचार जाने। संपूर्ण एक्सपोज़र यात्रा ने न केवल विभिन्न संस्कृतियों और दृष्टिकोणों के बारे में उनकी समझ को बढ़ाया, बल्कि उनके समग्र विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिससे उनका आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ी।

ख. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के छात्रों का दौरा (1 से 6 अगस्त, 2022)

आयोग ने 1 से 6 अगस्त, 2022 के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से दस लड़कियों (18 वर्ष और उससे अधिक) को आमंत्रित किया। एक्सपोज़र विजिट उनके समग्र विकास पर केंद्रित था– जिसमें आत्मविश्वास निर्माण से लेकर, उन्हें कैरियर के अवसरों का पता लगाने, उनके आत्मनिर्भर बनने और बदले में दूसरों के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना था।

7.3 सेमिनार एवं अनुसंधान प्रस्ताव (2022-23)

क. सेमिनार

2022-23 में सेमिनारों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता के लिए चयनित विश्वविद्यालयों/संगठनों की सूची:-

क्र.	विश्वविद्यालय/संगठन का नाम	विषय
1.	सिक्किम राज्य महिला आयोग	महिला पुलिस थाने/महिला थाने की भूमिका
2.	इमैनुएल कॉलेज, नागालैंड	दिव्यांग महिलाओं के अधिकार
3.	मॉडर्न कॉलेज, नागालैंड	खेल में महिलाएँ
4.	सेंट क्लैरेट कॉलेज, नागालैंड	महिला पुलिस स्टेशन/महिला थाने की भूमिका
5.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश	खेल में महिलाएँ
6.	केके हांडिकि राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, असम	महिलाओं को न्याय दिलाने में फास्ट ट्रैक अदालतों की भूमिका
7.	तिनसुकिया कॉमर्स कॉलेज, असम	महिलाओं को न्याय दिलाने में फास्ट ट्रैक अदालतों की भूमिका
8.	लिलोंग हैरोबी कॉलेज, मणिपुर खेल में महिलाएं	खेल में महिलाएँ
9.	मणिपुर राज्य आयोग	खेल में महिलाएँ

ख. अनुसंधान

अनुसंधान अध्ययन के लिए 2022-23 में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चयनित विश्वविद्यालयों की सूची:-

क्रमांक	विश्वविद्यालय/संगठन का नाम	विषय
1.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सिलचर	असम अर्धसैनिक बलों में महिलाएं
2.	आईसीएफएआई विश्वविद्यालय त्रिपुरा	महिला पुलिस स्टेशन/महिला थाना (कार्य दक्षता और प्रभावशीलता)
3.	इमैनुएल कॉलेज, नागालैंड	महिला पुलिस स्टेशन/महिला थाना (कार्य दक्षता और प्रभावशीलता)
4.	विवेकानन्द केन्द्र संस्कृति संस्थान, असम	खेल में महिलाएँ
5.	शारीरिक शिक्षा विभाग, त्रिपुरा विश्वविद्यालय	खेल में महिलाएँ
6.	मॉडल क्रिश्चियन कॉलेज, नागालैंड	खेल में महिलाएँ

ग. 14 नवंबर, 2022 को अरुणाप्रदेश में "अरुणाचल प्रदेश में बहुविवाह के मुद्दे का समाधान" पर सेमिनार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अरुणाचल राज्य महिला आयोग के सहयोग से "अरुणाचल प्रदेश में बहुविवाह" पर एक सेमिनार का आयोजन किया, जहां श्री. ए. अशोली चलाई, संयुक्त सचिव,रा.म.आ ने सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया।

*****

अध्याय -8

महिला कल्याण एवं क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ

8.1 राज्य महिला आयोगों के साथ बैठकें:

8.1.1 राज्य महिला आयोगों के पदाधिकारियों के लिए नेतृत्व विकास कार्यक्रम:

आयोग ने 21 से 23 अप्रैल 2022 तक वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, एमआईटी, पुणे में राज्य महिला आयोगों के पदाधिकारियों के लिए 3 दिवसीय नेतृत्व विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में 17 राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों और सदस्य सचिवों सहित कुल 58 पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तकनीकी सत्रों में शामिल हैं:

क) नेतृत्व में महिलाएँ;

ख) पारंपरिक कार्यों से आगे बढ़ना;

ग) महिला नेताओं के लिए जीवन-कौशल (उच्चस्तरीय सोच कौशल जैसे रचनात्मक सोच, आलोचनात्मक सोच आदि)

घ) महिला नेताओं के लिए जीवन कौशल (सामाजिक कौशल जैसे अंतर-वैयक्तिक संबंध, निर्णय लेना, समस्या का निदान आदि)

ड) महिला नेताओं के लिए जीवन-कौशल (स्व-प्रबंधन कौशल जैसे तनाव प्रबंधन, भावनाओं का प्रबंधन, आदि)

च) महिला एवं शासन एक अवलोकन/समीक्षा

छ) पारिवारिक न्यायालय एवं न्यायिक प्रक्रिया

ज) नीतिगत और मीडिया रणनीतियाँ

8.1.2 राज्य महिला आयोगों के साथ दूसरी इंटरैक्टिव बैठक: (28 एवं 29 जुलाई, 2022): राष्ट्रीय महिला आयोग ने 28 से 29 जुलाई, 2022 तक विशाखापत्तनम, आंध्रप्रदेश में राज्य महिला आयोगों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 की दूसरी इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की। रा.म.आ की माननीय अध्यक्ष रेखा शर्मा की अध्यक्षता में सुश्री मीता राजीवलोचन, तत्कालीन सदस्य सचिव, रा.म.आ के साथ बैठक शुरू की गई। बैठक में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मणिपुर,

नागालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम और पश्चिम-बंगाल राज्यों में कार्यरत 13(तेरह)राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों और सदस्य सचिवों ने भाग लिया।

बैठक की कार्यसूची:

क) 2021-22 में रा.म.आ द्वारा स्वीकृत कार्यक्रमों के संबंध में हुए काम की प्रगति

- शिक्षा, आईटी और औद्योगिक क्षेत्र (मुख्य रूप से कपड़ा) में आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए कार्यशाला;
- कानूनी जागरूकता कार्यक्रम;
- निःशुल्क कानूनी सहायता क्लिनिक की स्थापना;
- मानव तस्करी विरोधी इकाईयों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन।

ख) महिलाएँ और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030: लक्ष्य हासिल करने में मदद के लिए राज्य महिला आयोगों द्वारा की गई कार्रवाई;

ग) 14 टियर II भारतीय शहरों में महिला सुरक्षा संपरीक्षा आयोजित करने की पहल में रा.मआ की सहायता करना;

घ) सुगढ़ प्रणाली को साझा करना।

8.1.3 राज्य महिला आयोगों के साथ तीसरी इंटरैक्टिव बैठक: राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के सहयोग से 22 दिसंबर, 2022 को देहरादून उत्तराखंड में राज्य महिला आयोगों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की। बैठक में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, त्रिपुरा, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कार्यरत 11 राज्य महिला आयोग के पदाधिकारियों ने भाग लिया।

8.1.4 राज्य महिला आयोगों के साथ चौथी इंटरैक्टिव बैठक: राष्ट्रीय महिला आयोग ने 13 मार्च, 2023 को राज्य महिला आयोगों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 की चौथी इंटरैक्टिव बैठक और राज्य महिला आयोग, फरीदाबाद, हरियाणा के सहयोग से 14 मार्च, 2023 को राज्य महिला आयोगों के पदाधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता रा.म.आ की माननीय अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने की। बैठक में हरियाणा, केरल, ओडिशा, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम में कार्यरत 10 राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, सदस्यों और सदस्य सचिवों ने भाग लिया।

दो दिवसीय बैठक की कार्यसूची नीचे दी गई है:

i. तीसरी इंटरैक्टिव (परस्पर-संवादी) बैठक में रा.म.आ द्वारा सुझाए गए हित के क्षेत्रों पर राज्य महिला आयोगों द्वारा की गई कार्रवाई।

ii. शिकायतकर्ताओं के साथ व्यवहार करते समय लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण की आवश्यकता पर सत्र; सुश्री मीनाक्षी गुप्ता, भारत की उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सेवानिवृत्त) द्वारा।

iii. जी20 और उस के महिला नेतृत्व विकास के एजेंडे को समझने पर सत्र: राज्य महिला आयोगों को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करना; श्रीमती कांता सिंह उप प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा।

iv. कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम,2013) पर सत्र एडवोकेट रितु कपूर द्वारा ।

v. नेतृत्व में महिलाओं पर सत्र: सकारात्मक परिवर्तन को प्रेरित करना; सुश्री स्वाति यादव,निदेशक ब्यूरो ग्रुप ऑफ स्कूल्स।

बैठक का एजेंडा शिकायत प्रबंधन के अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग और राज्य महिला आयोगों द्वारा महिलाओं के समग्र विकास केलिए की गई प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करना था। समूह ने संभावित कार्यक्रम पर भी चर्चा की जो हमारे समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्ग जैसे यौनकर्मियों और तीसरे लिंग के मुद्दों के समाधान के लिए उठाया गया है।

8.2 भारत में महिला सशक्तिकरण और उत्प्रेरक के रूप में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पर परामर्श: भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग ने 15 सितंबर, 22 को मुंबई में मानक औद्योगिक निकायों और प्रमुख कॉर्पोरेट फाउंडेशनों के प्रमुखों के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की। परामर्श का उद्देश्य महिलाओं के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फंड के उपयोग को समझना और योजना बनाना था। बैठक की अध्यक्षता रा.म.आ की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा द्वारा की गई। बैठक में नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पर गठित भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष श्री अशांक देसाई, रा.म.आ की तत्कालीन सदस्य सचिव सुश्री मीता राजीवलोचन और नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पर गठित भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की राष्ट्रीय समिति की सह-अध्यक्ष सुश्री रुमझुम भी प्रतिभागी रहीं। परामर्श में 32 कॉरपोरेट के भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) प्रमुखों ने भाग लिया।

8.3 W20 हितधारकों की बैठक: भारत की अध्यक्षता और सरकार के एजेंडे के साथ तालमेल बिठाने के लिए, महिला-नेतृत्व विकास- हमारे प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण पर विशेष रूप से राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने यहां पहली W20 हितधारकों की बैठक का आयोजन मुख्यालय में 7 अक्टूबर 2022 को किया। बैठक की अध्यक्षता सुश्री रेखा शर्मा, अध्यक्ष रा.म.आ के साथ-साथ सुश्री मीता राजीवलोचन, तत्कालीन सदस्य सचिव रा.म.आ ने की और डॉ पाम राजपूत भारत के वर्तमान एचओडी तथा वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष द्वारा इंडोनेशिया W20 प्रेसीडेंसी में भेदभाव से मुक्ति पर किया गया। विविध समूह के प्रतिष्ठित वक्ताओं और विशेषज्ञों ने बैठक में भाग लिया, जो हाइब्रिड मोड में थी। अधिकांश प्रतिभागियों ने बड़ी संख्या में जमीनी स्तर की महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया जिनके साथ उन्होंने सीधे काम किया।

बैठक मुख्य रूप से निम्नलिखित एजेंडा बिंदुओं पर केंद्रित थी:

क. W20 भारत- प्राथमिकता वाले मुद्दे;

ख. W20 को आगे बढ़ाने की रणनीतियाँ;

ग. हितधारकों को शामिल करना।

8.4 **5 वां पोषण माह उत्सव:** 'पोषण अभियान' के तहत पांचवें राष्ट्रीय पोषण माह (सितंबर 2022) के उत्सव को ध्यान में रखते हुए आयोग ने पूरे महीने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

क) तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम में कार्यरत 10 राज्य महिला आयोगों के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए; जागरूकता कार्यक्रमों के विषय थे:

- महिला और स्वास्थ्य या महिलाओं का स्वास्थ्य और कल्याण - महिलाओं और लड़कियों के लिए समानता
- पोषण पंचायत- जमीनी स्तर पर कुपोषण से निपटने के लिए पंचायतों को शामिल करना
- जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं और बाल स्वास्थ्य के लिए पारंपरिक भोजन
- लैंगिक संवेदक जल प्रबंधन

ख) **गैर-कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली (NCWEB):** के सहयोग से जागरूकता कार्यक्रम: आयोग ने जागरूकता पैदा करने, पोषण की स्थिति को बढ़ावा देने और छात्रों की रचनात्मक प्रवृत्ति का पता लगाने के उद्देश्य से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए। जागरूकता कार्यक्रमों के विषय था:

- माई प्लेट चैंपियन- पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता
- शैक्षिक प्रदर्शन काउंटर- आप जो खाते हैं वही आप हैं
- पौष्टिक आहार प्रतियोगिता- सांस्कृतिक खाद्य परंपराओं पर प्रकाश डालें

ग) **पौष्टिक आहार जागरूकता कार्यक्रम:** 30 सितंबर, 2022 को रा.म.आ के कर्मचारियों के लिए अलग से एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

8.5 **मासिक धर्म स्वच्छता दिवस ड्राइव: 28.05.2022- 31.05.2022:** विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के हितों की रक्षा, प्रचार को और आगे बढ़ाने के अपने आदर्श वाक्य के अनुसरण में दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मास (एसपीवाईएम) और मित्र मंच के सहयोग से दिल्ली भर में शेल्टर होम/झुग्गी बस्तियों में रहने वाली महिलाओं के बीच जागरूकता के लिए 28 मई, 2022 से 31 मई, 2022 के बीच 'मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता शिविर' और 'नुक्कड़ नाटक' का आयोजन किया।

क) SPYM होमलेस शेल्टर द्वारा प्रबंधित 'मासिक स्वास्थ्य जागरूकता शिविर' 28 मई, 2022 को सुबह 8.30 बजे से बंगला साहिब, 31 मई, 2022 को सुबह 10 बजे मुनिरका और 31 मई, 2022 को सराय काले खान में स्थित 3 अलग-अलग आश्रय घरों में आयोजित किए गए थे। जागरूकता शिविरों में उपस्थित विशेषज्ञों ने महिलाओं के बीच मासिक धर्म स्वच्छता के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया और महिलाओं के साथ एक-एक करके बातचीत की, मासिक धर्म से संबंधित कई मिथकों को तोड़ दिया और महिलाओं को किसी भी चीज़ से पहले अपने स्वास्थ्य और कल्याण की देखभाल करने के लिए प्रेरित किया।

विचार-विमर्श के बाद प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित किए गए जिसमें प्रतिभागियों ने उन सामान्य मुद्दों पर चर्चा की जिनका उन्हें अपनी अवधि के दौरान सामना करना पड़ा। सभी 03 स्थानों पर महिलाओं के बीच सेनेटरी पैड का वितरण किया गया। रा.म.आ द्वारा तैयार एक प्रश्नावली भी प्रतिभागियों के बीच वितरित की गई ताकि प्रतिभागियों के मासिक धर्म/पीरियड्स के संबंध में बुनियादी ज्ञान का विश्लेषण किया जा सके।

ख) इसी प्रकार, 30 मई, 2022 को इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए थिएटर ग्रुप- मित्र मंच के सहयोग से दिल्ली के भीतर 3 स्थानों, यानी न्यू संजय अमर कॉलोनी, कड़कड़डूमा गांव और त्रिलोकपुरी में नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। महिला दर्शकों के लिए पैड वितरण भी किया गया।

ग) 'राज्य महिला आयोगों के सहयोग से मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता शिविर': रा.म.आ ने मणिपुर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और उत्तराखंड में 'मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता शिविर' भी आयोजित किए।

8.6 महिलाओं के कमज़ोर-वर्ग के लिए क्षमता निर्माण और जागरूकता कार्यक्रम:

8.6.1 दूसरी पारी आंदोलन: गृहिणियों के लिए काम को बढ़ावा देने के लिए: गृहणियों के लिए कैरियर परामर्श सत्र: राष्ट्रीय महिला आयोग ने दूसरी पारी आंदोलन शुरू किया: 11 अप्रैल, 2022 को गृहणियों के लिए कैरियर परामर्श सत्र। आयोग ने केंद्र और राज्य विश्वविद्यालय से अपने क्षेत्र में 11 अप्रैल से 11 मई, 2022 तक रा.म.का. की वेबसाइट http://ncwapps.nic.in/eproposalV2/ पर आधे दिन का करियर काउंसलिंग बूथ कैंप आयोजित करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए। गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा कुल 19 प्रस्तावों को स्वीकार किया गया। प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए. शिविरों के अंतर्गत लगभग 1000 महिलाओं को परामर्श प्रदान किया गया।

परामर्श सत्र लक्ष्य समूह के लिए उपलब्ध सर्वोत्तम रोजगार अवसरों की पहचान और आगे बढ़ने पर केंद्रित थे। लक्ष्य समूह ने संचार और पारस्परिक कौशल, पेशेवर कैरियर कौशल का बुनियादी परिचय भी सीखा, जो उन्हें बाजार में प्रवेश करने में मदद करेगा। प्रशिक्षण की पूरी लागत यानी विशेषज्ञों का पारिश्रमिक और विविध व्यय रा.म.आ द्वारा वहन किया गया था।

8.6.2 18.05.2022 को 'मीडिया कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण और संवेदीकरण कार्यक्रम': राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों और मीडिया में महिलाओं के चित्रण पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास में मीडिया कर्मियों के लिए एक कार्यशाला 'मीडिया कर्मियों के लिए क्षमता निर्माण और संवेदीकरण कार्यक्रम' का आयोजन सुश्री रेखा शर्मा की अध्यक्षता में 18.05.2022 (बुधवार) को 09:30 से 14:30 बजे तक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, मैक्स मुलर मार्ग, नई दिल्ली में किया।

श्री रजत शर्मा, इंडिया टीवी के अध्यक्ष और प्रधान संपादक की उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम में प्रख्यात वक्ता श्री समीर कुमार, प्रमुख प्रसार भारती समाचार सेवा एवं डिजिटल प्लेटफार्म, श्री आदित्य राज कौल, कार्यकारी संपादक टीवी 9 नेटवर्क, सुश्री निशा नारायणन, सीईओ और निदेशक रेड एफएम और मैजिक एफएम, सुश्री कविता देवी, संस्थापक खबर लहरिया और सुश्री वर्तिका नंदा, प्रमुख, पत्रकारिता विभाग, लेडी श्री राम कॉलेज भी उपस्थित थे।

कार्यशाला निम्नलिखित कार्यसूची बिंदुओं पर केंद्रित थी:

- मीडिया संचालन और सामग्री में मीडिया के लिए लिंग-संवेदनशील संकेतक;
- महिला मीडिया पेशेवरों के सामने आने वाली चुनौतियाँ;
- महिलाओं के सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका;

8.6.3 'यौनकर्मियों को गरिमा के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ' पर परामर्श: आयोग ने 05अगस्त, 2022 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक 'यौनकर्मियों को गरिमा के साथ जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ' पर एक परामर्श का आयोजन आयोग के सम्मेलन कक्ष में किया। हितधारकों के साथ परामर्शी बैठक के पीछे मुख्य उद्देश्य यौनकर्मियों के सामने आने वाले मुद्दों को समझना और यौनकर्मियों के अधिकारों को मुख्यधारा में लाने के प्रयास के लिए सिफारिशें करना था। रा.म.आ की माननीय अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित परामर्श में 14 गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जो देश भर के यौनकर्मियों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं।

8.6.4 "समावेशन प्रवर्धित" - भारत में ट्रांस महिलाओं की दुर्दशा को संबोधित करने के लिए एक आधे दिन का परामर्श: राष्ट्रीय महिला आयोग ने ट्रांस-महिला समुदाय के व्यक्तियों के साथ जुड़े कलंक को जन्म देने वाली गलत धारणाओं को संबोधित करते हुए आधे दिन के परामर्श का आयोजन किया। भारत और समाज में उनकी स्वीकृति और भागीदारी के संबंध में 07 सितंबर, 2022 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में सुश्री रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ की अध्यक्षता में एक बातचीत शुरू की गई। यह हितधारकों और ट्रांस-महिला समुदाय के प्रतिनिधियों और देश भर से खुद को ट्रांस-महिलाओं के रूप में पहचानने वाले विशेष व्यक्तियों के सहयोग से संभव हुआ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, एनएचआरसी, एनएएलएसए और डीएसएलए के अधिकारी; उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी; ट्रांस-महिला व्यक्ति; गैर सरकारी संगठन; शिक्षाविद; और वरिष्ठ वकील इस अवसर पर उपस्थित थे।

8.6.5 मातृशक्ति: राष्ट्र और समाज के निर्माण में वृद्ध महिलाओं का योगदान विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम: अनुग्रह (एनजीओ) के सहयोग से आयोग ने मातृशक्ति: राष्ट्र और समाज के निर्माण में वृद्ध महिलाओं का योगदान विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 थीम पर विशेष कार्यक्रम: 20 अक्टूबर, 2022 को स्वाभिमान परिसर, शाहदरा में आयोजित किया गया। वृद्ध महिलाओं का लचीलापन और योगदान। कार्यक्रम का उद्देश्य (i) अंतर-पीढ़ीगत बंधन और सम्मान के साथ उम्र बढ़ने को बढ़ावा देना और (ii) गृहिणी, देखभालकर्ता, पेशेवर कार्यकर्ता और युवा पीढ़ी के लिए प्राचीन ज्ञान और रीति-रिवाजों के ट्रांसमीटर के रूप में वृद्ध महिलाओं द्वारा किए गए योगदान को उजागर करना है।

8.6.6 'महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन - बुजुर्ग महिलाओं के जीवन पर ध्यान' पर परामर्श बैठक: राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हुए "महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन" विषय पर 01 दिसंबर, 2022 को भारत में बुजुर्ग महिलाओं द्वारा नियमित आधार पर सामना किए जाने वाले मुद्दों और कठिनाइयों को संबोधित

करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की माननीय अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा की अध्यक्षता में आयोग के सम्मेलन कक्ष में एक सलाहकार बैठक का आयोजन किया।

बैठक का प्राथमिक उद्देश्य वृद्धावस्था में महिलाओं की ऐसी खराब स्थिति के कारणों की गहराई से जाँच करना और समस्या के मूल कारण पर विचार-विमर्श करना था ताकि इसके लिए कुछ शक्तिशाली, व्यावहारिक और अनुशंसित समाधान तलाशे जा सकें। यह सामाजिक कार्यकर्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, पुलिस अधिकारियों, सरकारी अधिकारियों, कानूनी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों, डॉक्टरों, शिक्षाविदों और बुजुर्ग महिलाओं सहित जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले विभिन्न हितधारकों के सहयोग से संभव हुआ।

8.7 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए रा.म.आ द्वारा की गई गतिविधि: राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार के मुद्दों पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से रॉयल एनफील्ड (आयशर मोटर्स लिमिटेड) के सहयोग से एक जागरूकता अभियान चलाया। इस पहल के तहत, 18 मार्च 2023 को दिल्ली, चंडीगढ़, पुणे और बैंगलोर के चयनित स्थानों पर महिला सुरक्षा जागरूकता यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम में महिला राइडर्स, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य और सभी चयनित शहरों के पुलिस कर्मी शामिल हुए, जिसके बाद लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर एक नियंत्रित इंटरैक्टिव सत्र हुआ। अपनी मोटर साइकिलों पर स्टिकर और झंडों के साथ सवारों का काफिला अपने रास्ते में इस मुद्दे के प्रति अपना समर्थन दिखाने और जागरूकता फैलाने के लिए पोस्टर, तख्तियां और स्टिकर लेकर चला।

*****

अध्याय -9

नई पहल प्रकोष्ठ

देश में महिलाओं की उभरती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय महिला आयोग विभिन्न रूप से महिलाओं की जरूरतों को पहचानने और सशक्त बनाने के लिए कई प्रकार के नए प्रयास कर अपना दायरा बढ़ा रहा है। आयोग ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी सहित महिला विकास के सभी पहलुओं से महिलाओं को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए विभिन्न नए कार्यक्रम/मों प्रयासों के लिए नई पहल प्रकोष्ठ की स्थापना की है। वर्ष 2022-23 के दौरान नई पहल प्रकोष्ठ द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है:-

9.1 "शी इज़ ए चेंजमेकर" - राजनीति में महिलाओं के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रमः

मजबूत, जीवंत लोकतंत्र के निर्माण और उसे बनाए रखने के लिए सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की पूर्ण और न्यायसंगत भागीदारी आवश्यक है, यह ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपने कार्यक्रम "शी इज़ ए चेंजमेकर"के तहत विभिन्न स्तरों पर राजनीति में महिलाओं के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सभी स्तरों पर निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों और सक्रिय महिला राजनेताओं के नेतृत्व कौशल में सुधार करना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के पीछे मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक नीति, लिंग उत्तरदायी शासन/मुख्यधारा, नेतृत्व और संचार कौशल को प्रभावित करने पर उनके ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की क्षमताओं को मजबूत करना है। 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न इंटरैक्टिव सत्रों के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान कुल 57 विभिन्न प्रशिक्षण बैच आयोजित किए गए। जिनमें से 54 प्रशिक्षण बैच, राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से, पंचायती राज संस्थान (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों के लिए आयोजित किए गए थे। असम, त्रिपुरा, केरल, उत्तराखंड, तेलंगाना, मेघालय, तमिलनाडु, मणिपुर, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर और महाराष्ट्र राज्यों की कुल 1755 महिला नेताओं को प्रशिक्षित किया। तीन प्रशिक्षण बैच विशेष रूप से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी के सहयोग से विभिन्न राज्यों की विधान सभा तथा विधान परिषद की महिला विधायकों के लिए डिजाइन और संचालित किए गए थे। ये प्रशिक्षण बैच 22 से 24 जून 2022 तक धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में, 21 से 23 सितंबर 2022 तक उदयपुर, राजस्थान में और 04 से 06 फरवरी 2023 तक विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित किए गए, जिसमें 16 अलग-अलग राज्यों से 80 महिला विधायकों को

प्रशिक्षण दिया गया।

9.2 उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना

आयोग का लक्ष्य महिला उद्यमियों को उनके उद्यमशीलता उद्यमों को विकसित करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल तक पहुंच प्रदान करके देश भर में महिलाओं के लिए एक स्थायी प्रभाव पैदा करना है। सहयोगी कार्यक्रम 'उद्यमिता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना' का उद्देश्य महत्वाकांक्षी महिला उद्यमियों के साथ-साथ उन महिला उद्यमियों को डिजिटल रूप से प्रशिक्षित करना है जो अपने व्यावसायिक विचारों का विस्तार करना चाहती हैं। ये पाठ्यक्रम पूरी तरह से आयोग द्वारा प्रायोजित हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, आयोग ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधन संस्थानों के सहयोग से किया :-

1. भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बैंगलोर

सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम का तीसरा बैच 7 मार्च 2022 से 18 मई 2022 तक आयोजित किया गया था। बैच III (द्विभाषी; अंग्रेजी और हिंदी) के तहत, 300 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था। कार्यक्रम की अवधि 6 सप्ताह है और इसे एक विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से चलाया गया था। इस व्यावहारिक, क्रिया-उन्मुख व्यवसाय और प्रबंधन पाठ्यक्रम ने प्रतिभागियों को विचारों और अवसरों के परीक्षण की एक व्यवस्थित, वैज्ञानिक और आसान प्रक्रिया से परिचित कराया है। भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM),बैंगलोर के साथ इस सहयोगी कार्यक्रम में तीन अलग-अलग बैचों में कुल 2159 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

2. **भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) जम्मू-** आयोग ने भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) जम्मू के साथ सहयोग किया और इच्छुक महिला उद्यमियों के लिए हिंदी में ऑनलाइन लाइव प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दो अलग-अलग बैच आयोजित किए। दो बैचों में कुल 250 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। पहला बैच 18 जून, 2022 को शुरू हुआ और 24 जुलाई, 2022 को समाप्त हुआ और दूसरा बैच 26 नवंबर, 2023 को शुरू हुआ और 8 जनवरी, 2023 को समाप्त हुआ। कार्यक्रम ने महिला उद्यमियों को व्यवसाय प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम के तहत आयोजित सत्र से महिला उद्यमियों को व्यवसाय और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र की बेहतर समझ विकसित करने और गतिविधियों/ रणनीतियों की योजना बनाने में मदद मिली है। सत्र शनिवार और रविवार को आयोजित किए गए। प्रत्येक सत्र 3 घंटे की अवधि का था। कार्यक्रम 6 सप्ताह की अवधि तक चला जिसमें प्रत्येक बैच में कुल 36 घंटों के लिए 12 सत्र दिए गए।

3. **भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) शिलांग-** आयोग ने उत्तर पूर्व क्षेत्र की इच्छुक महिला उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए सहयोग किया और ऑनलाइन लाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 154 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। सामान्य प्रबंधन में इस प्रमाणपत्र कार्यक्रम का उद्देश्य इच्छुक महिला उद्यमियों को व्यावहारिक इनपुट पर ध्यान देने के साथ परिचयात्मक व्यवसाय प्रबंधन की अवधारणाओं से परिचित कराना है जो प्रतिभागियों को वास्तविक दुनिया के लिए अपने विचारों का परीक्षण करने और बाद में अपना उद्यम शुरू करने और चलाने में सक्षम बना सकता है। यह पाठ्यक्रम

केवल सप्ताहांत पर 3 सितंबर, 2022 से 15 अक्टूबर, 2022 तक 39 घंटे के व्याख्यान में चला है, जिसमें प्रत्येक 1.5 घंटे के 26 सत्र और एक दिन में 3 सत्र हुए।

4. **भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझिकोड-** महत्वाकांक्षी और स्थापित महिला उद्यमियों को दो अलग-अलग पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित करने के लिए दो सहयोगात्मक ऑनलाइन लाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए - एक फाउंडेशन कार्यक्रम और दूसरा उन्नत उद्यमिता कार्यक्रम। फाउंडेशन कोर्स 2 अक्टूबर, 2022 से 15 जनवरी, 2023 तक चलाया गया और एडवांस्ड कोर्स 9 अक्टूबर 2022 से 18 दिसंबर, 2022 तक। ये कोर्स द्विभाषी थे; अंग्रेजी और मलयालम में 4 महीने की अवधि में 60 घंटे की पढ़ाई पूरी की। फाउंडेशन कोर्स में 61 प्रतिभागियों को और एडवांस्ड कोर्स में 58 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

9.3 लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

I. पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के सहयोग से लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम

यह अनुभव किया गया है कि लिंग-आधारित भेदभाव पूरे समाज में मौजूद है, संगठनात्मक योजना से लेकर कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थान पर रोजमर्रा की बातचीत तक। इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि महिलाओं की प्रमुख शिकायतें कानून प्रवर्तन एजेंसियों, पुलिस, न्यायपालिका, प्रशासन, मीडिया और अंततः सामाजिक मानदंडों के खिलाफ थीं। आयोग को प्रतिवर्ष महिला शिकायतकर्ताओं के प्रति पुलिस की उदासीनता से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसी आलोक में राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस के सभी स्तर के अधिकारियों के लिए लिंग संवेदीकरण पर 3-5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 15 जुलाई 2021 को पुलिस प्रशिक्षण अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।.

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्रीय खुफिया-जाँच प्रशिक्षण संस्थान(CDTI), चंडीगढ़, केंद्रीय खुफिया-जाँच प्रशिक्षण संस्थान(CDTI), जयपुर, केंद्रीय खुफिया-जाँच प्रशिक्षण संस्थान(CDTI), हैदराबाद, शेर-ए-कश्मीर पुलिस अकादमी, उधमपुर, पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर और कर्नाटक पुलिस अकादमी, मैसूर के माध्यम से कुल 12 प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिससे विभिन्न स्तर के कुल 392 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।

2. **कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए तैनात सीमा सुरक्षा बल जवानों का लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण-** सीमा सुरक्षा बल निदेशालय के अनुरोध पर आयोग ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन के लिए कांगो में तैनात किए जाने वाले सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए एक विशेष लिंग संवेदीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। प्रशिक्षण का उद्देश्य लैंगिक मुद्दों के बारे में सैनिकों के बीच जागरूकता पैदा करना और उन्हें स्थानीय समुदायों के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ने और सांस्कृतिक मानदंडों और मूल्यों का सम्मान करने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करना है।.आयोग ने विषय पर विस्तृत ज्ञान और अनुभव के साथ विविध पृष्ठभूमि के प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों के सहयोग से सीमा सुरक्षा बल कैंप, भोंडसी, गुरुग्राम में 1 से 2 मार्च, 2023 तक यह दो दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। "लैंगिक

संवेदनशीलता का परिचय" विषय पर पहले तकनीकी सत्र में, केंद्रीय विश्वविद्यालय, जम्मू में सामाजिक कार्य विभाग के वरिष्ठ सहायक प्रोफेसर डॉ. विनय कुमार ने प्रशिक्षण टोली के वर्दीधारी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली विदेशी भूमि में तैनात होने पर विशेष रूप से विषय की अधिक सूक्ष्म और व्यावहारिक समझ विकसित करने के लिए लिंग संवेदनशीलता के विविध दृष्टिकोणों के बारे में चर्चा की। "यूएनपीकेओ में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने" पर दूसरे तकनीकी सत्र में, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (सीयूएनपीके) के लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार यादव ने संयुक्त राष्ट्र मिशनों के साथ अपने व्यावहारिक अनुभव के साथ सैनिकों को लैंगिक समानता की सही शिक्षा दी और शांति स्थापना मिशन के दौरान सैनिकों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के साथ-साथ लैंगिक समानता के व्यवहार पर जोर देते हुए संयुक्त राष्ट्र मिशनों के लिए इसकी महत्वपूर्ण प्राथमिकता के विषय में बताया। "महिलाएं, शांति और सुरक्षा: यूएनपीकेओ की भूमिका" विषय पर तीसरे तकनीकी सत्र में, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (सीयूपीएनपीके) की लेफ्टिनेंट कर्नल विमला पारिमी ने इस विषय पर अपने व्यावहारिक अनुभव के साथ संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। महिला शांति और सुरक्षा (डब्ल्यूपीएस) एजेंडा में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा करना और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं का समाधान करना शामिल है। "एसजीबीवी और संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा पर अवलोकन" पर चौथे तकनीकी सत्र में, डॉ. वीरेंद्र मिश्रा, आईपीएस ने उन कारकों के बारे में चर्चा की जो संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा की घटना में योगदान करते हैं, जो कई लोगों में एक गंभीर और व्यापक समस्या है। दुनिया के वे क्षेत्र जो सशस्त्र संघर्ष और व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों पर इसके विनाशकारी प्रभावों से प्रभावित हैं।."कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के प्रति उपाय" पर पांचवें तकनीकी सत्र में, पीओएसएच की विशेषज्ञ सुश्री स्नेहा खांडेकर ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और एक सुरक्षित और सम्मानजनक कार्यस्थल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। सुश्री कंचन खट्टर, वरिष्ठ समन्वयक, रा.म.आ ने एक इंटरैक्टिव सत्र में आयोग की चिंताओं और विभिन्न पहलों के बारे में चर्चा की जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण और समावेशी वृद्धि और विकास के लिए लिंग संवेदनशील दृष्टिकोण का महत्व है।

*****

अध्याय -10

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख प्रकोष्ठ

10.1 हिंसा मुक्त घर'' एक महिला का अधिकार- केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख

आयोग ने 26 मार्च, 2021 को टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) के साथ 24 महीने की अवधि के लिए "हिंसा मुक्त घर" एक महिला का अधिकार- जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में 12 प्रायोगिक विशेष कक्ष परियोजना शुरू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी पुलिस प्रणाली में तैनात प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा पीड़ित महिलाओं को सामाजिक सेवाएं प्रदान करने की एक पहल इस स्पष्ट समझ के साथ कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक अपराध है।

पुलिस प्रणाली (महिलाओं के लिए विशेष कक्ष) में स्थान आपराधिक न्याय प्रणाली (सीजेएस) के भीतर पेशेवर पूर्णकालिक सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा गुणवत्तापूर्ण मनो-सामाजिक-कानूनी सेवाओं के प्रावधान के माध्यम से पीड़ित महिलाओं को भावनात्मक और सामाजिक समर्थन प्राप्त करने के लिए जगह बनाता है, जहां हिंसा से पीड़ित लोगों की ज़रूरतों और चिंताओं का एक सुविधाजनक माहौल में समाधान किया जाता है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार 12 विशेष कक्ष बनाए गए, जम्मू में 03 विशेष कक्ष, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 07 और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 02 विशेष कक्ष। इन कक्षों के 24 महीने तक सफलतापूर्वक काम करने के बाद आयोग ने इस परियोजना को जम्मू और कश्मीर के बाकी जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है।

2023-25 के दौरान केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के लिए 22 प्रायोगिक विशेष कक्षों को शुरू करने के लिए 27 मार्च, 2023 को टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) के साथ नए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 12 प्रायोगिक विशेष कक्ष महिलाओं के लिए जम्मू डिवीजन अर्थात् जम्मू, राजौरी और उधमपुर जिले में; कश्मीर डिवीजन अर्थात श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, कुलगाम, अनंतनाग, कुपवाड़ा और गांदरबल जिले में तथा 02 विशेष कक्ष केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कारगिल और लेह जिलों में अभी भी कार्य कर रहे हैं।

इसके अलावा जम्मू डिविज़न में डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ, रामबन, रियासी, सांबा तथा कश्मीर डिवीजन में बांदीपुरा, पुलवामा, शोपियां में 10 विशेष कक्ष चलाए जाएंगे।

10.1.1 "हिंसा मुक्त घर- एक महिला का अधिकार" - केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 12 प्रायोगिक विशेष कक्षों के परिणाम"

1. केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के 10 महिला विशेष कक्षों के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने व्यक्तिगत एवं समूह हस्तक्षेप (इसमें बाद में चल रही हिंसा को समाप्त करने में उनका समर्थन कर परिवारों और अन्य हितधारकों के साथ काम करना शामिल है) से 5,569 से अधिक मनोवैज्ञानिक-सामाजिक-कानूनी सेवाएं प्रदान करके हिंसा से बचे 2836 पीड़ितों (1263 पंजीकृत आवेदन और 1573 एक-बार बीच-बचाव द्वारा) तक पहुंचे हैं और समयानुसार कार्यवाही की है।
2. विशेष कक्ष की सेवाओं, कानूनी अधिकारों और महिलाओं और बच्चों से संबंधित विशिष्ट अधिनियमों के बारे में जागरूक करने के लिए संस्थागत हितधारकों और समुदाय के लोगों के साथ 575 जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3. 1263 पंजीकृत आवेदनों के परिणामस्वरूप, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 152 महिलाओं को आर्थिक पात्रता, वित्तीय अधिकार, व्यक्तिगत सामान वापस दिलाने में मदद की गई और 586 मामलों में बिना झगड़े के सुलह करवाई गई।
4. 43 मामलों में महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत मामला दर्ज करने में मदद की गई और 31 महिलाओं को भारतीय दंड संहिता(आईपीसी) की धारा 498ए के तहत प्राथमिकी दर्ज करने में मदद की गई।

10.1.2 "हिंसा मुक्त घर- एक महिला का अधिकार" - केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 12 प्रायोगिक विशेष कक्षों के परिणाम"

1. केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में इन दो कक्षों के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मनोवैज्ञानिक-सामाजिक-कानूनी सेवाएं प्रदान की और हिंसा से पीड़ित 197 लोगों (81 पंजीकृत और 116 एक-बार बीच-बचाव द्वारा) तक पहुंचे और समयानुसार कार्यवाही की है।
2. 768 व्यक्तिगत और समूह हस्तक्षेप (इसमें बाद में चल रही हिंसा को समाप्त करने में उनके समर्थन के लिए परिवारों और अन्य हितधारकों के साथ काम करना शामिल है) के साथ ही विशेष प्रकोष्ठ सेवाओं, महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकार और विशिष्ट अधिनियम के बारे में जागरूक करने के लिए संस्थागत हितधारकों और समुदाय के लोगों के साथ 109 जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।
3. परिणामस्वरूप, 81 पंजीकृत आवेदनों में से, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने 27 महिलाओं को आर्थिक संपत्ति, वित्तीय अधिकार, व्यक्तिगत सामान वापस पाने में मदद की और 08 मामलों में झगड़े के बिना सुलह करवाई और 11 मामलों में आपसी सहमति से अलगाव में सहयोग दिया।
4. 9 मामलों में, महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 के तहत मामला दर्ज करने में मदद की गई और 05 महिलाओं को धारा 498ए और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं और विशिष्ट अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करने में मदद की गई।

10.2 श्रीनगर में महिला कारीगरों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (23 से 27 मई,2022)

राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान(निफ्ट) के सहयोग से केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख की महिला कारीगरों के लिए निफ्ट, श्रीनगर कैम्पस में 23 से 27 मई (5 दिन) के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य डिजाइन सॉल्यूशन्स/ इ-कॉमर्स/ उभरते मार्केट ट्रेड्स आदि से संबंधित वर्तमान कौशल में बढ़ोत्तरी करना था। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के विभिन्न जिलों से कुल 40 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

10.3 आयोग ने समाज कल्याण विभाग, जम्मू और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के सहयोग से हितधारकों की बैठक आयोजित की

आयोग ने समाज कल्याण विभाग, जम्मू और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई के सहयोग से 10 फरवरी 2023 को अधिक समन्वय के माध्यम से लिंग आधारित हिंसा की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हितधारकों की एक बैठक आयोजित की। बैठक जम्मू में हुई और इसकी अध्यक्षता सुश्री रेखा शर्मा, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग, भारत सरकार ने की।

10.4 आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए

आयोग ने 2022 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में "महिलाओं को सशक्त बनाने" की दिशा में जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक जिले में 37 कानूनी जागरूकता कार्यक्रम और 19 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किए। कार्यशाला महिलाओं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के उत्थान के लिए प्रायोजित की गई थी। वे अपने कानूनी और अन्य अधिकारों, समाज और परिवार में अपनी स्थिति और उनके सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में अनभिज्ञ हैं।

10.5 आयोग ने जम्मू-कश्मीर के छात्रों की दिल्ली यात्रा का आयोजन किया

हमारे माननीय प्रधान मंत्री के "एक भारत, श्रेष्ठ भारत" के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए आयोग ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, संसद और अन्य आयोगों सहित दिल्ली में कार्यरत विभिन्न सरकारी कार्यालयों के सरकारी विभागों के कामकाज के बारे में जानकारी देने और शिक्षित करने के लिए 1अप्रैल, 2022 को जम्मू-कश्मीर की छह छात्राओं के एक प्रतिनिधिमंडल के लिए यात्रा का आयोजन किया।

जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों के उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा नामांकित लड़कियों ने माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति जूबिन इरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। इन लड़कियों ने माननीय मंत्री जी से अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में चर्चा की और यह आश्वासन भी दिया कि दिल्ली प्रवास के दौरान प्राप्त जानकारी के बारे में वे अपने कॉलेजों में जागरूकता फैलाएंगी।

आयोग ने इन लड़कियों को राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख कार्य-क्षेत्रों की जानकारी दी और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सहित विभिन्न आयोगों में उनका दौरा भी आयोजित किया, जहां उन्हें इन कार्यालयों की भूमिका और कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया।

10.6 आयोग ने लद्दाख के छात्रों की दिल्ली यात्रा का आयोजन किया

आयोग ने सरकारी विभागों के कामकाज के बारे में जानकारी देने और शिक्षित करने के लिए 23 अगस्त, 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अन्य आयोगों सहित दिल्ली भर के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में लद्दाख की नौ छात्राओं के एक प्रतिनिधिमंडल की यात्रा का आयोजन किया।

आयोग ने इन लड़कियों को रा.म.आ के प्रमुख कार्य क्षेत्रों की जानकारी दी और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सहित विभिन्न आयोगों में उनका दौरा भी आयोजित किया, जहां उन्हें इन कार्यालयों की भूमिका और कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया।

10.7 कश्मीर विश्वविद्यालय में 'जीवन कौशल का विकास' विषय पर सेमिनार

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने 30 नवंबर, 2022 को संबोधित किया कि महिलाओं को अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए 'बदलती परिस्थितियों' के अनुरूप 'नए जीवन कौशल' सीखने चाहिएं।

अध्याय -11

मानव तस्करी निवारण प्रकोष्ठ

मानव तस्करी के मामलों को सुलझाने में प्रभावशीलता के साथ-साथ देश भर में मानव तस्करी निवारण इकाईयों में क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण की सुविधा के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 2 अप्रैल 2022 को एक मानव तस्करी निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना की जो कानून प्रवर्तन मशीनरी को और संवेदनशील, मजबूत बनाएगी।

तस्करी के रुझान, पैटर्न और रणनीतियाँ समय के साथ विकसित होती हैं और नई माँगों, चुनौतियों और कानून प्रवर्तन प्रतिक्रियाओं के अनुकूल होती हैं। इसलिए, पूरे मुद्दे की गंभीरता पर फिर से विचार करने और इसे रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक नए प्रयासों के लिए हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है। उसी के अनुरूप, रा.म.आ ने देश भर में "मानव तस्करी निवारण" पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

11.1 25 जून, 2022 को नई दिल्ली में जागरूकता संगोष्ठी

राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (BPR&D) के सहयोग से 25.06.2022 को मानव तस्करी निवारण जागरूकता पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में राज्य महिला आयोगों, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास विभागों, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों, सरकारी संगठनों, राष्ट्रीय आयोगों, प्रशासनिक, न्यायपालिका और पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, चिकित्सा संस्थानों, विश्वविद्यालयों/कॉलेजों और मीडिया के निदेशकों सहित लगभग 700 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

11.2 29 अगस्त, 2022 को मोरेह, मणिपुर में जागरूकता सेमिनार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने मणिपुर राज्य महिला आयोग के सहयोग से 29 अगस्त, 2022 को मोरेह में जिला तेंग्नौपाल और चंदेल, मणिपुर के लिए मानव तस्करी निवारण जागरूकता सृजन सेमिनार का आयोजन किया।

11.3 28 सितंबर, 2022 को शिलांग, मेघालय में जागरूकता सेमिनार

रा.म.आ ने मेघालय राज्य महिला आयोग और उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) के सहयोग से 28 सितंबर, 2022 को शिलांग, मेघालय में "पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं की मानव तस्करी का मुकाबला" पर एक क्षेत्र-स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार में 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया और इनमें पुलिस, समाज कल्याण विभाग, अर्धसैनिक बलों, गैर सरकारी संगठनों, छात्रों और विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यों के राज्य महिला आयोगों के अध्यक्ष/सदस्य सचिव/सदस्य भी शामिल थे।

11.4 22 नवंबर, 2022 को सवाई माधोपुर, राजस्थान में जागरूकता सेमिनार

रा.म.आ ने जिला प्रशासन, सवाई माधोपुर के सहयोग से सवाई माधोपुर के संबंधित हितधारकों और स्थानीय निवासियों के लिए 22 नवंबर, 2022 को सवाई माधोपुर में "मानव तस्करी निवारण जागरूकता" कार्यक्रम का आयोजन किया।

11.5 3 दिसंबर, 2022 को कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल में जागरूकता सेमिनार

रा.म.आ ने जिला प्रशासन, कालिम्पोंग के सहयोग से 2 और 3 दिसंबर, 2022 को कालिम्पोंग में "महिलाओं के लिए सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता" और "मानव तस्करी निवारण जागरूकता" पर सेमिनार आयोजित किए।

11.6. 16 दिसंबर, 2022 को मुंबई में जागरूकता सेमिनार

रा.म.आ ने महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के सहयोग से 16 दिसंबर, 2022 को मुंबई में "मानव तस्करी निवारण जागरूकता" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया।

11.7 14 मार्च, 2023 को गोवा में जागरूकता सेमिनार

राष्ट्रीय महिला आयोग ने गोवा पुलिस के सहयोग से 14 मार्च, 2023 को मेनेजेस ब्रैगेंज़ा इंस्टीट्यूट, पणजी, गोवा में मानव तस्करी निवारण पर एक-दिवसीय जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया। इस आयोजन में भाग लेने वालों में गोवा पुलिस के अधिकारी, उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा की बाल कल्याण समितियों के सदस्य, विभिन्न गैर सरकारी संगठन, उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा की पीड़ित-सहायता इकाईयाँ, संरक्षण गृह, उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा के तालुका के उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, फोरेंसिक विभाग के डॉक्टर और प्रोफेसर/छात्र शामिल थे।

अध्याय -12

महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ

12.1 राष्ट्रीय महिला आयोग ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS), मुंबई के सहयोग से 7 राज्यों, असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडु में हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट "हिंसा मुक्त घर- एक महिला अधिकार (महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ)" शुरू किया था। हिंसा मुक्त घर (WFH) की यह परियोजना राष्ट्रीय महिला आयोग, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) और दिल्ली पुलिस की महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा इकाई (SPUWAC) के आपसी सहयोग से शुरू की गई थी। महिलाओं के लिए विशेष प्रकोष्ठ (WFH) परियोजना में संबंधित राज्य पुलिस (गृह) विभाग में हिंसा की शिकार महिलाओं के लिए मनो-सामाजिक-कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति शामिल है। ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न पुलिस स्टेशनों से जुड़े इन विशेष कक्षों/महिलाओं के प्रति अपराध (CAW) कक्षों/महिलाओं के प्रति हिंसा पर हस्तक्षेप के लिए संसाधन केंद्र (RCI-VAW) में काम कर रहे हैं। इन कक्षों के कार्य की प्रगति की निगरानी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) द्वारा की जाती थी और आयोग द्वारा समीक्षा की जाती थी। 8 राज्यों में इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) और दिल्ली पुलिस के बीच समझौता ज्ञापन 31 मार्च, 2021 को समाप्त हो गया।

12.2 राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस परियोजना के कामकाज और प्रभाव का आकलन करने और भारत के 8 राज्यों में इन विशेष कक्षों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के स्तर/गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से उपरोक्त विशेष का तृतीय पक्ष ऑडिट आयोजित करने का निर्णय लिया है। हालाँकि, इस परियोजना को असम, बिहार और दिल्ली जैसे कुछ राज्य सरकारों द्वारा संस्थागत रूप दिया गया है, जबकि अन्य पांच राज्यों (मध्य प्रदेश, मेघालय, ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडु) में इस परियोजना को बंद कर दिया गया है।

12.3 आयोग ने एसिड हमलों से पीड़ित महिलाओं को सहायता प्रदान करने और राहत सुनिश्चित करने के अपने प्रयास में, अपनी वेबसाइट पर प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के माध्यम से एसिड हमले के प्रत्येक मामले में प्रगति की निगरानी जारी रखी। एसिड हमले के मामलों का डेटा राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के महिला एवं बाल विकास विभागों/सामाजिक न्याय/कल्याण तथा पुलिस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य नोडल अधिकारी द्वारा प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पर अद्यतन/अपलोड किया जाता है। एसिड हमले के मामलों में डेटा का विश्लेषण निम्न विषयों पर किया जाता है- (i) मामलों की अवधि को अद्यतन करना, (ii) क्षतिपूर्ति मुआवजे का

भुगतान और क्षतिपूर्ति मुआवजे की मात्रा, और (iii) पुनः चिकित्सा सहायता की आवश्यकता और (iv) आरोप-पत्र और अभियोग दाखिल करने में प्रगति। नीचे दी गई तालिका अप्रैल, 2022 से मार्च, 2023 तक प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) में अद्यतन किए गए एसिड हमले के मामलों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	कुल दर्ज मामले
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0
2.	आंध्र प्रदेश	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0
4.	असम	0
5.	बिहार	21
6.	चंडीगढ़	0
7.	छत्तीसगढ	0
8.	दमन, दीव, दादर और नगर हवेली	0
9.	दिल्ली	9
10.	गोवा	0
11.	गुजरात	0
12.	हरियाणा	2
13.	हिमाचल प्रदेश	0
14.	जम्मू-कश्मीर	3
15.	झारखंड	0
16.	कर्नाटक	0
17.	केरल	10
18.	लेह और लद्दाख	0
19.	लक्षद्वीप	0
20.	मध्य प्रदेश	1
21.	महाराष्ट्र	1
22.	मणिपुर	0
23.	मेघालय	0
24.	मिजोरम	0
25.	नागालैंड	0
26.	ओडिशा	5
27.	पुदुचेरी	0
28.	पंजाब	0
29.	राजस्थान	0
30.	सिक्किम	0
31.	तमिलनाडु	0
32.	तेलंगाना	8

33.	त्रिपुरा	0
34.	उत्तर प्रदेश	0
35.	उत्तराखंड	0
36.	पश्चिम बंगाल	0
कुल		**60**

12.4 निगरानी प्रणाली होने से एसिड की बिक्री में मौजूदा नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। इस मुद्दे पर आम तौर पर जागरूकता की कमी है और सरकार को एसिड की बिक्री से संबंधित नियमों और विनियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिएं।

12.5 अपने अधिदेश के अनुसरण में, आयोग अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) के माध्यम से देश में एसिड अटैक सर्वाइवर्स/पीड़ितों के मामलों की निगरानी कर रहा है और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में ऐसे मामलों में क्षतिपूर्ति मुआवजे के भुगतान से संबंधित मामलों की निगरानी और पीड़ित क्षतिपूर्ति मुआवजा योजनाओं के निर्माण के लिए इनपुट प्रदान कर रहा है। हालाँकि, यह पाया गया कि राज्यों द्वारा ऐसे नियमों का कार्यान्वयन बहुत सख्ती से नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने 10 जनवरी 2023 को सभी राज्यों के नोडल अधिकारियों के साथ इस बैठक का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य एसिड और रसायनों की बिक्री को विनियमित करने के लिए हुई प्रगति और इन जघन्य अपराधों को रोकने के लिए उठाए जा रहे अन्य उपायों पर चर्चा करना था। विचार-विमर्श के दौरान दिए गए सुझाव/सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

i) सक्षम प्राधिकारी को लाइसेंस प्राप्त विक्रेता द्वारा संक्षारक (ज्वलनकारी) पदार्थों की बिक्री को विनियमित और मॉनिटर करना होगा और तिमाही आधार पर सक्षम प्राधिकारी को एक उपयोगिता प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

ii) किसी अन्य व्यक्ति पर एसिड या कोई संक्षारक पदार्थ फेंकने का प्रयास करने के आरोपी अपराधियों को कोई अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

iii) प्रतिनिधियों ने अपराधियों पर निवारक प्रभाव डालने के लिए कड़ी सजा देने की भी सिफारिश की। प्रतिनिधियों का विचार था कि अपराध के लिए न्यूनतम कारावास 15 वर्ष होना चाहिए।

iv) संक्षारक पदार्थ बेचने वाले के लिए न्यूनतम योग्यता मैट्रिक पास होनी चाहिए। यह संभावना है कि ऐसे संक्षारक पदार्थ बेचने वाला एक शिक्षित व्यक्ति ऐसी बिक्री की गंभीरता को समझ सकता है और विवेक और नैतिकता के साथ कार्य कर सकता है।

v) एसिड अटैक जैसे जघन्य अपराध के पीछे का मुख्य कारण बदला, नफरत और ईर्ष्या है। शैक्षिक संस्थानों में कम उम्र से ही लैंगिक संवेदीकरण और जागरूकता पैदा करने को एसिड हमलों जैसे अपराधों की रोकथाम में महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। किशोर उम्र में छोटे और महत्वपूर्ण कदम सामाजिक लैंगिक मानदंडों की धारणा और समझ को आकार दे सकते हैं। स्कूलों/कॉलेजों में पाठ्यक्रम विकसित करने के संदर्भ में 'कैच देम यंग' वाक्यांश को लैंगिक संवेदीकरण के लिए लागू किया जा सकता है।

vi) संवेदनशीलता हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये हमले क्यों होते हैं। रिपोर्ट किए गए अधिकांश हमले पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंधों की समस्याओं पर आधारित हैं जहां क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और बदले जैसी भावनाएं मुख्य प्रेरक कारक हैं। एसिड का उपयोग बदला लेने, विकृत करने और व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया जाता है। अपराधी अधिकतर पुरुष हैं और एसिड फेंकने का कृत्य उनके अहंकार और महिलाओं से अस्वीकृति को संभालने में असमर्थता को संतुष्ट करने के लिए किया जाता है।

vii) लैंगिक संवेदीकरण की शुरुआत केवल रा.म.आ द्वारा ही नहीं बल्कि पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के साथ मिलकर भी की जानी चाहिए।

viii) सिफ़ारिश : हार्पिक जैसे खुले बाज़ार में उपलब्ध सभी संक्षारक उत्पादों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और जब भी एसिड/सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा 5 से अधिक हो जाए तो विक्रेता का लाइसेंस रद्द कर दिया जाना चाहिए।

ix) अपराधी/अभियुक्त द्वारा अदालती कार्यवाही के दौरान पागलपन की दलील के दुरुपयोग को रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

*****

अध्याय -13

जेल, हिरासत गृह और मनोरोग संस्थाएं तथा आश्रय गृह

13.1 राष्ट्रीय महिला आयोग, अधिनियम 1990 की धारा 10(1)(के) के अंतर्गत आयोग को सौंपे गए कार्यों के हिस्से के रूप में देश में जेलों/कारागार/अभिरक्षा गृह का निरीक्षण करता है। महिला कैदियों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाता है और पर्याप्त सुधारात्मक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, यह सुनिश्चित करने हेतु जेलों, हिरासत गृहों और मनोरोग संस्थानों के निरीक्षण को आयोग ने अपने मुख्य क्षेत्र के रूप में माना है। अध्यक्ष, सदस्यों द्वारा राज्य महिला आयोगों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(डीएलएसए) और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण दल जेलों, हिरासत गृहों और मनोरोग संस्थानों की महिला कैदियों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते हैं। निरीक्षण के दौरान इस तरह से उभरने वाली टिप्पणियों और सिफारिशों को लागू करने के लिए आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, राज्य कारागार प्राधिकरण और राष्ट्रीय और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और कारागार/मनोरोग गृह/आश्रय गृह के अधीक्षक को भेजा जाता है।

13.2 आयोग द्वारा कारागार/मनोरोग गृह/आश्रय गृह की जानकारी तैयार किए गए निर्धारित प्रोफार्मा में भी प्राप्त की जाती है।। इस प्रोफार्मा में प्राप्त सूचनाओं की जाँच/विश्लेषण आयोग में किया जाता है और इस जाँच/ विश्लेषण के आधार पर आयोग की टिप्पणियों/सिफारिशों का प्रारूप तैयार किया जाता है। अंतिम रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई रिपोर्ट के अनुरोध के साथ भेजी जाती है।

13.3 उपर्युक्त अधिदेशों के आलोक में आयोग ने वर्ष 2022-23 में देश भर में निम्नलिखित जेलों, मनोरोग गृहों, आश्रय गृहों का निरीक्षण किया:

i. **जेलों का निरीक्षण**

क्रमांक	जेल का नाम	निरीक्षण का दिनांक
1	सेंट्रल जेल, उदयपुर, राजस्थान	29.05.2022
2	भोपाल सेंट्रल जेल, भोपाल, मध्य प्रदेश	12.09.2022
3	बायकुला महिला जेल, मुंबई, महाराष्ट्र	21.11.2022
4	डिस्ट्रिक्ट जेल जोवाई, मेघालय	31.03.2023

इन जेलों के निरीक्षण और सूचना के विश्लेषण के दौरान, आयोग ने निम्नलिखित बातें नोट कीं:-

- विचाराधीन कैदियों के रूप में महिला कैदियों को लंबे समय तक कैद में रखना, उनकी हिरासत की अवधि 2 साल से 10 साल तक और कुछ मामलों में इससे भी अधिक हो सकती है।
- आयोग ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण/राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ मामला उठाया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महिला कैदियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जा सके और उचित समय के भीतर मुकदमे में तेजी लाने के लिए इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
- जमानती बांड/ज़मानत के मुद्दे को कारपोरेट से सामाजिक उत्तरदायित्व अनुदान (CSR fundings), या उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों से दान के माध्यम से हल किया जा सकता है।
- भारतीय जेलों में बंद विदेशी कैदियों के मुद्दे चिंता का विषय हैं। जेल अधिकारियों को सम्मानित दूतावासों/उच्चायोगों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। आयोग ने महिला कैदियों को नए जमाने के कौशल जैसे कंप्यूटर प्रशिक्षण, नर्सिंग, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल पर विपणन कौशल प्रशिक्षण आदि में कुशल बनाने पर भी जोर दिया।

ii. मनोरोग गृहों का निरीक्षण:

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24 फरवरी 2023 को मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (IHBAS), शाहदरा का निरीक्षण किया। टीम ने पाया कि IHBAS में मानसिक स्वास्थ्य, मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान के क्षेत्र में व्यापक उपचार, प्रशिक्षण, अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक देखभाल का प्रावधान था। इसमें मुफ़्त इलाज और दवाइयाँ देने के लिए एक केमिस्ट और ड्रगिस्ट स्टोर था। इसके अपने स्वयं के निदान केंद्र, प्रयोगशालाएँ और परीक्षण केंद्र भी थे। टीम ने संस्थान के बगीचे का भी दौरा किया जहां मरीज सहायक कर्मचारियों के साथ सब्जियां उगाने में स्वैच्छिक योगदान दे रहे थे। यह मरीजों के लिए मनोरंजक गतिविधि का एक साधन था। मानव व्यवहार और संबद्ध विज्ञान संस्थान (IHBAS), दिल्ली को की गई कुछ सिफारिशों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने पर जोर देना, कर्मचारियों और मरीजों को नियमित आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण दिया जाना, नए जमाने के कौशल प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना, मरीजों तक विस्तार करना शामिल है ताकि वे आर्थिक योगदानकर्ता के रूप में इसका हिस्सा बन सकें। इसके अलावा, दीर्घकालिक रोगियों (उनकी क्षमताओं के अनुसार) को कुशल बनाया जा सकता है और उनका पुनर्वास किया जा सकता है। ऐसे पुनर्वासित रोगियों की निगरानी एक समर्पित संगठन को आउटसोर्स की जा सकती है।

iii. आश्रय गृह का निरीक्षण:

आयोग ने 28 मार्च 2023 को दिल्ली के वाईडब्ल्यूसीए, नई दिल्ली के राज कुमारी अमृत कौर (आर. के.ए.के.) शॉर्ट स्टे शेल्टर होम का निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य कोविड-19 के बाद शेल्टर होम की वर्तमान कार्यप्रणाली का आकलन करना था। ऐसे आश्रय घरों में रहने वाली महिला निवासियों की स्थितियों में सुधार के प्रभावी तरीकों की पहचान करना और इन हिरासत घरों के अंदर आने वाले मुद्दों का समाधान करना था। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने 12 बिस्तरों वाले आश्रय गृह का निरीक्षण किया और दौरे के दिन उपस्थित अन्य प्रोफेशनल्स और एक निवासी से बातचीत की। अंत में, कौशल-ज्ञान में अधिक सुधार की दिशा में आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा की गई। निवासियों के सामाजिक-आर्थिक पुनर्वास पर अधिक ध्यान देने पर चर्चा की गई और निवासियों की बहाली के बाद कठोर अनुवर्ती कार्रवाई का सुझाव दिया गया।

13.4 राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को बढ़ाने के उद्देश्य से देश भर में क्षेत्रीय परामर्श बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया। इस एक दिवसीय परामर्श बैठक का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करना है:

i. स्वाधार गृहों, उज्ज्वला योजना के तहत शेल्टरों और वन स्टॉप सेंटरों पर आँकड़ों का आकलन और अन्वेषण करना, बाधाओं की पहचान करना और सुधार के लिए रणनीतियों प्रस्तावित करने और इन सुविधाओं की मौजूदा स्थिति में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ परामर्श किया गया। इसका उद्देश्य उनके प्रभाव को बढ़ाने, किसी भी बाधा को दूर करने और जरूरतमंद महिलाओं को बेहतर सेवा और समर्थन देने के लिए स्थितियों में सुधार करने के तरीकों का पता लगाना है।

13.4.1 इन चार क्षेत्रीय परामर्श बैठकों की मुख्य बातें, सामान्य निष्कर्ष और सिफारिशें इस प्रकार हैं:

i. शिक्षकों/रेजिडेंट अधीक्षकों को संवेदीकरण प्रशिक्षण की आवश्यकता है क्योंकि यह पाया गया कि उनमें मामलों के प्रति पर्याप्त सहानुभूति और संवेदनशीलता की कमी है।

ii. सूचित किया गया कि तस्कर लोकेशन का पता लगाकर निर्धारित एनजीओ तक पहुंचते हैं, जिसके कारण ऐसे एनजीओ में काम करने वाले कर्मचारी कई बार असुरक्षित महसूस करते हैं और दुर्व्यवहार और धमकियों का शिकार हो जाते हैं। इस बात पर भी जोर दिया गया कि मानव तस्करी के पीड़ितों को बचाने के दौरान स्टाफ सदस्यों को भी पुलिस सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

iii. वन स्टॉप सेंटर में पीड़ितों को अधिकतम 5 दिनों तक रहने की अनुमति है। हालाँकि, इन कैदियों को लंबे समय तक बेहतर सुरक्षा और आजीविका विकल्प प्रदान करने के लिए नीतियों में बदलाव किया जा सकता है।

iv. गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित स्वाधार गृह, उज्ज्वला होम, वन स्टॉप सेंटर आदि के सुचारू कामकाज के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधनों, कर्मचारियों की वृद्धि और समय पर राशि जारी करने की आवश्यकता है।

v. महिला एवं बाल विकास विभाग(DoWCD), गुजरात की एक पहल, "संकट सखी एप्लिकेशन" जैसे तकनीकी अनुप्रयोगों के उपयोग के माध्यम से इन केंद्रों को और अधिक महिलाओं के अनुकूल बनाया जा सकता है। यह पारदर्शिता, निगरानी तंत्र और जवाबदेही के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और कल्याण को बढ़ाता है।

vi. पूरे तंत्र की प्रभावशीलता और इसे सुधारने के तरीकों को समझने के लिए समय-समय पर पीड़ितों की प्रतिक्रिया(फीड बैक) को बनाए रखने की आवश्यकता है।

vii. स्वाधार गृह/उज्ज्वला गृह/वन स्टॉप सेंटर की उपलब्धता, उनकी उपयोगिता और सेवाओं पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

viii. इसके अलावा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, साइबर अपराध और ब्लॉक स्तर पर महिलाओं को बुनियादी कानूनी ज्ञान पर जागरूकता सत्र तेजी से आयोजित किए जा सकते हैं।

ix) महिलाओं को स्वतंत्र बनाने के लिए उन्हें छोटे व्यवसायों-सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम और विपणन कौशल में कुशल बनाकर ग्रामीण आजीविका के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इन महिलाओं को किफायती प्रतिभूतियों पर ऋण की सहायता देकर आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

x) यह भी सुझाव दिया गया कि मानसिक विकलांगता और बीमारियों वाले व्यक्तियों के लिए एक अलग केंद्र स्थापित किया जाना चाहिए, जिन्हें वन स्टॉप सेंटर, स्वाधार गृह में लाया जाता है, क्योंकि उन्हें विशेष ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है।

xi) सातवीं. उज्ज्वला होम, स्वाधार गृह और वन स्टॉप सेंटर के लिए अद्यतन दिशानिर्देशों का पालन और कार्यान्वयन करने पर भी जोर दिया गया।

xii. उत्तर पूर्वी क्षेत्र की भौगोलिक परिवर्तनशीलता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त उपाय प्रदान किए जा सकते हैं।

13.5 जेलों को चलाने के मुद्दों और चुनौतियों को समझने के लिए, आयोग ने 'महिला कैदियों के अधिकारों के आलोक में जेल प्रशासन' पर एक "अखिल भारतीय डीजी/आईजी जेल बैठक" 10 जनवरी, 2023 को आयोजित की। जिसमें महिला कैदियों पर विशेष ध्यान देने के साथ जेल प्रशासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया। जिसमें जेल प्रशासन से संबंधित कई मुद्दों विशेषतः महिला कैदियों पर कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं, विचार-विमर्श और सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

i. **राज्यों में जेल कर्मचारियों की कमी:** सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने जेल कर्मचारियों की भारी कमी का मुद्दा उठाया है, जिससे कैदियों के प्रभावी प्रबंधन में बाधा आ रही है। राज्य सरकार को रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए. गृह मंत्रालय और राज्य सरकारें भी जेल प्रशासन के लिए उच्च बजटीय आवंटन के लिए कदम उठा सकती हैं। अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले अच्छी तरह से प्रशिक्षित और पुनर्वासित कैदियों को जेल कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए संविदात्मक क्षमता में नियुक्त किया जा सकता है।

ii. **नियमित डॉक्टरों, विशेषकर महिला डॉक्टरों की कमी:** राज्यों की विभिन्न जेलों में नियमित महिला चिकित्सा प्रोफेशनलों की कमी का असर महिला कैदियों की शारीरिक-स्थिति पर पड़ रहा है। जेल अधिकारियों को स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इस मुद्दे के समाधान के लिए कदम उठाने चाहिएं। विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ सहयोग शुरू किया जा सकता है जहां वरिष्ठ छात्र-डॉक्टर जेलों में इंटर्नशिप कर सकते हैं।

iii. **क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल की आवश्यकता:** देश भर की कई जेलों में मानसिक स्वास्थ्य सबसे उपेक्षित पहलुओं में से एक बना हुआ है। आत्महत्या की प्रवृत्ति की ओर ले जाने वाला अवसाद और चिंता विभिन्न जेलों में कैदियों द्वारा सामना की जाने वाली आम समस्या है। सभी जेलों में नियमित क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या मेंटल प्रोफेशनल की तैनाती सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। विभिन्न कॉलेजों के साथ सहयोग शुरू किया जा सकता है जो नैदानिक मनोविज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, मनोरोग सामाजिक कार्य में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। कैदियों के लिए ऑनलाइन/टेलीफोनिक परामर्श का प्रावधान शुरू किया जा सकता है।

iv. **पूर्व कैदी होने के साथ जुड़े कलंक के कारण पुनर्वास पर चुनौतियाँ:** परिवार और समाज से लंबे समय तक अलग रहने से कैदी के मानसिक स्वास्थ्य और समाजीकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। रिहा होने पर एक कैदी को अपनी आजीविका कमाने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि समाज पूर्व कैदी को अलग-थलग कर देता है, उनके खिलाफ पूर्वाग्रह रखता है। पूर्व कैदियों के लिए सम्मानजनक जगह पर नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि कोई भी पूर्व कैदी

को नौकरी पर नहीं रखना चाहता। पुनर्वास की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं। नौकरी में कौशल और आत्मसात करने को प्राथमिकता दी जा सकती है। पर्याप्त जागरूकता सृजन कार्यक्रम आयोजित किया जा सकता है। इसके अलावा, कंप्यूटर के उपयोग, स्थानीय कला, सौंदर्य सैलून, पोषण पाठ्यक्रम, टिफिन सेवाएं, बेकरी, पैरा-नर्सिंग और बुजुर्गों/विकलांग व्यक्तियों के लिए देखभाल सेवाएं, ड्राइविंग, फिटनेस ट्रेनर आदि में कौशल को प्रोत्साहित किया जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

v. **महिलाओं के लिए खुली जेल की आवश्यकता:** कैदियों के अधिकारों के स्पेक्ट्रम में बदलाव को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं के लिए खुली जेलें प्रगतिशील हैं। यह फाउंडेशन कैदियों के आत्म-अनुशासन, कम कठोर नियमों, न्यूनतम सुरक्षा पर आधारित है, और जहां कैदियों को कौशल और जीविकोपार्जन की अनुमति के माध्यम से अनुकूल पुनर्वास प्रदान किया जाता है। इस आलोक में खुली जेलें शुरू की जा सकती हैं और कैदियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पुनर्वासित किया जा सकता है।

vi **जमानत बांड/जमानत राशि प्रस्तुत करने के लिए धन की आवश्यकता:** कई कैदी जमानत आवेदन दायर करने के लिए आर्थिक रूप से अक्षम हैं क्योंकि उनके पास जमानत बांड और जमानत बांड प्रस्तुत करने की कमी है। इस संबंध में कैदियों की मदद के लिए संबंधित सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिएं। ऐसी सहायता प्रदान करने के लिए कॉर्पस फंड बनाया जा सकता है। सीएसआर फंडिंग वाली कंपनियों, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनआई), एनजीओ आदि से संपर्क किया जा सकता है।

vii. **विभिन्न राष्ट्रीयताओं से संबंधित कैदियों का मुद्दा:** कई विदेशी, कानूनी सहायता के बिना विभिन्न जेलों में बंद हैं। विदेशी कैदियों को आवश्यक कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद के लिए संस्थागत व्यवस्था की जा सकती है। किसी भी भाषा संबंधी बाधा के मामले में अनुवादकों का प्रावधान प्रदान किया जा सकता है।

viii. **न्यायपालिका को संवेदनशील बनाना:** अंततः बेहतर सार्वजनिक प्रशासन सुनिश्चित करने में न्यायिक प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें वैश्विक परिदृश्य के बीच लिंग के प्रति प्रणाली को संवेदनशील बनाकर आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन की दक्षता बढ़ाने के लिए एक समग्र कार्य योजना की आवश्यकता है।

ix. **विभिन्न संसाधनों के माध्यम से भलाई को बढ़ावा देना और चैनलाइज़ करना:** मौजूदा निधियों से परे संसाधनों और साधनों की खोज करके कैदियों की भलाई को बढ़ावा देने के संदर्भ में एक अलग सोच की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, सीएसआर फंड, एचएनआई दान आदि को चैनलाइज़ किया जा सकता है। कैदियों को उनके उत्थान और आत्मनिर्भरता के लिए ऋण का प्रावधान शुरू किया जा सकता है।

x. ट्रांसजेंडर कैदियों के लिए अलग बुनियादी ढांचे को पहचानने की आवश्यकता है। उनकी आवश्यकता के अनुसार अलग शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की चिकित्सा आवश्यकताओं का जवाब देने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों से परामर्श लिया जा सकता है। उन्हें विशिष्ट कौशल प्रदान किया जा सकता है।

*****

अध्याय -14

कानून की समीक्षा और कानूनी जागरूकता

14 कानून की समीक्षा

आयोग की स्थापना जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 (भारत सरकार के 1990 के अधिनियम संख्या 20) के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी (अन्य बातों के साथ):

- महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करें;
- उपचारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना;
- शिकायतों के निवारण की सुविधा प्रदान करना, और
- महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना।

14.1. महिलाओं से संबंधित कानूनी और संवैधानिक सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए धारा 10(1)(डी) के तहत अपने अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने बार-बार महिलाओं से संबंधित विधायी या नीतिगत अंतराल या मुद्दों की पहचान की है। इसके बाद इसने अपनी सिफ़ारिशों को तैयार करने और आवश्यक विचार और कार्रवाई के लिए सरकार को सौंपने के लिए व्यापक और ब्रॉड बेस्ड परामर्श के साथ आगे बढ़ाया है। इस संबंध में आयोग ने निम्नलिखित कानूनों की समीक्षा की थी:

14.1.1 "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005"

आयोग ने "घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005" की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया ताकि व्यापक बदलावों का सुझाव देने की प्रक्रिया में उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तर पूर्वी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों और हितधारकों के दृष्टिकोण को शामिल किया जा सके। घरेलू हिंसा से संबंधित कानून और विशेष रूप से घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 यह देखते हुए कि क्षेत्र- विशिष्ट या राज्य-विशिष्ट मुद्दे हो सकते हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। यह कानून को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में है। महामारी के परिणामस्वरूप यात्रा और सभा प्रतिबंधों के कारण, घरेलू हिंसा के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के प्रावधानों पर विचार-विमर्श और समीक्षा करने के लिए वेबिनार के माध्यम से पांच क्षेत्रीय परामर्श आयोजित किए गए।

14.1.2 भारत में महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्य संशोधनों का सुझाव देने वाली समेकित रिपोर्ट डी.ओ. पत्र दिनांक 21.07.2022 के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दी गई थी। परामर्श से निकली प्रमुख सिफ़ारिशें इस प्रकार हैं:

क) संरक्षण अधिकारी की भूमिका को यह सुनिश्चित करके मजबूत किया जाना चाहिए कि स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी को बिना किसी अन्य कर्तव्य के नियुक्त किया जाना चाहिए और मामले के भार से निपटने के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियुक्त किए जाने वाले संरक्षण अधिकारी को सामाजिक क्षेत्र/कानून/सामाजिक विज्ञान में कम से कम 2-3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए और कानून की बुनियादी समझ होनी चाहिए।

ख) यदि वेतनभोगी व्यक्तियों के मामले में अदालत द्वारा आदेशित एक भी भुगतान छूट जाता है तो वेतन की कुर्की एक नियम बन जाना चाहिए और नियोक्ता को अदालत द्वारा आदेशित राशि को पीड़ित महिला के खाते में स्वचालित रूप से स्थानांतरित करने के लिए कहा जाना चाहिए।

ग) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम की धारा 29 के तहत अपील के निपटान के लिए 90 दिनों की समय-सीमा तय की जानी चाहिए।

14.2 मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और संशोधन 2017

14.2.1. इस संबंध में आयोग ने संशोधन के लिए विशिष्ट सिफारिशें तैयार करने और कानून की पहुंच बढ़ाने के लिए अधिनियम पर फिर से विचार करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तीन चरणों में परामर्श और 18.06.2022 को समापन परामर्श आयोजित किया था।

14.2.2. मातृत्व लाभ के मामले में कामकाजी महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए नियामक क़ानूनी लिखतों, सिफारिशों, दिशानिर्देशों आदि के विकास की समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए कानून की समीक्षा के लिए परामर्श आयोजित किए गए थे। ये उपकरण कानून और नीति का एक क्षेत्र बनाते हैं जिसने दशकों से काफी परिपक्वता, प्रसार और मानक महत्व प्राप्त किया है।

14.2.3. इन परामर्शों के माध्यम से, आयोग ने मौजूदा कानून में व्यवहार्य संशोधनों के लिए समेकित सिफारिशें तैयार करने या मौजूदा कानून (क़ानून, नियम, दिशानिर्देश, मानक संसाधन प्रक्रिया आदि) पर एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता को प्रोजेक्ट करने के लिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों से हितधारकों के विचार, सुझाव और राय मांगी थी।

14.2.4. भारत में महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्य संशोधनों का सुझाव देने वाली समेकित रिपोर्ट अर्धशासकीय पत्र दिनांकित 22.07.2022 के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय को भेज दी गई थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 30.08.2022 के माध्यम से रिपोर्ट अवलोकन एवं उचित कार्रवाई के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भिजवा दी गई थी। अन्य के अलावा प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

क) गोद लेने के मामले में बच्चे की ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 10 वर्ष किया जा सकता है जो वर्तमान में मातृत्व का लाभ उठाने के लिए है। गोद लेने वाली और जैविक माताओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि समान यानी 26 सप्ताह होगी।

ख) जिसे मातृत्व लाभ या चिकित्सा बोनस, या दोनों से वंचित किया गया है, या कार्यालयीन समय में अनुपस्थिति के कारण उसे छुट्टी दे दी गई है या बर्खास्त कर दिया गया है उसे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 12(2)(बी) के तहत उस महिला द्वारा अपील दायर करने के लिए सीमा अवधि को वर्तमान 60 दिनों से बढ़ाकर कम से कम 120 दिन किया जाना चाहिए।

ग) फास्ट ट्रैक निवारण की सुविधा के लिए मातृत्व लाभ से इनकार के संबंध में शिकायतों की केंद्रीकृत रिपोर्टिंग और निगरानी की एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

14.3. "पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984"

14.3.1. आयोग ने **"परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984"** की समीक्षा करने का निर्णय लिया था। इस संबंध में, आयोग ने मौजूदा कानून और उसके कार्यान्वयन की अक्षरश: समीक्षा करने के लिए 07 मई, 2022 को कानूनी विशेषज्ञों के साथ इस विषय पर एक 'प्रारंभिक बैठक' आयोजित की थी। इसके बाद, आयोग ने परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 से संबंधित कानून में व्यापक बदलावों का सुझाव देने की प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों और विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के दृष्टिकोण को शामिल करने के लिए 5 क्षेत्रीय परामर्श आयोजित करने का निर्णय लिया।

14.3.2. इस संबंध में आयोग ने निम्नलिखित बैठकें आयोजित कीः

- 7 मई, 2022 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में प्रारंभिक बैठक
- उत्तर पूर्वी क्षेत्र: 8 जुलाई, 2022 को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, असम के सहयोग से परामर्श
- दक्षिणी क्षेत्र: 16 जुलाई, 2022 को नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज, केरल के सहयोग से परामर्श
- पश्चिमी क्षेत्र: 25 जुलाई, 2022 को राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से परामर्श
- पूर्वी क्षेत्र: हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ के सहयोग से 30 सितम्बर, 2022 को परामर्श
- उत्तरी क्षेत्र: 23 नवम्बर, 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली में परामर्श

14.3.3. भारत में महिलाओं के हित को ध्यान में रखते हुए व्यवहार्य संशोधनों का सुझाव देने वाली समेकित रिपोर्ट डी.ओ. पत्र दिनांक 01.06.2023 के माध्यम से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कानून और न्याय मंत्रालय को भेज दी गई थी। अन्य के अलावा प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं:

क) काउंसलर का कार्यकाल तय किया जाए। यह सुनिश्चित करेगा कि महिला या पीड़ित व्यक्ति को प्रत्येक नवनियुक्त काउंसलर को पूरी कहानी दोबारा बताने से बचाया जाए जिससे प्रक्रिया में लगने वाला समय कम हो जाएगा और त्वरित निवारण सुनिश्चित होगा।

ख) मुकदमों में पारिवारिक न्यायालयों में जाने से पहले पूर्व मध्यस्थता को एक अनिवार्य कदम के रूप में शामिल किया जा सकता है ताकि अधिकांश मतभेद पक्षों द्वारा अदालत में जाने से पहले ही सुलझा लिए जाएं।

ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों ने प्रक्रिया के अलग-अलग नियम निर्धारित किए हैं। हालाँकि नियमों के एक समान सेट की आवश्यकता महसूस की गई है। पारिवारिक न्यायालय मैनुअल की आवश्यकता के लिए इसकी अनुशंसा की जाती है। मैनुअल में ऐसे प्रावधान शामिल होने चाहिएं जो एक समान संरचना का पालन करने में मदद करें और बदलाव लाने के मामले में लचीलापन प्रदान करें। मैनुअल में वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र और पारिवारिक मामले के विवादों से निपटने वाले अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के प्रावधान शामिल होने चाहिएं।

14.4 जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए 'अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता कार्यक्रम': रा.म.आ ने राष्ट्रीय कानूनी सेवाओं के सहयोग से महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत प्रदान किए गए बुनियादी कानूनी अधिकारों और उपायों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए तालुका स्तर

पर जागरूकता शिविर आयोजित किए हैं ताकि वे जीवन की वास्तविक स्थितियों में चुनौतियों का सामना कर सकें।

रा.म.आ ने नालसा के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाली महिलाओं के लिए कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें प्रत्येक तालुका से 50-60 महिलाओं की अनुमानित भागीदारी थी। मार्च, 2023 के महीने में पूरे भारत में 2095 तालुका कानूनी सेवाओं/ जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को कवर करते हुए कुल 2187 कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों के तहत प्रदान किए गए बुनियादी कानूनी अधिकारों और उपायों के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना है, जिससे उन्हें वास्तविक जीवन स्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए उपयुक्त बनाया जा सके। कार्यक्रम के अन्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

i) महिलाओं को उनकी समस्याओं/शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध न्याय वितरण प्रणाली की विभिन्न मशीनरी/अंगों के बारे में जागरूक करना।

ii) शिकायतों के निवारण के लिए उपलब्ध विभिन्न माध्यमों अर्थात पुलिस, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संपर्क करने और उनका उपयोग करने की प्रक्रिया।

iii) महिलाओं और बालिकाओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 सहित विभिन्न कानूनों के तहत दिए गए उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना; दहेज निषेध अधिनियम, 1961; महिला घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, 2005 आदि।

14.5 हरियाणा में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम: महिलाओं और लड़कियों के बीच कानूनी जागरूकता पैदा करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता को पहचानते हुए, आयोग ने हरियाणा में चिन्हित सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के साथ राज्यव्यापी कानूनी जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से, आयोग का लक्ष्य महिलाओं और बालिकाओं को बुनियादी कानूनी अधिकारों और उपायों के ज्ञान से लैस करना है, अंततः उन्हें विकास के साधनों तक समान रूप से शक्ति साझा करने और समानता और न्याय प्राप्त करने की दिशा में एक साथ महिलाओं की एक पूरी पीढ़ी को काम करने के लिए प्रेरित करने में सक्षम बनाना है। कार्यक्रम का विचार/उद्देश्य महिलाओं में बुनियादी नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। निम्नलिखित विषयों पर विशेष बल दिया गया है:

i) प्रतिभागियों को रा.म.आ और राज्य महिला आयोगों की कार्यप्रणाली से अवगत कराना;

ii) विभिन्न महिला संबंधी सरकारी योजनाएं;

iii) सरकारी हेल्प-लाइन और पोर्टल;

iv) नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य;

v) महिला सशक्तिकरण को सुविधाजनक बनाने वाले ऐतिहासिक कानून;

vi) निःशुल्क कानूनी सहायता सेवाएँ

कार्यक्रम 27 दिसंबर, 2022 को केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा, महेंद्रगढ़ और 06 जनवरी 2023को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जींद हरियाणा में आयोजित किया गया।

*****

अध्याय -15

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग

15.1 हमारे दैनिक जीवन में सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का प्रभाव अब तेजी से हर क्षेत्र में बढ़ रहा है। सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT) में अन्य बातों के साथ-साथ कठिन परिश्रम को कम करके मानव जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने की क्षमता है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक सक्षम वातावरण के निर्माण पर जोर देते हुए सूचना संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का नियोजन लंबे समय से एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता रहा है। प्रबुद्ध समाज में महिलाओं को रोजगार के लिए आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने की उनकी क्षमता और मुद्दों की अंतर्दृष्टि और सामाजिक तथा संस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए कौशल निर्माण करने की आवश्यकता है।

15.2 राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने और निर्णय लेने में तेजी लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग किया है। आयोग ने 2005 की शुरूआत में प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक रसीद प्रसंस्करण और शिकायतों का निपटान शुरू कर दिया था। भारत से और साथ ही अपने अनिवासी भारतीय पति द्वारा परित्यक्त महिला शिकायतकर्ता आयोग की आधिकारिक वेबसाइट http://ncw.nic.in पर उपलब्ध ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने में सक्षम हैं। एक यूनिक यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ एक रसीद नंबर/फाइल नंबर जेनरेट किया जाता है और शिकायतकर्ता को आबंटित किया जाता है। यह प्रणाली व्यक्तिगत शिकायतकर्ता को उसकी शिकायत की प्रगति को ऑनलाइन ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करती है।

15.3 वर्ष 2022-23 के दौरान, ऑनलाइन प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए ई-प्रस्ताव मॉड्यूल को इस प्रकार तैयार किया गया था (क) क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम, (ख) कैरियर परामर्श कार्यशाला, (ग) अनुसंधान अध्ययन और (घ) सेमिनार / कार्यशाला / सम्मेलन। कुल 1747 प्रस्ताव प्राप्त हुए और विशेषज्ञ समिति द्वारा उचित परीक्षण के बाद आयोग द्वारा प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक रूप से की गई। विवरण इस प्रकार हैं:

क्रमांक	प्रस्ताव का प्रकार	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या
1	क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम	351
2	कैरियर परामर्श कार्यशाला	89
3	अनुसंधान अध्ययन	206
4	सेमिनार / कार्यशाला / सम्मेलन	1101
	कुल	**1747**

15.4 आयोग की 24x7 रा.म.आ. महिला हेल्पलाइन 7827-170-170 है, हेल्पलाइन का उद्देश्य पुलिस, अस्पतालों, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, मनोवैज्ञानिक परामर्शदाताओं जैसे उपयुक्त अधिकारियों के साथ उन्हें जोड़कर रेफरल के माध्यम से 24x7 ऑनलाइन सहायता प्रदान करना है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा पुश और पुल- प्रणाली पर आधारित एक उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस सॉफ़्टवेयर अर्थात् इंटरएक्टिव सूचना प्रसार प्रणाली (IIDS)(https://ncwwomenhelpline.in/) विकसित की गई है। सॉफ्टवेयर सभी कॉल रिकॉर्ड संग्रहित करने और रिपोर्ट तैयार करने में सक्षम है। वर्ष के दौरान कुल 98,429 कॉल प्राप्त हुई जहाँ आवश्यक जानकारी और कुछ मामलों में तत्काल मदद/सहायता प्रदान की गई।

15.5 आयोग ने महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर ज्ञान/सूचना को प्रभावी ढंग से प्रसारित करने की दृष्टि से प्रशिक्षुओं को शामिल करने का निर्णय लिया है। पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन प्रोफार्मा के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। रा.म.आ क साथ इंटर्नशिप करने के इच्छुक छात्र निर्धारित प्रोफार्मा में तिमाही आधार (जनवरी-मार्च, अप्रैल-जून, जुलाई-सितंबर और अक्टूबर-दिसंबर) पर अपने आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। वर्ष के दौरान कुल 596 आवेदन प्राप्त हुए।

15.6 आयोग ने टियर II भारतीय शहरों में महिला सुरक्षा ऑडिट का सर्वेक्षण अनुसंधान शुरू किया। ऑडिट का उद्देश्य एक नमूना सर्वेक्षण और केंद्रित समूह चर्चा (एफजीडी) के आधार पर शहर में सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में महिलाओं द्वारा अनुभव की गई सुरक्षा के स्तर का आकलन करना है। सर्वेक्षण के दौरान एकत्र की गई जानकारी के आधार पर संस्थान विशिष्ट शहर के लिए महिला सुरक्षा स्कोर कार्ड तैयार करेगा। महिला सुरक्षा ऑडिट भागीदारी दृष्टिकोण का उपयोग करके भौतिक और सामाजिक-आर्थिक वातावरण में अंतराल की पहचान करने और सुरक्षित सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों को सुनिश्चित करने के लिए इन्हें सही करने का एक उपकरण है। स्कोर कार्ड एकत्र करने, संकलित करने और तैयार करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, डीआईसी एक डेटा संग्रह/सामाजिक सर्वेक्षण प्लेटफॉर्म, एक वेब पोर्टल (https://ncwstaysafe.in) और मोबाइल एप्लिकेशन (एनसीडब्ल्यू स्टे सेफ प्ले स्टोर पर उपलब्ध है) डिजाइन और विकसित कर रहा है। रा.म.आ के लिए महिला सुरक्षा ऑडिट सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए चिन्हित संस्थानों के सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा इनका उपयोग किया जाएगा।

15.7 कोविड-19 के बाद बातचीत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तेजी से बढ़ रहे हैं। आयोग विभिन्न आभासी परामर्श, वेबिनार, बैठकें भी आयोजित करता है। आयोग प्राप्त शिकायतों पर ऑनलाइन सुनवाई भी करता है जिससे दोनों पक्षों का समय और पैसा बचता है और आयोग की पहुंच तेजी से बढ़ती है। आयोग के अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ ने एक परामर्श का आयोजन किया जिसमें ऑनलाइन मंच के माध्यम से बाहरी देशों के विभिन्न प्रतिभागियों ने भाग लिया।

*****

अध्याय -16

मीडिया एवं जनता तक पहुँच (आउटरीच) कार्यक्रम

महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण में उच्च स्तरीय समर्थन हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया अधिकारों का उपयोग कर रहा है। इन प्रयासों में मीडिया और सोशल मीडिया के दायरे में उल्लेखनीय कार्यों का आयोजन शामिल है, जिन्होंने डिजिटल क्षेत्र में मीडिया की पहुंच और प्रभाव का विस्तार किया है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

16.1 न्यूज़लेटर:

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा मासिक न्यूज़लेटर का प्रकाशन किया जा रहा है, जो प्रत्येक माह की घटनाओं का जीवंत-दर्शन प्रस्तुत करता है। न्यूज़लेटर में दी गई जानकारियाँ प्रभावशाली रूप से दर्शाई जाती है, जो पाठकों के मन में महिलाओं के प्रति किए जा रहे कार्यों के प्रति अटूट प्रभाव छोड़ती हैं। यह आयोग की गतिविधियों में अंतर्दृष्टि प्रदान कर आयोग और उसके हितधारकों के बीच संचार के एक क्रियाशील पुल के रूप में कार्य करता हैं।

16.2 "डिजिटल क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाना: राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा 'डिजिटल शक्ति'"

महिलाओं के लिए एक सुरक्षित साइबरस्पेस विकसित करने की अटूट प्रतिबद्धता में, राष्ट्रीय महिला आयोग ने 'डिजिटल शक्ति' को जन्म देने के लिए मेटा और साइबर पीस फाउंडेशन के सहयोग से शक्ति प्राप्त की है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित इस डिजिटल साक्षरता पहल ने पूरे देश में महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की एक आर्केस्ट्रा सिम्फनी का आयोजन करते हुए अपना चौथा चरण शुरू कर दिया है।

"डिजिटल शक्ति" का मूल उद्देश्य महिलाओं को ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र के बारे में उनके ज्ञान को मजबूत करते हुए विशाल डिजिटल परिदृश्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट करने की क्षमता से लैस करना है। यह व्यापक कार्यक्रम तीन महत्वपूर्ण डोमेन में अपने पंख फैलाता है: डेटा गोपनीयता और सोशल मीडिया सुरक्षा, साइबर अपराध और कानूनी निवारण, और साइबर नैतिकता और डिजिटल वेलबिंग।

इस नवीनतम चरण के तहत, 'डिजिटल शक्ति' ने आश्चर्यजनक रूप से 6,86,629 महिलाओं और लड़कियों के दिल और दिमाग को शक्ति दी है, उनके डिजिटल कौशल को समृद्ध किया है और उनकी ऑनलाइन उपस्थिति को सुरक्षित रखा है। इस परिवर्तनकारी पहल की शुरुआत 18 जून, 2018 को हुई, जब पहले सत्र से ही पंजाब विश्वविद्यालय के गलियारों में जागृति दिखाई दी।

16.3 सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग: रा.म.आ की विश्व के लिए विंडो

राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपनी कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रसारित करने के लिए फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब का उपयोग करके डिजिटल युग को अपनाया है। इसका उद्देश्य सभागार की सीमाओं से बाहर जाकर अनगिनत व्यक्तियों की स्क्रीन पर उपलब्ध होना और बड़े पैमाने पर जागरूकता जगाना है। इन डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से सामने आई उल्लेखनीय घटनाओं में से कुछ इस प्रकार हैं:

"मानव तस्करी निवारण जागरूकता पर संगोष्ठी"

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के सहयोग से यह कार्यक्रम नई दिल्ली के प्रतिष्ठित डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर में आयोजित किया गया। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, रा.म.आ ने महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि का प्रसार किया और वैश्विक दर्शकों के बीच मानव तस्करी से निपटने के बारे में जागरूकता बढ़ाई।

"हर स्टोरी हर वाइस"

नेटफ्लिक्स के सहयोग से आयोजित इस सेमिनार में महिलाओं के सशक्तिकरण में मीडिया और मनोरंजन की प्रभावशाली भूमिका पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण करके, रा.म.आ ने यह सुनिश्चित किया कि महिला सशक्तिकरण पर चर्चा आयोजन स्थल की भौतिक सीमाओं से परे दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचे।

*****

अध्याय -17

यौन उत्पीड़न की शिकायतों से निपटने के लिए तंत्र

17.1 विभिन्न अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के संदर्भ में मानव गरिमा के साथ काम करने का अधिकार एक सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त मानव अधिकार है। भारत में, यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक अभिन्न अंग है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न इस अधिकार का हनन करता है और महिलाओं को नुकसानदेह स्थिति में डालता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया है और यह अन्य बातों के साथ-साथ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच के लिए एक आंतरिक समिति के गठन का प्रावधान करता है।

17.2 महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न शिकायतों की जाँच के लिए एक आंतरिक समिति (जिसे पहले आंतरिक शिकायत समिति के रूप में जाना जाता था) का गठन किया है। वर्ष 2022-2023 के दौरान, समिति की अध्यक्षता आयोग की उप सचिव डॉ. शिवानी दे(सामान्य प्रशासन) द्वारा की गई थी।

17.3 महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार, आयोग में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों और वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान आयोजित कार्यशालाओं का विवरण नीचे दिए गए हैं:

प्राप्त शिकायतों की सं.	निपटाई गई शिकायतों की सं.	नब्बे दिन से अधिक लंबित मामलों की सं.	आयोजित कार्यशालाओं या जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं

अध्याय -18

सूचना का अधिकार

18.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुकरण में राष्ट्रीय महिला आयोग ने प्रशासन और आयोग द्वारा किए जा रहे अन्य विषयों के संबंध में स्पष्टता, पारदर्शिता और जबावदेही की अभिवृद्धि करने के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की है। इसमें आम जनता के कार्यक्षेत्र में अधिक से अधिक जानकारी रखना भी सम्मिलित है।

18.2 आयोग का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि आयोग की वेबसाइट के माध्यम से नियमित अन्तराल पर जनता को अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जाए जिससे जनता कम प्रयास से ही अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर सके। तदनुसार, जहां ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से शिकायतकर्ता से प्राप्त शिकायतों की स्थिति उपलब्ध है और ऐसी शिकायतों के बारे में संक्षिप्त जानकारी आयोग की वेबसाइट पर रखने के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आयोग द्वारा अनुमोदित अनुसंधान अध्ययन और सेमिनार के बारे में जो स्थिति है उसे अद्यतन किया है और यह भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग द्वारा तैयार किए गए सभी विज्ञापनों को भी नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर रखा जाता है जिससे सभी संबंधित व्यक्तियों तक जानकारी का प्रचार सुनिश्चित हो सके।

18.3 यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि सूचना का अधिकार(आर.टी.आई) के सभी अनुरोधों का यथासंभव शीघ्र उत्तर दिया जाए और अन्य लोक प्राधिकारियों से संबंधित मामलों को शीघ्रतापूर्वक संबंधित प्राधिकारी को अंतरित किया जाता है।

18.4 वर्ष 2022 -23 के दौरान सूचना के अधिकार से संबंधित प्राप्त आवेदनों और अपीलों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क. तिमाही-वार सूचना के अधिकार के आवेदनों की प्राप्ति और उनका निपटान नीचे दिया गया है:

तिमाही	प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा अंतरित प्राप्त आवेदनों की सं.	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन (अन्य लोक अधिकारियों को अंतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामलों की सं.	निर्णय जहाँ अनुरोध / अपील को नामंजूर किया गया।	निर्णय जहाँ अनुरोध / अपील को नामंजूर किया गया।	अगली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष
तिमाही 1	35	03	215	24	04	211	14
तिमाही 2	14	14	244	32	02	223	15
तिमाही 3	15	09	214	64	02	159	13
तिमाही 4	13	11	242	35	03	197	31

ख. राष्ट्रीय महिला आयोग में प्राप्त प्रथम अपीलों का विवरण इस प्रकार है:

तिमाही	प्रारंभिक शेष	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा अंतरित प्राप्त आवेदनों की सं.	तिमाही के दौरान प्राप्त आवेदन (अन्य लोक अधिकारियों को अंतरित मामलों सहित)	धारा 6(3) के अधीन अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित मामलों	निर्णय जहां अनुरोधों/ अपीलों को नामंजूर कर दिया	निर्णय जहां अनुरोधों/ अपीलों को मंजूर कर दिया गया हैं	अगली तिमाही के लिए प्रारंभिक शेष
तिमाही 1	13	लागू नहीं	21	00	00	23	11
तिमाही 2	11	लागू नहीं	28	00	00	25	14
तिमाही 3	14	लागू नहीं	16	00	00	17	13
तिमाही 4	13	लागू नहीं	06	00	00	17	02

अध्याय -19

राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

19.1 राष्ट्रीय महिला आयोग ने वर्ष 2022-23 के दौरान सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। आयोग ने संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और हिन्दी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

19.2 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत सशक्त, आत्मनिर्भर भारत' को साकार करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा तैयार की गई "12 प्र' की नीति को क्रियान्वित किया गया है।

19.3 रा.म.आ द्वारा प्रकाशित 'राष्ट्र महिला' न्यूज लेटर का हिंदी रूपांतर साथ-साथ जारी किया गया।

19.4 साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में अध्यक्ष, श्रीमती रेखा शर्मा द्वारा हिंदी कार्य से संबंधित मुद्दों की समीक्षा नियमित रूप से जाती है।

19.5 राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

19.6 माननीय मंत्री श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 02 सितम्बर, 2022 को आयोजित 'हिंदी सलाहकार समिति' की बैठक में श्रीमती रेखा शर्मा, अध्यक्ष, रा.म.आ ने भाग लिया।

19.7 वरिष्ठ शोध अधिकारी तथा परामर्शदाता (राजभाषा) ने कार्यान्वयन समिति -दक्षिण दिल्ली 2 केंद्रीय विद्त प्राधिकरण द्वारा दिनांक 23 मई, 2022 तथा 1 दिसम्बर, 2022 में आयोजित बैठकों में भाग लिया।

19.8 आयोग के विभिन्न प्रकोष्ठों से प्राप्त सामग्री जैसे कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, नियम, मैनुअल, संस्वीकृति आदेश, नियमावली, मानक प्रपत्र (वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट, फीडबैक प्रपत्र, निरीक्षण प्रपत्र जेल, सुधार प्रकोष्ठ, आश्रय गृह एवं हवाई टिकट की मांग), अधिसूचना एवं प्रशासनिक प्रतिवेदन, प्रेस विज्ञप्ति विभिन्न विषयों पर शोध अध्ययन प्रतिवेदन आदि के हिंदी अनुवाद का कार्य राजभाषा प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है।

19.9 श्री सत्यमूर्ति नागेश, उप निदेशक (राजभाषा), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 14.06.2022 को राजभाषा निरीक्षण के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा किया और आयोग में राजभाषा के प्रगामी कार्यान्वयन के लिए उचित मार्गदर्शन दिया।

19.10 हिंदी पखवाड़ा 2022-23 के दौरान आयोग में हिंदी में नियमित रूप से काम करने के अलावा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। कर्मचारियों को अपने नियमित कार्यों में हिंदी का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने हेतु आयोग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया किया गया और सभी विजेताओं को माननीय अध्यक्ष, श्रीमती रेखा शर्मा द्वारा सम्मानित किया गया।

19.11 राष्ट्रीय महिला आयोग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की।

19.12 गृह मंत्रालय ने 14-15 सितंबर, 2022 को सूरत, गुजरात में द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु उचित मार्गनिर्देश प्राप्त करने के लिए रा.म.आ. से अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया। मुख्य अतिथि श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने समारोह को भव्यता प्रदान की। समारोह के दौरान कंठस्थ-2.0 का शुभारंभ भी किया गया।

अध्याय -20
वार्षिक खाता
2022-23

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार
तुलन पत्र (अलाभकारी संगठन)

(राशि रू. में)

पूंजीगत निधि और देयताएं	अनुसूची	वर्तमान वर्ष			विगत वर्ष		
		सहायता अनुदान सामान्य, पूंजीगत एवं NER के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान (71.01.31)	सहायता अनुदान वेतन एवं सहायता अनुदान सामान्य (36.00.36 एवं 36.00.31)	कुल	सहायता अनुदान सामान्य एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान	योग
पूंजीगत निधि	1	68279498.00	4679170.00	72958668.00	120998517.00	6774126.00	127772643.00
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-	-	-	-	-
निर्धारित/स्थायी निधि	3	-	-	-	-	-	-
सुरक्षित ऋण और उधार	4	-	-	-	-	-	-
असुरक्षित ऋण और उधार	5	-	-	-	-	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-	-	-	-	-
मौजूदा देयताएं और प्रावधान	7	150521802.00	5527010.00	156048812.00	125077346.00	18979285.00	144056631.00
		218801300.00	**10206180.00**	**229007480.00**	**246075863.00**	**25753411.00**	**271829274.00**
आस्तियां							
स्थायी आस्तियां	8	109715315.00	-	109715315.00	121416456.00	-	121416456.00
निवेश - निर्धारित / स्थायी निधि से	9						-
निवेश - अन्य	10	-	-	-	-	-	-
वर्तमान आस्तियां, ऋण एवं अग्रिम	11	114165293.00	5126872.00	119292165.00	129786064.00	20626754.00	150412818.00
विविध व्यय		-		-	-	-	-
योग		**223,880,608.00**	**5,126,872.00**	**229,007,480.00**	**251,202,520.00**	**20,626,754.00**	**271,829,274.00**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	24						
आकस्मिक देयताएं और लेखा टिप्पणियां	25						

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025

राष्ट्रीय महिला आयोग
आय एवं व्यय लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष

(राशि रू. में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सहायता अनुदान सामान्य,जीआईआर. के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एनईआर	सहायता अनुदान एवं सामान्य वेतन
बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-		-
अनुदान/सहायिकी	13	206833643.00	78729222.00	147648757.00	78445669.00
शुल्क/अभिदान	14	-	2320.00	-	12225.00
निवेश से आय (निवेश पर आय, निधियों में	15	-	-	-	-
निर्धारित/स्थायी निधियों से आय)		-	-	-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-	-	-
उपार्जित ब्याज	17	583839.00	218946.00	491660.00	254984.00
अन्य आय	18	10659665.00	216263.00	5871686.00	202459.00
तैयार माल और स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19		-		-
			-	-	-
योग (क)		**218077147.00**	**79166751.00**	**154012103.00**	**78915337.00**
व्यय					
स्थापना व्यय	20	44431451.00	32197606.00	40625599.00	41174397.00
अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	(5,175,046.00)	49064101.00	12,163,233.00	37049024.00
अनुदान, सहायिकी आदि पर व्यय.	22	219873524.00	-	120100243.00	-
ब्याज	23	-	-	-	-
मूल्यह्रास (वर्ष के अंत में कुल योग)		14848723.00	-	16069549.00	-
स्थायी संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान		33266.00	-	-	-
योग (ख)		**274,011,918.00**	**81,261,707.00**	**188,958,624.00**	**78,223,421.00**
व्यय से अधिक आय होने के कारण अंतशेष (क-ख)		**(55,934,771.00)**	**(2,094,956.00)**	**(34,946,521.00)**	**691916.00**
विशेष आरक्षित में अंतरण		-	-	-	-
सामान्य आरक्षित में/से अंतरण		-	-	-	-
समग्र/पूंजीगत निधि में लाई गई अधिशेष/(कम हुई) शेष राशि		**(55,934,771.00)**	**(2,094,956.00)**	**(34,946,521.00)**	**691916.00**

22/6/23

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, भाई एस ओ एस
Meenakshi Negi
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission for Women
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र
Plot No. 21, Jasola Institutional Area

राष्ट्रीय मांहेला आयोग
प्राप्तियां और भुगतान लेखा (अलाभकारी संगठन)
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(राशि रू. में)

प्राप्ति	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान, सामान्य एवं NER के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान (71.01.31)	सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान सामान्य (36.00.36 और 36.00.31)	सहायता अनुदान सामान्य एवं NER	सहायता अनुदान सामान्य एवं सहायता अनुदान वेतन
प्रारंभिक अतिशेष				
शेष नकदी	-	-	-	-
शेष बची डाक टिकट		**77,942.00**		**13,300.00**
बैंक अतिशेष	**13,640,935.00**	**14,489,689.00**	**3,239,537.00**	**7,086,866.00**
प्राप्त अनुदान	214,900,000.00	85,096,000.00	164,900,000.00	93,000,000.00
निवेश से आय				
अक्षय निधि	-	-	-	-
स्वनिधि				
	-	-	-	-
निवेश पर ब्याज	-	-	-	-
प्राप्त ब्याज				
बैंक में जमा	13,957.00	5,526.00	41,310.00	23,298.00
MOD (Sweep A/C) पर बैंक ब्याज	658,541.00	260,769.00	391,004.00	220,518.00
ऋण एवं अग्रिम		-		-
निवेश नगदीकरण	-	-	-	-
	-	-	-	-
अन्य आय				
सूचना का अधिकार		2,320.00		12,225.00
विभिन्न आय	64,366.00	216,263.00	-	-
विगत वर्ष विभिन्न आय	1,201,475.00	-	2,882,958.00	66,506.00
धनप्रेषण (अनुसूची-29)		11,828,047.00	-	11,834,861.00
प्रतिभूति जमा राशि	716,465.00	-	394,000.00	-
देयताएं वापस लिखा				
राज्य चेक	-	-	50,485.00	24,990.00
	231,195,739.00	**111,976,556.00**	**171,899,294.00**	**112,282,564.00**

भुगतान	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान, सामान्य एवं NER के लिए पूंजीगत आस्तियां एवं सहायता अनुदान	सहायता अनुदान वेतन एवं सहायता अनुदान सामान्य	सहायता अनुदान सामान्य एवं NER	सहायता अनुदान सामान्य एवं सहायता अनुदान वेतन
स्थापना व्यय (अनुसूची-26)	44,111,928.00	31,995,963.00	40,472,832.00	41,612,490.00
अन्य प्रशासनिक व्यय अनुसूची 27	24,686,852.00	47,218,137.00	27,951,943.00	37,180,716.00
पूर्व अवधि व्यय	-	-		
विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरुद्ध किया गया	140,070,935.00	-	80,564,583.00	-
धनप्रेषण (अनुसूची-29)	-	11,828,047.00	-	11,834,861.00
वेतन एवं लेखा अधिकारी महिला एवं बाल विकास	13,640,935.00	14,489,689.00	3,239,537.00	7,086,866.00
31.3.2023 को आरबीआई की अव्ययित शेष राशि भारत सरकार को हस्तांतरित	2,989,159.00	5,838,501.00		
प्रतिभूति जमा राशि	442,977.00		373,800.00	-
जमा प्राप्तियां	-		-	
नियत आस्तियों पर व्यय		-	-	-
क) नियत आस्तियां	3,391,507.00	-	5,655,664.00	
ख) प्रगति पर कार्य	-		-	
MWCD को सहायता अनुदान वापस किया गया	-	-	-	-
अंतिम शेष				
नगद शेष	-		-	-
शेष डाक टिकटें		**119,812.00**	**-**	**77,942.00**
बैंक अतिशेष (अनु-30)	**1,861,446.00**	**486,407.00**	**13,640,935.00**	**14,489,689.00**
	231,195,739.00	**111,976,556.00**	**171,899,294.00**	**112,282,564.00**

22/6/23
PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi

(3)

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2023 को तुलन पत्र का भाग गठित करने वाली अनुसूचियां

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
अनुसूची 1- पूंजीगत निधि				
वर्ष के आरंभ में अतिशेष	120,998,517.00	6,774,126.00	152,334,730.00	6,082,210.00
जोड़े- आरक्षित एवं अधिशेष से अंतरण	-	-	-	-
जोड़ें/(कटौती) :- आय एवं व्यय खाते से अंतरित शुद्ध आय (व्यय) का				
अतिशेष	55,934,771.00	20,949,560.00	-34,946,521.00	691,916.00
		-		-
जोडे:- वर्ष के दौरान पूंजीगत निधि का परिवर्धन	3,215,752.00	-	3,610,308.00	-
		-		-
		-		-
वर्ष के अंत में अतिशेष	**68,279,498.00**	**4,679,170.00**	**120,998,517.00**	**6,774,126.00**
अनुसूची 2- आरक्षित और आधिशेष				
1) ***पूंजीगत आरक्षित***				
पिछले खाते के अनुसार	-	-	-	-
घटाएं : पूंजीगत निधि में अंतरण अनुसूची 1	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
अनुसूची 3- निर्धारित / स्थायी निधि		**निरंक**		
अनुसूची 4- प्रांतेभूत ऋण और उधार		**निरंक**		
अनुसूची 5- अप्रतिभूत ऋण और उधार		**निरंक**		
अनुसूची 6- आस्थगित ऋण दायित्व		**निरंक**		
अनुसूची 7- वर्तमान दायित्व और प्रावधान				
वर्तमान देनदारियां				
मार्च, 2023 के महीने के लिए संदेय वेतन	-	-	-	1,925,944.00
मार्च, 2023 के महीने के लिए संदेय प्रेषण	-	2,146,722.00	-	709,080.00
मार्च, 2023 के महीने के लिए जीएसटी पर टीडीएस और टीडीएस देय	-	741,589.00	245,620.00	123,330.00
डीडब्ल्यूएस/संविदात्मक कर्मचारियों के संबंध में मार्च, माह के लिए देय ईपीएफ	-	-	91,800.00	-
मार्च, 2023 के महीने के लिए संदेय बिल	781,026.00	1,159,510.00	3,405,152.00	574,078.00
मार्च महीने के लिए ईपीएफ/एनपीएस/सीपीएफ और एडमिन चार्ज नियोक्ता अंशदान	-	54,749.00	99,450.00	55,518.00
मार्च, 2023 माह के लिए देय पारिश्रमिक एवं पारिश्रमिक का बकाया	750,817.00	-	-	-
प्रतिभूति जमा	1,439,477.00	103,565.00	1,165,989.00	103,565.00
पुरानी चेक का दायित्व	50,485.00	24,990.00	50,485.00	24,990.00
मार्च, 2023 के महीने के लिए बैंक शुल्क दायित्व	-	46.00	-	8,397.00
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को संदेय	3,305,689.00		3,305,689.00	
अव्ययित शेष राशि के लिए दायित्व वापसी योग्य	1,861,446.00	486,407.00	13,640,935.00	14,489,689.00
अव्ययित डाक टिकटों की शेष राशि के लिए दायित्व वापसी योग्य	-	119,812.00	-	77,942.00
लेखापरीक्षा शुल्क के लिए उपबंध	-	689,620.00	-	300,000.00
किराए की दरों और करों के लिए प्रावधान	-	-		586,752.00
संगठन/संस्था/एनजीओ को संदेय (A+B+C+F+H+K)	130,672,664.00	-	92,130,344.00	-
संगठन/संस्था/एनजीओ को संदेय राशि (NER) (D+E+G+I+J)	11,660,198.00	-	10,941,882.00	-
CPF देय			-	-
CPF देय अंशदान				-
	150,521,802.00	**5,527,010.00**	**125,077,346.00**	**18,979,285.00**

22/6/23

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन	**क**	**42,778,184.00**		**36,328,376.00**	
समुद्री शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादमी चेन्ना-स्टू		-		199,710.00	
एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद एसपी.एस		-		602,280.00	
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान. ओडिशा- रे स्टाय		720,500.00		720,500.00	
एमिटी बिजनेस स्कूल एमिटी यूनिवर्सिटी-एसपी-एसटी		-		315,600.00	
एमिटी इंस्टिट्यूट. पुनर्वास विज्ञान के.यूपी-रेस्टी		590,700.00		-	
एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ शोध अध्ययन		-		97,650.00	
अमृता विश्व विद्यापीठम विश्वविद्यालय कोयंबटूर-Sp.St		-		80,000.00	
अटल बिहारी वाजपेई भारतीय संस्थान. टेक.एमपी-रे स्टाई		940,000.00		-	
बहिरी स्मारक महा विद्यालय महाराष्ट्र		-		184,200.00	
भारथिअर विश्वविद्यालय. तमिलनाडु-Re.Sty		610,500.00		-	
भारतीय स्त्री शक्ति मुंबई-रे. स्टाइल जी		940,500.00		180,000.00	
बी.जे सरकार मेडिकल कॉलेज पुणे- Re.Sty		940,000.00		940,000.00	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू-Re.Sty		609,950.00		609,950.00	
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर-Re.Sty		-		608,850.00	
केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय - Res. Sty		711,700.00		711,700.00	
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय		-		91,140.00	
राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय-Sp.St		702,900.00		702,900.00	
सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी एनएलयू दिल्ली-Sp.St		-		711,900.00	
सामाजिक व्यय और समावेश नीति सपा के अध्ययन के लिए केंद्र		-		99,600.00	
महिला अध्ययन केंद्र अल्लागप्प विश्वविद्यालय अनुसंधान अध्ययन		-		77,460.00	
छत्तीसगढ़ राज्य आयोग-Re. Sty		750,000.00		750,000.00	
DAV स्नातकोत्तर महाविद्यालय उ.प्र.- Re.Sty		-		99,600.00	
दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय.-रेस्टी		940,500.00		-	
नृविज्ञान विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय-शोध अध्ययन		-		258,300.00	
बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ बर्दवान रिसर्च स्टडीज विभाग		940,000.00		940,000.00	
अर्थशास्त्र विभाग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय-शोध अध्ययन		872,500.00		872,500.00	
अर्थशास्त्र विभाग, तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय-Sp. St.		-		85,500.00	
अर्थशास्त्र विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय - शोध अध्ययन		-		940,500.00	
मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग IIT खड़गपुर -Stu		-		630,000.00	
पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग कर्नाटक Sp.		-		98,200.00	
तमिलनाडु के प्रबंधन केंद्रीय विश्वविद्यालय विभाग - शोध अध्ययन		316,250.00		316,250.00	
समाजशास्त्र विभाग पांडिचेरी विश्वविद्यालय-Sp. St.		-		98,994.00	
समाजशास्त्र विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय-Sp. St.		-		89,600.00	
गवर्नमेंट कॉलेज एमपी-शोध अध्ययन		-		541,800.00	
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी-शोध अध्ययन		720,500.00		720,500.00	
गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय-Re.Sty		835,560.00		-	

22/6/23

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
गुरु नानक देव विश्वविद्यालय पंजाब-Re.Sty	677,499.00		677,499.00	
हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। रायपुर-नतीजा	610,500.00		-	
इग्नू दिल्ली-Re.Sty	541,200.00		-	
आईआईएम अहमदाबाद-Re.Sty	583,000.00		583,000.00	
आईआईटी जोधपुर -शोध अध्ययन	932,250.00		932,250.00	
आईआईटी मद्रास, चेन्नई- Res.Sty	-		191,100.00	
आईआईटी, मद्रास-रे स्टाइल	491,700.00		-	
आईआईटी रूड़की - Re.Sty	610,500.00		610,500.00	
इमैनुएल कॉलेज नागालैंड-Res.Sty	430,000.00		-	
भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुरr -Re.Sty	588,500.00		-	
भारतीय दलित अध्ययन संस्थान दिल्ली-Sp.St.	-		100,000.00	
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान दिल्ली-SP	-		282,450.00	
मानव विकास संस्थान दिल्ली-Sp.St	-		103,800.00	
जेपियार इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई के लिए संस्थान-SP.St.	-		384,600.00	
जादवपुर विश्वविद्यालय कोलकाता-शोध अध्ययन	-		932,250.00	
जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय एडमैन-स्टडी	544,500.00		91,140.00	
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। सामाजिक चिकित्सा केंद्र Sp.St	-		354,585.00	
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (सीएसआरडी) SP.St	-		174,720.00	
जेके डेवलपमेंट एक्शन ग्रुप जेएंडके-स्टडी	-		298,200.00	
कर्नाटक राज्य अक्कामहादेवी महिला विश्वविद्यालय कर्नाटक-शोध अध्ययन	-		95,400.00	
के. ई. सोसायटी के राजारंबापू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महार एसपीएसटी	-		40,000.00	
किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ-शोध अध्ययन	940,500.00		940,500.00	
KNM कला और विज्ञान कॉलेज केरल विश्वविद्यालय -शोध अध्ययन	710,000.00		710,000.00	
कोंगू इंजीनियरिंग कॉलेज, तमिलनाडु-शोध अध्ययन	-		95,000.00	
कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय.हरियाणा-Re.Sty	649,000.00		-	
लेडी डॉक कॉलेज केटी विलकॉक्स शिक्षा शोध अध्ययन	-		300,000.00	
लक्ष्मीबाई कॉलेज DU- Re.Sty	723,250.00		-	
लोयोला कॉलेज ऑफ सोशल साइंस केरल - अध्ययन	-		99,300.00	
मदुरै सामाजिक विज्ञान संस्थान तमिलनाडु-Sp.Sty	-		99,750.00	
मदुरै कामराज विश्वविद्यालय पत्रिका तमिल विभाग -Sp.	-		120,000.00	
महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा - शोध अध्ययन	803,000.00		803,000.00	
महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी-Re Sty	610,500.00		-	
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक- Sp.St	816,750.00		143,380.00	
महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थान पुणे -शोध अध्ययन	940,500.00		940,500.00	
मानवलोक कॉलेज ऑफ सोशल वर्क महाराष्ट्र -शोध अध्ययन	-		98,700.00	
मॉडल क्रिश्चियन कॉलेज नागालैंड-Re.Sty	610,500.00		-	
एमएस रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर -शोध अध्ययन	-		550,200.00	

22/6/23

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
NALSAR विधि विश्वविद्यालय - शोध अध्ययन	922,514.00		720,500.00	
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर-Re. Sty	527,285.00		-	
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु-Res.Sty	706,453.00		-	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बंगाल - Sp.	858,000.00		1,158,000.00	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली - Sp. St	926,750.00		926,750.00	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा - शोध अध्ययन	720,000.00		720,000.00	
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च इन लॉ रांची - Sp.	-		143,350.00	
पेरियार विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग तमिलनाडु Sp	-		80,000.00	
पांडिचेरी विश्वविद्यालय-शोध अध्ययन	775,500.00		199,400.00	
पीएसजीआर कृष्णमल महिला कॉलेज, तमिलनाडु - शोध अध्ययन	-		122,450.00	
पंजाब विश्वविद्यालय-Res.Sty	1,160,775.00		-	
भारतीय गुणवत्ता परिषद - तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा-Re Sty	1,296,000.00		-	
रमा देवी महिला विश्वविद्यालय उड़ीसा-शोध अध्ययन	-		176,200.00	
सेक्रेड हार्ट कॉलेज सोसायटी तमिल-Sp.St	-		249,000.00	
सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्स Sp Sf	-		100,000.00	
स्कूल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात Re	-		637,450.00	
शहीद भगत सिंह कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय-Re Sty	610,500.00		-	
शारदा विश्वविद्यालय नोएडा-Re.Sty	643,500.00		-	
श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय-शोध अध्ययन	-		902,500.00	
एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय मुंबई-शोध अध्ययन	858,000.00		267,750.00	
सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु -Sp.St	-		79,800.00	
श्री सरस्वती त्यागराज महाविद्यालय -Sp. Sp.	-		266,550.00	
सेंट जोसेफ कॉलेज कर्नाटक - शोध अध्ययन	907,500.00		907,500.00	
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा - शोध अध्ययन	719,998.00		719,998.00	
यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ लॉ गुजरात यूनिवर्सिटी-Re.Sty	1,435,500.00		-	
महिला अध्ययन विभाग भारथिअर विश्वविद्यालय -Std	-		89,400.00	
यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज, चंडीगढ़ शोध अध्ययन	759,700.00		759,700.00	
कलकत्ता विश्वविद्यालय-Re.Sty	594,000.00		-	
दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ सेंटर-Re.Sty	775,500.00		-	
हैदराबाद विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश- शोध अध्ययन	904,000.00		904,000.00	
कश्मीर विश्वविद्यालय जम्मू और कश्मीर-Sp.St	610,500.00		1,320,750.00	
यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ यूपी-Study	-		194,820.00	
विवेकानन्द केन्द्र संस्कृति संस्थान-Re.Sty	555,000.00		-	
महिला अध्ययन केंद्र, कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय-शोध	555,500.00		555,500.00	

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	**ख**	**40,081,476.00**		**26,876,158.00**	
एसीपी/मुख्यालय/डीडीओ, एसपीयूडब्ल्यूसी नानकपुरा-क्षमता निर्माण		-		-	
आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय-क्षमता निर्माण		776,250.00		-	
अपर डीजीपी (प्रशिक्षण) एवं निदेशक बीपीएसपीए ओडिशा- क्षमता निर्माण		-		135,000.00	
ADINA, फार्मास्युटिकल साइंसेज संस्थान एमपी-क्षमता निर्माण		7,500.00		7,500.00	
महिला अध्ययन के लिए अग्रिम केंद्र, उ.प्र-क्षमता निर्माण		-		7,500.00	
अमल कॉलेज ऑफ एडवांस्ड स्टाइल केरल - क्षमता निर्माण		22,500.00		22,500.00	
अमल कॉलेज ऑफ एडवांस्ड स्टाइल केरल - क्षमता निर्माण		50,000.00		-	
एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियरल एंड एलाइड साइंस हरियाणा-क्षमता		75,000.00		75,000.00	
एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज एमिटी यूनिवर्सिटी यूपी क्षमता		22,500.00		22,500.00	
एमिटी लॉ स्कूल नोएडा-क्षमता निर्माण		-		22,500.00	
आंध्र प्रदेश राज्य सामुदायिक मासिक धर्म शिविर-क्षमता निर्माण		513,500.00		-	
आंध्र प्रदेश राज्य आयोग-क्षमता निर्माण		150,750.00		360,750.00	
आंध्र प्रदेश राज्य आयोग-तस्करी-क्षमता निर्माण		130,000.00		-	
अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग-क्षमता निर्माण		397,500.00		372,500.00	
असम कृषि विश्वविद्यालय - क्षमता निर्माण गैर एनईआर		774,000.00		774,000.00	
असम राज्य महिला आयोग - क्षमता निर्माण गैर एनईआर		247,500.00		247,500.00	
अटल बिहारी वाजपेई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एमपी-क्षमता निर्माण		50,000.00		-	
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ - क्षमता निर्माण		50,000.00		7,500.00	
बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूपी-क्षमता निर्माण		317,400.00		317,400.00	
भिलाई महिला महाविद्यालय छत्तीसगढ़-क्षमता निर्माण		787,500.00		-	
भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस म.प्र.-क्षमता निर्माण		-		22,500.00	
बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (बीएएसयू) -क्षमता निर्माण		517,500.00		-	
बीएल अमलानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण		7,500.00		7,500.00	
बीपीआरडी- क्षमता निर्माण		1,582,200.00		-	
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, मणिपुर क्षमता निर्माण गैर एनईआर		1,032,000.00		1,032,000.00	
आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय-क्षमता निर्माण		50,000.00		-	
केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश-क्षमता निर्माण		-		22,500.00	
केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा - क्षमता निर्माण G		50,000.00		30,000.00	
केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू - क्षमता निर्माण		37,500.00		37,500.00	
केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड-क्षमता निर्माण		50,000.00		-	
केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान - क्षमता निर्माण		40,000.00		-	
केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान - क्षमता निर्माण		22,500.00		22,500.00	
सेंटर फॉर डेवलपमेंट पोल साइंस एंड मैनेजमेंट राजस्थान पुलिस -क्षमता		-		150,000.00	
महिला अध्ययन केंद्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण		15,000.00		15,000.00	
विश्व भारती विश्वविद्यालय में महिला केंद्र, पश्चिम बंगाल क्षमता निर्माण		7,500.00		7,500.00	
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बिहार - क्षमता निर्माण		7,500.00		7,500.00	
चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय,जींद-क्षमता निर्माण		50,000.00		-	

24/6/23

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
छत्तीसगढ़ राज्य आयोग-तस्करी-क्षमता निर्माण	320,000.00		-	
कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस जीबी पंत यूनिवर्सिटी-क्षमता निर्माण	1,720,000.00		1,720,000.00	
कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल त्रिपुरा - क्षमता निर्माण	688,000.00		688,000.00	
कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस बिरसा एग्रीक C	860,000.00		860,000.00	
कॉलेज ऑफ वेटर साइंस एंड एनिमल हस्ब मिजोरम क्षमता निर्माण	-		344,000.00	
कॉलेज पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन एमपी-क्षमता निर्माण	725,000.00		725,000.00	
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई))-क्षमता निर्माण	650,000.00		-	
भारतीय उद्योग संघ- क्षमता निर्माण	266,295.00		-	
सीएसके हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय एचपी-क्षमता निर्माण	60,000.00		-	
डीडीयू स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यूपी-क्षमता निर्माण	-		348,150.00	
कृषि विज्ञान विभाग (पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान) तमिलनाडु - क्षमता निर्माण	105,657.00		105,657.00	
बायोटेक और पर्यावरण विज्ञान विभाग महाराजा अग्रसेन एचपी क्षमता निर्माण	22,500.00		22,500.00	
कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग नॉर्थकैप विभाग विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण	-		15,000.00	
राजस्थान विधि विश्वविद्यालय विभाग-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
महिला अध्ययन विभाग भारथिअर विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण	45,000.00		45,000.00	
डीजीसीएन कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस एचपी	300,000.00		300,000.00	
डीजीपी पंजाब चंडीगढ़ - न्यायिक क्षमता निर्माण	-		150,000.00	
दुवासु यूपी- क्षमता निर्माण	46,875.00		46,875.00	
फैकल्टी ऑफ लॉ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी-क्षमता निर्माण	-		15,000.00	
जीकेवीके यूएएस बैंगलोर - क्षमता निर्माण	412,500.00		412,500.00	
गोवा राज्य आयोग - क्षमता निर्माण	22,500.00		177,500.00	
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जम्मू एवं कश्मीर - क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान, पंजाब-क्षमता निर्माण	167,625.00		-	
गुरु गोविंद सिंह कॉलेज हरियाणा-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
हंस राज महिला महाविद्यालय पंजाब क्षमता निर्माण	15,000.00		15,000.00	
हरियाणा राज्य आयोग-क्षमता निर्माण	20,000.00		-	
हरियाणा राज्य महिला आयोग - क्षमता निर्माण	1,360,000.00		492,500.00	
हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़-क्षमता निर्माण	46,150.00		-	
हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग - क्षमता निर्माण	380,000.00		402,500.00	
हीराबेन नानावती प्रबंधन संस्थान पुणे-क्षमता निर्माण	39,850.00		-	
हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग-तस्करी-क्षमता निर्माण	110,000.00		-	
एच.पी. राज्य ग्रामीण विकास संस्थान-क्षमता निर्माण	461,750.00		-	
मानव संसाधन विकास केंद्र हैदराबाद विश्वविद्यालय-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
आईसीएआर केवीके तमिलनाडु - क्षमता निर्माण	-		332,425.00	
इंदिरा गांधी पंच.राज एवं ग्रामीण (एसआईआरडी) राजस्थान-क्षमता निर्माण	599,810.00		-	
प्रबंधन संस्थान बैंगलोर-क्षमता निर्माण	-		7,500.00	
जबलपुर महिला अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
जामिया मिलिया इस्लामिया - क्षमता निर्माण	-		7,500.00	
जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय अंडमान-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
जे एंड के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पब्लिक एडमिन 7 रूरल डेवलपमेंट-क्षमता निर्माण	748,938.00		-	
जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी तमिलनाडु-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
कामराज कॉलेज तमिल - क्षमता निर्माण	7,500.00		7,500.00	
कर्नाटक पुलिस अकादमी - क्षमता निर्माण	-		150,000.00	
कर्नाटक राज्य अक्कामहादेवी महिला विश्वविद्यालय - क्षमता निर्माण	7,500.00		7,500.00	
केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान - क्षमता निर्माण	625,915.00		625,915.00	
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय लखनऊ-क्षमता निर्माण	7,500.00		7,500.00	
केएलई सोसायटी गुडीप्पा हल्लीकेरी कॉलेज-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
नॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक तमिलनाडु- क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
कॉंगु आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज तमिलनाडु - क्षमता निर्माण	-		30,000.00	
केवीके दुमका, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड - क्षमता निर्माण	1,032,000.00		1,032,000.00	
केवीके गुड़ामलानी, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर - क्षमता निर्माण	1,032,000.00		1,032,000.00	
केवीके हावेरी कृषि विश्वविद्यालय, विज्ञान, कर्नाटक-क्षमता निर्माण	86,250.00		-	
केवीके झाबुआ एमपी-क्षमता डेयरी फार्मिंग का निर्माण	86,250.00		-	
केवीके नवसारी कृषि विश्वविद्यालय गुजरात - क्षमता निर्माण	480,000.00		480,000.00	
केवीके राजमाता विजयाराजे सिंधिया ग्वालियर- क्षमता निर्माण	688,000.00		688,000.00	
केवीके सैदापुर फार्म, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय-कर्नट कैप.	431,250.00		-	
केवीके सूरत नवसारी कृषि विश्वविद्यालय-क्षमता निर्माण	480,000.00		480,000.00	
केवीके विजयपुरा -II, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय-क्षमता निर्माण	172,500.00		-	
लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय- क्षमता निर्माण	106,500.00		189,587.00	
लक्ष्मीनारायण कॉलेज ओडिशा-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,यूपी--क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर - क्षमता निर्माण	88,000.00		88,000.00	
महाराष्ट्र पशु और मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय - क्षमता निर्माण	-		72,325.00	
महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई - क्षमता निर्माण	7,500.00		7,500.00	
महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक - क्षमता निर्माण	-		37,500.00	
महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन-पंजाब	-		150,000.00	
मणिपुर राज्य महिला आयोग क्षमता निर्माण एनईआर	557,500.00		432,500.00	
मेघालय राज्य महिला आयोग क्षमता निर्माण गैर एनईआर	-		360,000.00	
मेहर चंद महाजन डीएवी कॉलेज-चंडीगढ़ - क्षमता निर्माण	75,000.00		75,000.00	
एम.ई.एस. कला 7 साइंस कॉलेज केरल-क्षमता निर्माण	22,500.00		22,500.00	
पुणे सरकार का एमआईटी स्कूल-क्षमता निर्माण। G	940,000.00		-	
मिजोरम राज्य महिला आयोग-क्षमता निर्माण गैर एनईआर	561,000.00		-	
मिजोरम राज्य महिला आयोग-क्षमता निर्माण गैर एनईआर	210,000.00		335,000.00	
नागालैंड राज्य महिला आयोग-क्षमता निर्माण गैर एनईआर	-		370,000.00	

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा -क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर- क्षमता निर्माण	40,000.00		-	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर- क्षमता निर्माण	7,500.00		7,500.00	
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड रिसर्च इन लॉ रांची-सीबीपी	40,000.00		-	
महिलाओं के लिए नवरसम कला एवं विज्ञान महाविद्यालय तमिलनाडु क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
एनसीवेब-क्षमता निर्माण पोषण	100,000.00		-	
गैर कॉलेजिएट महिला शिक्षा बोर्ड दिल्ली विश्वविद्यालय - क्षमता निर्माण	275,000.00		225,000.00	
नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, मेघालय - क्षमता निर्माण गैर एनईआर	30,000.00		30,000.00	
एनआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
ओडिशा राज्य आयोग - क्षमता निर्माण G	972,500.00		587,500.00	
पसुम्पोन मुथुरामलिंगा थेवर कॉलेज तमिलनाडु क्षमता निर्माण	-		75,000.00	
पटना वीमेंस कॉलेज- क्षमता निर्माण	-		30,000.00	
पी.जी.विभाग लॉ बेरहामपुर विश्वविद्यालय-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
पी.के.आर. महिला कला महाविद्यालय-क्षमता निर्माण	39,950.00		-	
पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, तमिलनाडु-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
पुडुचेरी राज्य आयोग - क्षमता निर्माण G	45,000.00		45,000.00	
पंजाब कृषि विश्वविद्यालय- S/C	862,500.00		431,250.00	
पंजाब यूनिवर्सिटी पांटेयाला-क्षमता निर्माण हाउसवाइफ	36,400.00		-	
राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर - क्षमता निर्माण	-		15,000.00	
राजस्थान राज्य आयोग-क्षमता निर्माण	20,000.00		-	
राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान तमिलनाडु-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पंजाब - क्षमता निर्माण	15,000.00		15,000.00	
रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी मुंबई -क्षमता निर्माण G	1,793,161.00		463,611.00	
रत्नावेल सुब्रमण्यम कॉलेज ऑफ आर्ट्स तमिलनाडु-S/C	-		64,000.00	
आरसीवीपी नरोन्हा एडमिन अकादमी भोपाल-क्षमता निर्माण	450,000.00		-	
आरवी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कर्नाटक-क्षमता निर्माण	40,000.00		-	
संबलपुर विश्वविद्यालय ओडिशा - क्षमता निर्माण	-		150,000.00	
संगम विश्वविद्यालय राजस्थान-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
सारदा गंगाधरन कॉलेज, पांडिचेरी -क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
सरदार वल्लभभाई पटेल कॉलेज बिहार-क्षमता निर्माण	46,100.00		-	
महिलाओं के लिए सरोजिनी नायडू केंद्र-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू जे क्षमता	50,000.00		-	
स्कूल ऑफ लॉ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर-क्षमता निर्माण	15,000.00		15,000.00	
स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड लीगल स्टाइल नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी-क्षमता निर्माण	-		15,000.00	
शारदा यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ यूपी - क्षमता निर्माण	-		97,500.00	
शेर-ए-कश्मीर विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान जम्मू - क्षमता निर्माण	1,026,300.00		1,026,300.00	
शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंस एचपी-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	

24/6/23

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
श्रीकृष्ण महाविद्यालय महाराष्ट्र - क्षमता निर्माण	7,500.00		7,500.00	
सिक्किम राज्य महिला आयोग - क्षमता निर्माण गैर एनईआर	100,000.00		372,500.00	
एसआईआरडी और पंचायती राज तमिलनाडु-क्षमता निर्माण	750,000.00		-	
एसकेएन कृषि विश्वविद्यालय, जयपुर- क्षमता निर्माण	75,000.00		75,000.00	
SKUAST-कश्मीर= क्षमता निर्माण.	428,800.00		428,800.00	
एसपी, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, पुडुचेरी - क्षमता निर्माण	-		27,075.00	
श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज पंजाब - क्षमता निर्माण	47,500.00		-	
सेंट अलॉयसियस कॉलेज कर्नाटक - क्षमता निर्माण	7,500.00		7,500.00	
लोक प्रशासन राज्य संस्थान और ग्रामीण विकास त्रिपुरा क्षमता	723,900.00		723,900.00	
सेंट. पॉल्स कॉलेज कर्नाटक --क्षमता निर्माण	46,900.00		-	
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय-क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
तमिलनाडु इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन स्टाइल-क्षमता निर्माण	656,000.00		-	
तमिलनाडु राज्य आयोग-मासिक धर्म शिविर-क्षमता निर्माण	33,000.00		-	
तमिलनाडु राज्य आयोग -क्षमता निर्माण (G)	475,000.00		125,000.00	
तमिलनाडु राज्य आयोग-तस्करी-क्षमता निर्माण	380,000.00		-	
तमिलनाडु शिक्षक शिक्षा विश्वविद्यालय क्षमता निर्माण	225,000.00		225,000.00	
तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय चेन्नई-क्षमता निर्माण	1,725,000.00		1,725,000.00	
तेलंगाना राज्य आयोग - क्षमता निर्माण G	67,500.00		317,500.00	
तेलंगाना राज्य ग्रामीण विकास संस्थान-क्षमता निर्माण	-		732,888.00	
थेइवानई अम्मल कॉलेज फॉर वुमेन चेन्नई तमिलनाडु-क्षमता निर्माण	7,500.00		7,500.00	
त्रिपुरा राज्य महिला आयोग -क्षमता निर्माण गैर एनईआर	102,500.00		227,500.00	
विधि संकाय विश्वविद्यालय लखनऊ- क्षमता निर्माण	32,500.00		-	
कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय कर्नाटक-क्षमता निर्माण	258,750.00		-	
यूपी राज्य आयोग-तस्करी क्षमता निर्माण	750,000.00		-	
उत्तराखंड ग्रामीण विकास संस्थान क्षमता निर्माण	-		150,000.00	
उत्तराखंड राज्य आयोग - क्षमता निर्माण Posha	47,500.00		30,000.00	
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग-क्षमता निर्माण	150,000.00		255,000.00	
विरुंदुनगर हिंदू नारदार एसएन कॉलेज तमिलनाडु - क्षमता निर्माण	50,000.00		-	
विरुंदुनगर हिंदू नारदार तमिलनाडु - क्षमता निर्माण	-		22,500.00	
विवेक कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुरादाबाद-क्षमता निर्माण	47,500.00		-	
WENN, मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी क्षमता निर्माण	15,000.00		15,000.00	
पश्चिम बंगाल पशु एवं मत्स्य पालन विश्वविद्यालय कोलक सीबीसी	86,250.00		-	
XITE कॉलेज झारखंड-क्षमता निर्माण	41,750.00		-	
यशवंतराव चव्हाण अकादमी पुणे - क्षमता निर्माण	-		468,750.00	

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम	ग	**15,378,077.00**		**8,608,475.00**	
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी-LAP		-		45,000.00	
आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग - LAP		-		147,500.00	
अन्नामाचार्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान तिरुपति - LAP		-		41,500.00	
असम राज्य आयोग-LAP गैर एनईआर		300,000.00		300,000.00	
अय्या नादर जानकी अम्मल कॉलेज तमिलनाडु - LAP		-		45,000.00	
बाबा फरीद कॉलेज बठिंडा-LAP		-		45,000.00	
वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान-LAP		-		42,375.00	
भगिनी मंडल चोपडा कॉलेज ऑफ सोशल वर्क LAP		-		45,000.00	
बिहार राज्य महिला आयोग-LAP		-		400,000.00	
केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा -LAP		50,000.00		-	
बीपीएस महिला विश्वविद्यालय हरियाणा-LAP		-		45,000.00	
केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड-LAPG		-		45,000.00	
चेम्बूर सर्वांकश शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय LAP		-		45,000.00	
क्राइस्ट, बैंगलोर -LAP		-		43,000.00	
सीआईटी डिग्री कॉलेज छत्तीसगढ़ - LAP		-		50,000.00	
शिक्षा विभाग भारतीय विश्वविद्यालय तमिलनाडु LAP		-		45,000.00	
महिला अध्ययन विभाग कर्नाटक विश्वविद्यालय-एलएपी सीबीसी		100,000.00		-	
एमराल्ड्स एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैंगमेंट स्टडी एपी LAP		-		30,750.00	
विधि संकाय A.M.U (केंद्रीय विश्वविद्यालय) LAP		-		44,000.00	
गोवा राज्य आयोग-LAP		-		300,000.00	
गवर्नमेंट कॉलेज एपी - LAP		-		45,000.00	
गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज छत्तीसगढ़-LAP		-		-	
राजकीय कमला देवी रति पीजी गर्ल्स -LAP		-		-	
गवर्नमेंट रानी अवंती बाई लोधी कॉलेज छत्तीसगढ़-LAP		-		44,450.00	
हरियाणा राज्य महिला आयोग-LAP		-		800,000.00	
हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग-LAP		-		500,000.00	
इंद्र गणेशन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तिरुचिरापल्ली - LAP		-		45,000.00	
केरल महिला आयोग-LAP		-		250,000.00	
क्रांतिवीर वसंतराव नारायणराव, नासिक LAP		-		40,000.00	
लाल बहादुर शास्त्री प्रबंधन संस्थान द्वारका-LAP		-		45,000.00	
महारानी किशोरी जाट कन्या महाविद्यालय रोहतक - LAP		-		45,000.00	
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय LAP		-		45,000.00	
मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन कर्नाटक -LAP		-		30,000.00	
मिजोरम राज्य आयोग LAP		600,000.00		600,000.00	
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण-LAP G		13,558,077.00		-	
निर्मला महिला कॉलेज तमिलनाडु - LAP		-		45,000.00	
उड़ीसा राज्य महिला आयोग		20,000.00		20,000.00	
ओपी जिंदल विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़-LAP		-		45,000.00	

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
पीपुल्स कॉलेज महाराष्ट्र - LAP		-		45,000.00	
पंजाब राज्य महिला आयोग - LAP		-		-	
राजर्षि शाहू महाविद्यालय लातूर - LAP		-		44,000.00	
राजस्थान राज्य महिला आयोग - LAP		-		200,000.00	
रामचंद्र इंजीनियरिंग कॉलेज एपी -LAP		-		50,000.00	
रशीदा बेगम मुस्लिम महाविद्यालय यूपी -LAP		-		50,000.00	
सरस्वती कॉलेज ऑफ सोशल वर्क महाराष्ट्र - LAP		-		45,000.00	
शाहजी लॉ कॉलेज, कोल्हापुर- LAP		-		48,300.00	
श्री देवी सिंह शिक्षा संस्थान उ.प्र-LAP		-		45,000.00	
श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी तमिलनाडु-LAP		-		45,000.00	
श्रीकृष्ण महाविद्यालय-महाराष्ट्र-LAP		-		45,000.00	
सेंट एन्स कॉलेज फॉर वुमेन मेहदीपट्टनम तेलंगाना -LAP		-		45,000.00	
सेंट जॉर्ज कॉलेज अरुविथुरा केरल LAP		-		45,000.00	
सेंट जोसेफ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तमिल, LAP		-		45,000.00	
सेंट पॉल कॉलेज केरल-LAP		-		45,000.00	
तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी -LAP G		-		45,000.00	
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग, LAP		50,000.00		50,000.00	
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग-LAP		700,000.00		1,400,000.00	
वेल्लोर प्रौद्योगिकी संस्थान तमिलनाडु - LAP G		-		45,000.00	
वेल टेक हाई टेक इंजीनियरिंग कॉलेज चेन्नई - LAP		-		45,000.00	
विश्वेश्वरैया कम्युनिटी कॉलेज उदयपुर - LAP		-		45,000.00	
विवेकानंद महिलाओं कॉलेज ऑफ एआरएस एंड साइंस -LAP		-		45,000.00	
महिला अधिकारिता समाज कल्याण विभाग जम्मू-कश्मीर - LAP		-		1,777,600.00	
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम एनईआर	**घ**	**-**		**1,397,750.00**	
अरुणाचल प्रदेश राज्य आयोग (LAP एनईआर)		-		360,000.00	
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्रिपुरा - LAP एनईआर		-		-	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मणिपुर- L		-		60,000.00	
मणिपुर विश्वविद्यालय, महिला अध्ययन केंद्र इंफाल - LAP G		-		54,000.00	
मिजोरम राज्य महिला आयोग, एनईआर LAP		-		-	
नागालैंड राज्य महिला आयोग		-		383,750.00	
सिक्किम राज्य महिला आयोग - LAP एनईआर		-		540,000.00	
संगोष्ठी सम्मेलन एनईआर	ङ	**3,221,525.00**		**1,295,992.00**	
अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग -SC/NE		408,500.00		158,500.00	
असम राज्य महिला आयोग (S/C)		85,925.00		85,925.00	
असम राज्य आयोग--S/c-NER		250,000.00		-	

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
कॉटन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी=S/C NER		249,000.00		-	
आईसीएफएआई विश्वविद्यालय त्रिपुरा-S/C NER		-		15,000.00	
केके हांडिकि स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, असम - S/C NER		-		15,000.00	
लीलॉन्ग होरीबी कॉलेज मणिपुर-S/c NER		124,500.00		-	
मणिपुर राज्य महिला आयोग S/C		325,846.00		40,000.00	
मेघालय राज्य महिला आयोग-S/C		315,000.00		145,000.00	
मिशन फाउंडेशन मूवमेंट मिजोरम- S/C NER		15,000.00		15,000.00	
नागालैंड राज्य महिला आयोग-S/C NER		250,000.00		-	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी असम-S/N		-		7,500.00	
उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय शिलांग एस/सी एनईआर पोषण		-		15,000.00	
उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय शिलांग - S/C G		15,000.00		15,000.00	
राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश -S/C NER		135,500.00		-	
सेंट क्लैरट कॉलेज अरुणाचल प्रदेश-S/C NER		88,315.00		-	
शंकरदेव कॉलेज मेघालय-S/C NER		4,622.00		15,000.00	
सिक्किम राज्य आयोग		236,700.00		402,700.00	
सिक्किम विश्वविद्यालय -S/C NER		-		7,500.00	
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान मुंबई S/C NER		229,617.00		229,617.00	
तेजपुर विश्वविद्यालय असम- S/C NER		15,000.00		15,000.00	
तिनसुकिया कॉमर्स कॉलेज असम-S/C NER		108,750.00		-	
त्रिपुरा राज्य महिला आयोग - S/C NER		364,250.00		114,250.00	
संगोष्ठी सम्मेलन अन्य	च	**30,368,872.00**		**18,160,387.00**	
समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण अकादमी तमिल एन एस/		-		15,000.00	
एक्शन एड एसोसिएशन दिल्ली-S/c		-		-	
अलागप्पा विश्वविद्यालय तमिलनाडु -S/C		-		75,000.00	
अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, जनकपुरी -S		25,000.00		25,000.00	
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान उड़ीसा-S/C Poshan		-		15,000.00	
ऑल वीमेन एंड रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, तमिलनाडु -S/C		-		57,000.00	
आनंद एजुकेशन कॉलेज गुजरात -S/C		-		89,500.00	
आंध्र प्रदेश राज्य महिला आयोग-S/C		465,000.00		215,000.00	
मानव तस्करी विरोधी इकाई गोवा-S/C		194,000.00		-	
आश्रय संस्था महाराष्ट्र - S/C		25,000.00		25,000.00	
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय यूपी-S/C		82,500.00		-	
बहेरा कॉलेज बिहार-S/C		-		74,000.00	
भारथिअर विश्वविद्यालय तमिलनाडु-S/C		101,250.00		-	
बीपीआर एंड डी नई दिल्ली-S/C		122,493.00		122,493.00	
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी यूपी - S/C		-		74,500.00	

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
कैम्पस लॉ सेंटर दिल्ली विश्वविद्यालय-S/C	125,000.00		-	
राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय-S/C .	90,000.00		-	
महिला अध्ययन केंद्र पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय S	-		15,000.00	
छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग-S/C	277,500.00		652,500.00	
कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, महिला अध्ययन केंद्र-S/c	117,500.00		-	
कॉलेज ऑफ होम साइंस मुंबई-S/C Poshan	15,000.00		15,000.00	
डीडीओ सीआईडी एपी मंगलगीर पुलिस प्राधिकरण एपी-S/C	200,000.00		-	
गृह विज्ञान विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल -S/C	-		70,750.00	
विधि विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय-S/C G	490,000.00		-	
प्रसूति एवं स्त्री रोग चिकित्सा विश्वविद्यालय विभाग उ. प्र. S/	15,000.00		15,000.00	
पुलिस उपायुक्त एसपीयूडब्ल्यूएसी मालवीय नगर -S/C	968,382.00		968,382.00	
डिगबोल महिला महाविद्यालय असम -S/C	65,500.00		65,500.00	
डीपीएम श्री मल्लिकार्जुन और चेतन एमडी कॉलेज गोवा S/C	-		15,000.00	
डॉ. बी.आर.अंबेडकर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय हरियाणा-S/C	112,000.00		15,000.00	
एमराल्ड्स एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एमजीएमटी स्टडी AP S/C	25,000.00		25,000.00	
भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, गुजरातS	3,000,000.00			
गोवा कॉलेज ऑफ होम साइंस -S/C पोषण	15,000.00		15,000.00	
गोवा राज्य महिला आयोग - S/C	81,500.00		101,500.00	
शासकीय महाविद्यालय पुरुष अनंतपुर एपी-S/C G	-		136,000.00	
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च पुणे -S/C	-		75,000.00	
गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद-S/C G	400,000.00		-	
गुजरात राज्य महिला आयोग -S/C	70,000.00		70,000.00	
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़-S/C	-		75,000.00	
गुरु गोबिंद सिंह खालसा कॉलेज पंजाब -S/C G	-		126,000.00	
गुरु नानक कॉलेज फॉर गर्ल्स, पंजाब S/C	-		-	
हरियाणा राज्य आयोग-S/C G	250,000.00		35,000.00	
हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़-S/C	125,000.00		-	
हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग S/C	457,300.00		368,550.00	
एचपीकेवी बिजनेस स्कूल हिमाचल प्रदेश -S/C	-		15,000.00	
आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान तेलंगाना -S/C	15,000.00		15,000.00	
आईआईएम बैंगलौर- S/C	-		-	
आईआईएम-जम्मू-S/C G	-		737,500.00	
आईआईएम-, कोझिकोड-सेमिनार G	-		1,830,000.00	
आईआईपीए दिल्ली- S/C	-		139,500.00	
इंदिरा गांधी गवर्नमेंट कॉलेज अरुणाचल प्रदेश S/C	75,000.00		75,000.00	
भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम काशीपुर उत्तराखंड	125,000.00		-	
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना-S/C	125,000.00		-	

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय म.प्र., S/C	25,000.00		25,000.00	
जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय अंडमान-S/C	-		60,000.00	
जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय प्रशासन S/C	-		-	
जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी TN-S/C	84,500.00		-	
कश्मीर विश्वविद्यालय, विस्तार एवं संचार श्रीनगर-S/C	92,500.00		-	
केके हांडिकि स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी असम -S/C Non NER	-		37,500.00	
केएनएम गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज केरल-S/C	-		17,500.00	
कोआन सलाहकार समूह, नई दिल्ली-S/C	235,938.00		-	
महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय, बड़ौदा-S/C	122,000.00		-	
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय वाराणसी S/C	25,000.00		25,000.00	
मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडी S/C	-		15,000.00	
मणिपुर राज्य आयोग -S/C Non NER	99,100.00		99,100.00	
मेरठ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी-S/C	-		15,000.00	
महिला सशक्तिकरण के लिए मिशन जम्मू एवं कश्मीर-S/c	73,500.00		-	
एमएम महिला महाविद्यालय बिहार-S/C	-		75,000.00	
एमएस रमेया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बेंगलुरु -S/C	15,000.00		15,000.00	
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान श्रीनगर-S/C	-		595,000.00	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगाल S/C	-		-	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली - S/C	3,000,000.00		4,200,000.00	
राष्ट्रीय उन्नत कानूनी अध्ययन विश्वविद्यालय कोच्चि-S/C	200,000.00		-	
निलोय असम- Sem/Con Non NER	-		15,000.00	
नॉर्थकैप यूनिवर्सिटी गुड़गांव-S/C G	-		67,500.00	
ओडिशा राज्य महिला आयोग-S/C	223,235.00		141,000.00	
परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस जयपुर-S/C	-		75,000.00	
प्रभात कुमार कॉलेज पश्चिम बंगाल-S/C G	25,000.00		25,000.00	
प्रज्ञा मानव कल्याण संस्थान ट्रस्ट म.प्र-S/C	-		-	
प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च मप्र-S/C	-		70,500.00	
प्रिंसिपल कौंगु इंजीनियरिंग कॉलेज तमिलनाडु-S/C	-		-	
पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस तमिलनाडु-S/C	-		75,000.00	
			-	
पंजाब राज्य महिला आयोग -S/C	-		-	
रास नारायण कॉलेज बिहार-S/C	75,000.00		75,000.00	
RBVRR महिला कॉलेज हैदराबाद-S/C	-		34,000.00	
रिजर्व इंदौर म.प्र पुलिस संगठन इंदौर-S/C	110,000.00		-	
संबलपुर विश्वविद्यालय उड़ीसा- S/C G	125,000.00		-	
सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय पुणे-S/C	88,750.00		-	
स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद S	25,000.00		25,000.00	

24/6/23

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
स्कूल ऑफ लॉ फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टाइल गुजरात S/C		-		75,000.00	
स्कूल ऑफ लॉ शारदा यूनिवर्सिटी, नोएडा -S/C		50,000.00		50,000.00	
शिवाजी कॉलेज विश्वविद्यालय- S/c		25,000.00		25,000.00	
सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज -S/C Non NER		-		7,500.00	
सेंट एडमंड्स कॉलेज शिलांग -S/C Non NER		-		7,500.00	
सस्टेनेबल लाइफ ट्रस्ट तमिलनाडु-S/C		-		-	
स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय S/C G		25,000.00		25,000.00	
स्वामी स्वतंत्रानंद मेमोरियल कॉलेज पंजाब -S/C		-		15,000.00	
स्वामी विवेकानंद शिक्षण, राजे रामराव महाविद्यालय S		-		75,000.00	
तमिलनाडु राज्य महिला आयोग S/C		117,500.00		317,708.00	
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई -S/C		971,646.00		971,646.00	
तेलंगाना राज्य महिला आयोग-S/C		565,000.00		565,000.00	
TISS मुंबई-जम्मू और कश्मीर परियोजना-S/C		15,221,878.00		3,317,358.00	
TISS हिंसा मुक्त गृह दिल्ली परियोजना -S/C		100,000.00		100,000.00	
उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग-S/C		15,000.00		15,000.00	
उत्तराखंड राज्य आयोग- S/C G		250,000.00		50,000.00	
वीर वाजेकर आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज महाराष्ट्र-S/C		-		69,500.00	
विकास भारती सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट गुजरात S/C		25,000.00		25,000.00	
महिला अधिकारिता, समाज कल्याण विभाग जम्मू और कश्मीर-S/C		103,400.00		103,400.00	
योगेश्वरी महाविद्यालय महाराष्ट्र -S/C		-		105,000.00	
योगी वेमना विश्वविद्यालय एपी-S/C		-		-	
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन एनईआर	**छ**	**7,137,923.00**		**6,846,023.00**	
असम विश्वविद्यालय- Sp.St.NER		-		267,000.00	
महिला अध्ययन केंद्र डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय अनुसंधान अध्ययन NE		610,000.00		610,000.00	
चंद्रप्रभा सैकियानी महिला केंद्र, असम		-		285,000.00	
डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन असम यूनिवर्सिटी रिसर्च स्टडी -NER		717,750.00		717,750.00	
शारीरिक शिक्षा विभाग-त्रिपुरा विश्वविद्यालय रिसर्च स्टडी NER		610,500.00		-	
आईसीएफएआई विश्वविद्यालय-त्रिपुरा-रिसर्च स्टडी NER		330,000.00		-	
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मणिपुर		-		96,600.00	
मणिपुर विश्वविद्यालय इंफाल-शोध अध्ययन NER		600,000.00		600,000.00	
नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग -शोध अध्ययन NER		610,500.00		610,500.00	
उत्तर कामरूप कॉलेज असम - शोध अध्ययन NER		720,225.00		720,225.00	
राजीव गांधी विश्वविद्यालय एपी-शोध अध्ययन NER		1,831,000.00		1,831,000.00	
टेट्सो कॉलेज नागालैंड- शोध अध्ययन NER		497,450.00		497,450.00	
विवेकानंद केंद्र संस्कृति संस्थान असम		-		-	
महिला अध्ययन केंद्र, नागालैंड विश्वविद्यालय शोध अध्ययन NER		610,498.00		610,498.00	

22/6/23

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
कानून की समीक्षा	**ज**	**1,166,055.00**		**1,257,209.00**	
विधि विभाग पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ -कानून की समीक्षा		-		100,000.00	
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी-कानून की समीक्षा		18,000.00		134,528.00	
हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़-समीक्षा		195,000.00		-	
हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय-कानून की समीक्षा		121,000.00		-	
ICFAI लॉ स्कूल हॉईड-कानून की समीक्षा		125,000.00		-	
नेशनल लॉ स्कूल और न्यायिक अकादमी		-		175,000.00	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बंगाल-कानून की समीक्षा		-		127,431.00	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भोपाल-कानून की समीक्षा		112,500.00		-	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कटक - कानून की समीक्षा G		-		175,250.00	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उड़ीसा कानून की समीक्षा		175,000.00		175,000.00	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली		20,000.00		20,000.00	
नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट एंड रिसर्च इन लॉ राची-समीक्षा		141,350.00		-	
उत्तर पूर्वी हिल विश्वविद्यालय शिलांग-कानून की समीक्षा		130,000.00		-	
सिम्बायोसिस इंटरनेशनल पुणे		-		175,000.00	
तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, चेन्नई		128,205.00		175,000.00	
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण - NER	**झ**	**1,200,750.00**		**1,402,117.00**	
असम राज्य आयोग-क्षमता निर्माण NER		20,000.00		-	
डिग्बोई महिला महाविद्यालय असम-क्षमता निर्माण NER		37,000.00		-	
मणिपुर राज्य आयोग		60,000.00		60,000.00	
मणिपुर राज्य आयोग मासिक धर्म जागरूकता शिविर-क्षमता एन		78,000.00		-	
राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश		7,500.00		7,500.00	
सेल्सियन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, नागालैंड		7,500.00		7,500.00	
सिक्किम राज्य महिला आयोग		-		10,917.00	
एसआईआरडी, मेघालय- क्षमता निर्माण कार्यक्रम सी इज चेंज मैकर		546,750.00		-	
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, असम		-		753,700.00	
स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, मिजोरम		-		562,500.00	
टेट्सो कॉलेज नागालैंड-सीबीसी-एनईआर		50,000.00		-	
त्रिपुरा राज्य आयोग-क्षमता निर्माण NER		394,000.00		-	

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
		-		-	
कानूनी सेवा क्लिनिक सहायता -NER	ञ	**100,000.00**		**-**	
मणिपुर राज्य आयोग		100,000.00		-	
कानूनी सेवा क्लिनिक सहायता	ट	**900,000.00**		**899,739.00**	
अरुणाचल प्रदेश राज्य आयोग - कानूनी क्लिनिक		-		100,000.00	
आंध्र प्रदेश राज्य आयोग		100,000.00		-	
असम राज्य आयोग- कानूनी क्लिनिक		100,000.00		100,000.00	
छत्तीसगढ़ राज्य आयोग		100,000.00		-	
हरियाणा राज्य आयोग-कानूनी क्लिनिक		100,000.00		100,000.00	
हिमाचल प्रदेश राज्य आयोग- विधिक सेवाएं Cl		100,000.00		100,000.00	
नागालैंड राज्य आयोग-कानूनी क्लिनिक		-		100,000.00	
ओडिशा राज्य आयोग -कानूनी क्लिनिक		-		100,000.00	
सिक्किम राज्य आयोग - कानूनी क्लिनिक		-		99,739.00	
तमिलनाडु राज्य आयोग		100,000.00		-	
त्रिपुरा राज्य आयोग-कानूनी क्लिनिक		100,000.00		100,000.00	
उत्तराखंड राज्य आयोग		100,000.00		-	
उत्तर प्रदेश राज्य आयोग - कानूनी सेवा		100,000.00		100,000.00	

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025

(राशि रू. में)

अनुसूची 8- अचल संपत्तियां

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
1)	भूमि	3,553,443.00	-	3,553,443.00	
2)	फर्नीचर एवं फिक्सचर	8,817,827.00	-	9,625,436.00	
3)	मशीनरी और उपकरण	27,142,811.00	-	31,494,903.00	
4)	कम्प्यूटर	2,607,273.00	-	2,501,218.00	
5)	वाहन	2,325,967.00	-	1,813,410.00	
6)	पुस्तक एवं प्रकाशन	111,103.00	-	31,500.00	
7)	भवन	65,156,891.00		72,396,546.00	
		109,715,315.00	**-**	**121,416,456.00**	

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025

अनुसूची 8- स्थायी संपत्ति

(राशि रू. में)

	सकल ब्लाक					मूल्यहास				शुद्ध ब्लाक	
	प्रारंभिक शेष	परिवर्धन	कटौती	समायोजन	अंतिम शेष	प्राराभक शेष पर (*)	परिवर्धन पर	कटौती पर	अंत में कुल मूल्यहास	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
स्थायी संपत्तियाँ										- -	
भूमि	3,553,443			-	3,553,443.00	-	-	-	-	3,553,443.00	3,553,443
भवन	72,396,546	-	-	-	72,396,546.00	7,239,655.00	-	-	7,239,655.00	65,156,891.00	72,396,546
उपस्कर एवं मशीनरी	31,494,903	420,783.00	-	-	31,915,686.00	4,724,236.00	48,639.00		4,772,875.00	27,142,811.00	31,494,903
वाहन	1,813,410	848,183.00	-	-	2,661,593.00	272,012.00	63,614	-	335,626	2,325,967	1,813,410
फर्नीचर एवं फिक्सचर	9,625,436	205,628.00	35,992.00	-	9,795,072.00	962,544.00	14,701.00		977,245.00	8,817,827.00	9,625,436
कम्प्यूटर	2,501,218	1,578,179.00	32,178.00	9,308.00	4,056,527.00	1,000,487.00	448,767.00		1,449,254.00	2,607,273.00	2,501,218
पुस्तकें एवं प्रकाशन	31,500	153,671.00	-	-	185,171.00	12,600.00	61,468.00	-	74,068.00	111,103.00	31,500
वर्तमान वर्ष का कुल	**121,416,456**	**3,206,444**	**68,170**	**9,308**	**124,564,038**	**14,211,534**	**637,189**	**-**	**14,848,723**	**109,715,315.00**	**121,416,456**

मूल्यहास गणना

फर्नीचर

कुल मूल्यहास रू. 124376 (160368 - 35992) पर	12,438.00	कुल मूल्यहास रू. 6,56348/- (रू.647040+9308) पर	262539	रुपये 2,27,743 की खरीद 2022-23 (सितंबर, 22 तक) पर पूर्ण मूल्यहास लगाया गया	34,161
आधा मूल्यहास रुपये 45260 पर	2263	आधा मूल्यहास रुपये 931139 पर	186228	वर्ष 2022-23 के लिए रुपये 193040/- पर आधा मूल्यहास लगाया गया	14,478
कुल मूल्यहास	**14,701**	**कुल मूल्यहास**	**448,767.00**	**योग पर कुल मूल्यहास**	**48,639**

कम्प्यूटर

मशीनरी

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट नं 21, जसोला संस्थागत क्षेत्र, नई दिल्ली-110025
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025

23

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
	अनुसूची 9 अंकित/अक्षय निधि से निवेश		निरंक		
	अनुसूची 10 अन्य निवेश		निरंक		
	अनुसूची 11 वर्तमान संपत्ति, लोन, अग्रिम				
क	**चालू सम्पत्तियां**				
1)	सूची		594,827.00		540,165.00
2)	हाथ में नकद (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	-	-	-	-
3)	हाथ में डाक टिकट		119,812.00		77,942.00
4)	बैंक बैलेंस:-				
	अनुसूचित बैंकों के साथ:				
	बचत खातों पर	1,861,446.00	486,407.00	13,640,935.00	14,489,689.00
5)	ऋण, अग्रिम और अन्य राशि वसूली योग्य नकद या में प्रकार या मूल्य प्राप्त करने के लिए:-	-	-	-	-
6)	प्रीपेड व्यय	177,000.00	46,319.00	177,000.00	-
7)	मार्च, 2021 के महीने के लिए अर्जित ब्याज	1,182.00	-	137,190.00	-
8)	विविध देनदार	150,000.00	875.00	150,000.00	-
	क	**2,189,628.00**	**1,248,240.00**	**14,105,125.00**	**15,107,796.00**

PAY & ACCOUNTS OFFICER MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
ख **ऋण और अग्रिम**				
सहायता अनुदान के तहत (2235.02.103.71.01.31) ख	**88,319,282.00**		**91,497,156.00**	
कर्मचारियों को अग्रिम (X+Y+Z)	**99,133.00**		**224,044.00**	
संगोष्ठी एवं सम्मेलन (X)	99,133.00		224,044.00	
मृदुल भट्टाचार्या	32,300.00		96,300.00	
अनन्या सिंह	36,870.00		-	
आर.सी.मिश्रा	-		37,744.00	
ललीत कुमार	29,963.00		20,000.00	
देवेंद्र, निजी सचिव	-		70,000.00	
विज्ञापन के लिए अग्रिम	**11,674,101.00**		**11,674,101.00**	
लेखा अधिकारी DAVP, विज्ञापन (Adv.)	11,509,064.00		11,509,064.00	
संपादक रोजगार समाचार विज्ञापन	55,037.00		55,037.00	
वेतन एवं लेखा अधिकारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	-		-	
संस्कृत भारती दिल्ली	100,000.00		100,000.00	
अतुल सिंहा, वरिष्ठ प्रोग्रामर	10,000.00		10,000.00	
श्रव्य दृश्य प्रचार के लिए अग्रिम	**37,596,450.00**		**37,596,450.00**	
विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	7,631,100.00		7,631,100.00	
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम- उन्नत ऑडियो विजुअल	1,197,291.00		1,197,291.00	
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम- उन्नत ऑडियो विजुअल	12,272,292.00		12,272,292.00	
प्रसार भारती	16,495,767.00		16,495,767.00	
संगठन/राज्य आयोग/एनजीओ को अग्रिम	**1,453,489.00**		**1,653,489.00**	
संगोष्ठी एवं सम्मेलन				
आंध्र प्रदेश राज्य आयोग	-		200,000.00	
गुजरात राज्य महिला आयोग	94,170.00		94,170.00	
हरियाणा राज्य महिला आयोग	100,000.00		100,000.00	
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान	1,259,319.00		1,259,319.00	

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान एवं NER सहायता अनुदान (71.01.31) पूंजीगत आस्तियां	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
सम्मेलन के लिए अग्रिम	**1,461,297.00**		**674,640.00**	
सहायक निदेशक एस्टेट-S/C Adv	30,000.00		30,000.00	
बामर एंड लॉरी कंपनी लिमिटेड-Adv Sem	300,000.00		300,000.00	
उप निदेशक बागवानी	372,600.00		107,310.00	
इंडियन इंटरनेशनल सेंटर	81,777.00		-	
राष्ट्रपति बैंड, राष्ट्रपति सचिवालय	30,000.00		-	
प्रवासी भारतीय केन्द्र	88,500.00		88,500.00	
सहायक निदेशक, एस्टेट	558,420.00		148,830.00	
विधिक समीक्षा के लिए अग्रिम	**818,322.00**		**818,290.00**	
राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, गुजरात	100,000.00		100,000.00	
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर	32.00		-	
राष्ट्रीय विधि विद्यालय, उड़ीसा	18,290.00		18,290.00	
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु	700,000.00		700,000.00	
विधिक जागरुकता कार्यक्रम के लिए अग्रिम	**11,817,327.00**		**20,423,600.00**	
केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जेएनयू कैम्पस	600,000.00		600,000.00	
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)	11,217,327.00		19,823,600.00	
क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अग्रिम	**584,218.00**		**1,578,687.00**	
आंध्र प्रदेश राज्य आयोग	60,000.00		60,000.00	
छत्तीसगढ़ राज्य आयोग	60,000.00		60,000.00	
गोवा राज्य आयोग	120,000.00		120,000.00	
राष्ट्रीय लिंग केंद्र, LBSNAA	-		1,248,687.00	
आईआईएम बोधगया	234,277.00		-	
अतुल सिन्हा	19,941.00		-	
उड़ीसा राज्य आयोग	90,000.00		90,000.00	
महिला सुरक्षा ऑडिट कराने के लिए अग्रिम	**14,231,090.00**		**9,320,000.00**	
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय	9,320,000.00		9,320,000.00	
एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (एएमएस)-सेफ्टी ऑडिट एडवांस	536,700.00		-	
गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी-महिला सुरक्षा ऑडिट एडवांस	468,050.00		-	
आईआईएम वस्त्रपुर अहमदाबाद-महिला सुरक्षा ऑडिट एडवांस	246,400.00		-	
भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए)-महिला सुरक्षा ऑडिट	937,200.00		-	
लोयोला कॉलेज चेन्नई-सुरक्षा ऑडिट एडवांस	91,500.00		-	
महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा-महिला सुरक्षा ऑडिट	1,218,240.00		-	
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा-महिला सुरक्षा ऑडिट एडवांस	244,400.00		-	
सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई-महिला सुरक्षा ऑडिट एडवांस	1,168,600.00		-	
हेल्पलाइन के लिए अग्रिम 24X7	**6,019,720.00**		**4,969,720.00**	
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	6,000,000.00		4,950,000.00	
एमटीएनएल - पीआरआई लाइन के लिए	19,720.00		19,720.00	
फर्नीचर के लिए अग्रिम	**2,564,135.00**		**2,564,135.00**	
एनबीसीसी लिमिटेड	2,564,135.00		2,564,135.00	

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
सहायता अनुदान के तहत (2235.02.103.35.00.31)	ग		**3,849,632.00**	**-**	**5,489,958.00**
कर्मचारियों को अग्रिम			**3,838,479.00**		**5,478,805.00**
कार्यालय व्यय			**60,000.00**	**-**	**40,000.00**
आर.सी.मिश्रा			40,000.00		-
ललीत कुमार			20,000.00		20,000.00
मृदुल भट्टाचार्या			-		20,000.00
यात्रा व्यय			**20,000.00**	**-**	**219,914.00**
रेखा शर्मा, अध्यक्ष			20,000.00		
बामर और लॉरी			-		219,914.00
पेट्रोल के लिए अगिम			**1,365.00**		**1,365.00**
बी. एस. रावत			1,365.00		1,365.00
कार्यालय व्यय के लिए अग्रिम			**3,757,114.00**		**5,217,526.00**
बीआरपीएल			400,000.00		780,000.00
आईनॉक्स अवकाश			-		43,000.00
सेंट्रल न्यूज़ एजेंसी			5,429.00		-
एनटीआई मीडिया लिमिटेड			4,000.00		-
एनबीसीसी सर्विस लिमिटेड			3,347,685.00		4,394,526.00
ओएमसीए			**11,153.00**		**11,153.00**
अन्य मोटर कार एडवांस			11,153.00		11,153.00

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सामान्य सहायता अनुदान एवं NER पूंजीगत आस्तियां सहायता अनुदान (71.01.31)	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान (36.00.36 तथा 36.00.31)	सामान्य सहायता अनुदान एवं सहायता अनुदान NER	वेतन सहायता अनुदान एवं सामान्य सहायता अनुदान
अनुदान सहायता के तहत NER (2235.02.103.71.01.31)	**घ**	**22,753,182.00**		**23,300,754.00**	**-**
संगठनों/राज्य आयोगों/गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम		**6,021,064.00**		**6,568,636.00**	
संगोष्ठी एवं सम्मेलन (NER)		**2,568,252.00**		**2,568,252.00**	**-**
निदेशक, सामाजिक कल्याण, मेघालय सरकार		440,000.00		440,000.00	-
पांडिचेरी महिला आयोग		500,000.00		500,000.00	-
प्रधान सचिव, त्रिपुरा सरकार		250,000.00		250,000.00	-
राज्य महिला आयोग, अरुणाचल प्रदेश		100,000.00		100,000.00	
राज्य महिला आयोग, मणिपुर		218,000.00		218,000.00	
राज्य महिला आयोग, मेघालय		51,000.00		51,000.00	
मिरांडा हाउस विश्वविद्यालय दिल्ली		34,750.00		34,750.00	
दिल्ली विश्वविद्यालय साउथ कैंपस		74,502.00		74,502.00	
रोटरी क्लब शिलांग		900,000.00		900,000.00	-
विधिक जागरुकता कार्यक्रम (NER)		**3,452,812.00**		**4,000,384.00**	**-**
रोटरी क्लब शिलांग - NER		400,000.00		400,000.00	-
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA)		3,052,812.00		3,600,384.00	
विज्ञापन के लिए अग्रिम (NER)		**4,428,428.00**		**4,428,428.00**	
लेखा अधिकारी DAVP		1,344,231.00		1,344,231.00	
प्रचार भारती		3,084,197.00		3,084,197.00	
श्रव्य दृश्य और प्रचार के लिए अग्रिम (NER)		**12,303,690.00**		**12,303,690.00**	
लेखा अधिकारी DAVP		847,900.00		847,900.00	
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम		6,734,210.00		6,734,210.00	
प्रसार भारती (BCI)		4,721,580.00		4,721,580.00	
योग ङ (ख+ग+घ)		**111,072,464.00**	**3,849,632.00**	**114,797,910.00**	**5,489,958.00**
सुरक्षा जमा राशि	**च**	**903,201.00**	**29,000.00**	**883,029.00**	**29,000.00**
योग क+ङ+च		**114,165,293.00**	**5,126,872.00**	**129,786,064.00**	**20,626,754.00**

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, भा.प्र.से
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 12- बिक्री/सेवाओं से आय

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
निरंक			निरंक	

अनुसूची 13 अनुदान

(राशि रू. में)

			वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
			सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन एवं सामान्य
1)	केन्द्र सरकार					
		अनुदान	210,049,395.00	78,729,222.00	151,259,065.00	78,445,669.00
		घटाएं : पूंजीकृत सहायता अनुदान राशि	3,215,752.00	-	3,610,308.00	-
		कुल अनुदान	**206,833,643.00**	**78,729,222.00**	**147,648,757.00**	**78,445,669.00**

अनुसूची 14- शुल्क/सदस्यता

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन एवं सामान्य	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
1)	प्रवेश शुल्क	-	-	-	-
2)	वार्षिक शुल्क/अभिदान	-	-	-	-
3)	आर.टी.आई. शुल्क	-	2,320.00	-	12,225.00
			-		-
			2,320.00		**12,225.00**

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025

अनुसूची-15 निवेश से आय

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन एवं सामान्य
		निरंक		निरंक

अनुसूची-16 रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय

निरंक

निरंक

अनुसूची-17 अर्जित ब्याज

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
1)	बचत बैंक खाते पर				
	क) शेड्यूल बैंक के साथ	5,862.00	2,198.00	28,218.00	14,635.00
	ख) MOD(Sweep A/C) से ब्याज	577,977.00	216,748.00	463,442.00	240,349.00
2)	HBA से ब्याज	-	-	-	-
3)	CPF से अर्जित ब्याज	-		-	-
4)	FDR से अर्जित ब्याज	-		-	-
		583,839.00	**218,946.00**	**491,660.00**	**254,984.00**

अनुसूची-18 अन्य आय

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
		सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान वेतन एवं सामान्य	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
1)	पुनरांकित देयताएं	9,419,420.00	-	3,087,549.00	135,953.00
2)	अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	9,308.00		19,282.00	
3)	विविध आय	29,462.00	216,263.00	-	-
4)	विगत अवधि में विविध आय	1,201,475.00	-	2,731,858.00	66,506.00
5)	पूर्व अवधि समायोजन	-	-	32,997.00	-
		10,659,665.00	**216,263.00**	**5,871,686.00**	**202,459.00**

Pay & Accounts Officer

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.
अनुसूची-19 तैयार सामान एवं प्रगति पर कार्य के स्टॉक में वृद्धि/ (कमी)	निरंक		निरंक	
क) बद स्टाक		निरंक		निरंक
ख) कम: प्रारंभिक स्टॉक		निरंक		निरंक
कुल वृद्धि/(कमी) (क-ख)				0

अनुसूची-20 स्थापना व्यय

(राशि रू. में)

			वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
			सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
	1	वेतन:-				
a		अध्यक्षा एवं सदस्य (4487314-1078564{देय})	-	3,408,750.00	-	12,928,981.00
b		अधिकारी (14316829-951102 {देय}-43333 [मार्च, 23 महीने के लिए देय एनपीएस/ईपीएफ सरकारी अंशदान])	-	13,322,394.00	-	12,473,675.00
c		स्टाफ (12107251-858645 {देय}-11416 [एनपीएस/ईपीएफ सरकारी अंशदान मार्च, 23 माह के लिए देय])	-	11,237,190.00	-	11,769,815.00
	2	भत्ता	41,691,036.00	-	39,112,278.00	-
	3	देय मजदूरी	750,817.00			
	4	मार्च,2023 के महीने के लिए देय ईपीएफ नियोक्ता अंशदान	-		99,450.00	
		अन्य निधियों में योगदान:-				
	5	LSC /PC	-	1,286,212.00	-	1,311,384.00
	6	पेशेवर शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	1,967,933.00	-	1,393,133.00	-
	7	मार्च महीने के लिए संदेय व्यावसायिक शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	21,665.00		20,738.00	
	8	CPF अंशदान देय		-		-
	9	मार्च, 2023 के महीने के लिए देय वेतन		2,146,722.00		1,925,944.00
	10	मार्च, 2023 के महीने के लिए देय विप्रेषण		741,589.00		709,080.00
	11	मार्च, 2023 के महीने के लिए देय एनपीएस और ईपीएफ/सीपीएफ नियोक्ता अंशदान		54,749.00		42,965.00
	12	मार्च, 2022 के महीने के लिए सीपीएफ नियोक्ता योगदान और प्रशासन शुल्क		-		12,553.00
			44,431,451.00	**32,197,606.00**	**40,625,599.00**	**41,174,397.00**

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र नई दिल्ली-110025
Plot No. 21, Jasola Institutional Area New Delhi-110025

अनुसूची 21- अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
विज्ञापन व्यय	97,599.00	-	51,247.00	-
प्रिंटिंग	714,490.00	-	589,177.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	11,049,623.00	-	4,841,397.00	-
विशेष अध्ययन	153,000.00	-	168,169.00	-
कानूनी समीक्षा	428,090.00	-	459,850.00	-
श्रव्य-दृश्य प्रचार-स्पॉट, वृत्तचित्र फिल्में आदि	-	-	5,471,196.00	-
न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	656,446.00	-	293,182.00	-
24X7 हेल्पलाइन एवं कॉल सेंटर की स्थापना	187,176.00			
कार्यालयीन व्यय	-	31,093,650.00	-	29,933,134.00
मरम्मत एवं रखरखाव	-	938,745.00	-	275,512.00
टेलीफोन	-	1,570,573.00	-	1,202,130.00
यात्रा व्यय	-	4,615,274.00	-	3,387,212.00
ऑडिट फीस	-	389,620.00	-	300,000.00
बैंक चार्ज	-	11,011.00	-	26,289.00
पेट्रोल, तेल और स्नेहक	-	844,997.00	-	796,876.00
किराया, दरें और कर	-	1,625,859.00	-	276,480.00
अभियोग	-	-	-	-
चिकित्सा	-	399,873.00	-	247,651.00
पूर्व अवधि समायोजन	(18,731,006.00)	-	866,381.00	-
पूर्व अवधि व्यय	-	7,574,499.00	(758,523.00)	603,740.00
न्यायिक एवं पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण एवं अन्य प्रशिक्षण Programmes-	62,428.00	-	-	-
कानून की समीक्षा -एनईआर	171,108.00	-	-	-
विधिक जागरुकता प्रोग्राम NER	-	-	-	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन NER	30,000.00	-	181,157.00	-
विशेष अध्ययन NER	6,000.00	-	-	-
	(5,175,046.00)	**49,064,101.00**	**12,163,233.00**	**37,049,024.00**

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र नई दिल्ली-110025
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025

अनुसूची 22- व्यय अनुदान, सांब्सिडी आदि

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन	सहायता अनुदान सामान्य एवं एन.ई.आर.	सहायता अनुदान सामान्य एवं वेतन
सहायता अनुदान के तहत (2235.02.103.71.01.31)				
विधिक जागरुकता कार्यक्रम	36,022,428.00	-	5,116,928.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन	59,450,830.00	-	29,862,424.00	-
पूर्व अवधि व्यय	-		(11,193,551.00)	
विशेष अध्ययन	42,733,346.00	-	24,247,700.00	-
कानूनी समीक्षा	2,649,858.00	-	1,600,000.00	-
कानूनी सेवा क्लिनिक	1,200,000.00	-	1,799,479.00	-
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	58,925,306.00	-	57,746,972.00	-
क	**200,981,768.00**	**-**	**109,179,952.00**	**-**
सहायता अनुदान NER (2235.02.103.71.01.31) के तहत				
विधिक जागरुकता प्रोग्राम एन.ई.आर.	547,572.00	-	767,500.00	-
संगोष्ठी एवं सम्मेलन NER	10,876,849.00	-	2,145,095.00	-
विशेष अध्ययन NER	1,881,000.00	-	5,082,446.00	-
कानूनी सेवा क्लिनिक-NER	300,000.00			
कानून की समीक्षा- NER	113,126.00			
न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण - NER	5,173,209.00	-	2,925,250.00	
ख	**18,891,756.00**	**-**	**10,920,291.00**	**-**
योग (क+ख)	**219,873,524.00**	**-**	**120,100,243.00**	

अनुसूची 23 ब्याज **निरंक** **निरंक**

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025

राष्ट्रीय महिला आयोग
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार प्राप्ति और भुगतान का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 26- स्थापना व्यय

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
	सामान्य सहायता अनुदान	वेतन में सहायता अनुदान	सहायता अनुदान	वेतन सहायता अनुदान
1 वेतन				
अध्यक्षा एवं सदस्य	-	30,709,751.00	-	40,301,106.00
अधिकारी				
स्टाफ				
2 भत्ता	42,100,343.00	-	39,081,875.00	-
3 CPF को योगदान				
4 अन्य निधियों में योगदान:-				
LSC	-	1,286,212.00	-	1,311,384.00
PC				
5 वृत्तिक शुल्क और सेवाओं के लिए भुगतान	2,011,585.00	-	1,390,957.00	-
	44,111,928.00	**31,995,963.00**	**40,472,832.00**	**41,612,490.00**

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For W...
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-1...
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi-...

अनुसूची 27- अन्य प्रशासनिक व्यय

(राशि रू. में)

		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1	**सहायता अनुदान के तहत सामान्य (2235.02.103.71.01.31)**		
	विज्ञापन व्यय	77,627.00	56,305.00
	मुद्रण	725,818.00	577,849.00
	संगोष्ठी एवं सम्मेलन	12,541,036.00	4,229,051.00
	विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन	138,000.00	168,169.00
	कानूनी समीक्षा	782,972.00	175,000.00
	श्रव्य दृश्य प्रचार	1,380,600.00	4,090,596.00
	महिला सुरक्षा ऑडिट का आयोजन	4,911,090.00	9,320,000.00
	महिला कानूनों के उचित कार्यान्वयन पर न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण	2,662,948.00	1,880,869.00
	राज्य महिला आयोग और टेलीकांफ्रेंसिंग के साथ एनसीडब्ल्यू की नेटवर्किंग	-	-
	महिला हेल्पलाइन 24X7	1,237,176.00	4,969,720.00
	क	**24,457,267.00**	**25,467,559.00**
2	**सहायता अनुदान के तहत सामान्य (2235.02.103.35.00.31)**		
	कार्यालयीन व्यय	29,818,767.00	30,937,516.00
	मरम्मत एवं रखरखाव	920,851.00	272,979.00
	टेलीफोन	1,604,077.00	1,163,828.00
	यात्रा व्यय	3,817,652.00	3,385,497.00
	लेखापरीक्षा फीस	-	337,640.00
	बैंक प्रभार	19,362.00	24,809.00
	पेट्रोल, तेल और लुब्रीकेंट	859,547.00	783,070.00
	किराया, शुल्क और कर	9,787,110.00	-
	चिकित्सा	390,771.00	275,377.00
	अभियोग	-	-
	ख	**47,218,137.00**	**37,180,716.00**

3 सहायता अनुदान के तहत NER(2235.02.103.71.01.31)

(राशि रू. में)

विवरण		**वर्तमान वर्ष**	**विगत वर्ष**
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम		-	2,434,384.00
संगोष्ठी और सम्मेलन		161,157.00	50,000.00
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन		6,000.00	-
ऑडियो विजुअल प्रचार		-	-
महिला कानूनों के उचित कार्यान्वयन पर न्यायिक और पुलिस अधिकारियों का क्षमता निर्माण		62,428.00	-
	ग	**229,585.00**	**2,484,384.00**
अनुदान के तहत कुल व्यय - सहायता सामान्य और NER (क+ग)		**24,686,852.00**	**27,951,943.00**
अनुदान के तहत कुल व्यय - सहायता सामान्य (2235.02.103.35.00.31) (ख)		**47,218,137.00**	**37,180,716.00**

अनुसूची 28- विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों के विरूद्ध किया गया भुगतान

(राशि रू. में)

सामान्य सहायता अनुदान के तहत (2235.02.103.71.01.31)			
कानूनी जागरूकता कार्यक्रम		14,246,280.00	3,016,396.00
संगोष्ठी और सम्मेलन		44,074,393.00	17,087,275.00
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन		25,115,730.00	19,395,735.00
कानूनी सेवा क्लिनिक		1,099,475.00	899,740.00
महिला कानूनों के उचित कार्यान्वयन पर न्यायिक और पुलिस अधिकारियों की क्षमता निर्माण		39,717,989.00	31,815,565.00
पंचायती राज के लिए क्षमता निर्माण			
राज्य महिला आयोग के साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की नेटवर्किंग और टेलीकांफ्रेंसिंग		-	-
कानून की समीक्षा		2,048,959.00	834,256.00
नुक्कड़ नाटक और स्थानीय गीतों आदि के लिए एनजीओ को फंड		-	-
	घ	**126,302,826.00**	**73,048,967.00**
सहायता अनुदान NER (2235.02.103.71.01.31)			
विधिक जागरुकता कार्यक्रम		383,750.00	430,550.00
संगोष्ठी एवं सम्मेलन		7,941,276.00	2,209,865.00
विशेष अध्ययन/शोध अध्ययन		940,500.00	3,352,068.00
कानूनी सेवा क्लिनिक		200,000.00	-
कानून की समीक्षा		113,126.00	-
पंचायती राज के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम-NER		4,189,457.00	1,523,133.00
	ङ	**13,768,109.00**	**7,515,616.00**
सहायता अनुदान के तहत कुल व्यय सामान्य एवं एनईआर (डी+ई)		**140,070,935.00**	**80,564,583.00**

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला ... दिल्ली-110025
Plot No 21, Jasola ... 110025

प्रेषण अनुसूची-29

(राशि रू. में)

	वर्तमान वर्ष		विगत वर्ष	
शीर्ष	**परिवर्धन**	**प्रेषित राशि**	**परिवर्धन**	**प्रेषित राशि**
जीपीएफ	3,243,000.00	3,243,000.00	3,491,406.00	3,491,406.00
अंग्रेम जीपीएफ				
लाइसेंस फीस	163,086.00	163,086.00	195,092.00	195,092.00
आयकर	3,358,848.00	3,358,848.00	5,437,437.00	5,437,437.00
सी.जी.एस.एस.	30,600.00	30,600.00	37,900.00	37,900.00
सी.जी.ई.जी.आई.एस.	8,800.00	8,800.00	8,220.00	8,220.00
एचबीए	240,000.00	240,000.00	360,000.00	360,000.00
शिक्षा उपकर	134,295.00	134,295.00	217,500.00	217,500.00
सीपीएफ सदस्यता	373,587.00	373,587.00	499,490.00	499,490.00
ईपीएफ	-	-	12,010.00	12,010.00
इपीएफ-डीडब्ल्यूएस और	1,337,583.00	1,337,583.00	-	-
प्रधानमंत्री केयर	-	-	-	-
टीडीएस	1,743,476.00	1,743,476.00	554,292.00	554,292.00
जीएसटी पर टीडीएस	916,230.00	916,230.00	439,180.00	439,180.00
एनपीएस	201,494.00	201,494.00	166,377.00	166,377.00
सीपीएफ अग्रिम	-	-	176,000.00	176,000.00
विविध वसूली	-	-	3,712.00	3,712.00
अतिरिक्त भुगतान की	-	-	25,321.00	25,321.00
जीवन बीमा निगम	-	-	-	-
अन्य वसूली- वॉल्यूम	77,048.00	77,048.00	210,924.00	210,924.00
योग	**11,828,047.00**	**11,828,047.00**	**11,834,861.00**	**11,834,861.00**

अनुसूची-30

बैंक राशि का विवरण

	सहायता अनुदान	सामान्य एवं वेतन सहायता अनुदान	कुल बैंक राशि
1 इंडियन बैंक	₹ 1,861,446.00	₹ 486,407.00	₹ 2,347,853.00
			₹ 2,347,853.00

PAY & ACCOUNTS OFFICER

MEMBER SECRETARY

मीनाक्षी नेगी, आई एफ ओ एस
Meenakshi Negi, IFoS
सदस्य सचिव / Member Secretary
राष्ट्रीय महिला आयोग / National Commission For Women
प्लॉट सं 21 जसोला संस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025
Plot No. 21, Jasola Institutional Area, New Delhi-110025

राष्ट्रीय महिला आयोग

अनुसूची -24 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय लेखों का भाग

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन परिपाटी

   वित्तीय विवरण, महालेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा केंद्रीय स्वायत्त निकायों (अलाभकारी संगठन और समरूप संस्थान) के लिए निर्धारित प्रारूप में उपार्जन (accrual) के आधार पर तैयार किए गए हैं।

2. निवेश

   2.1 वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किसी भी रूप में कोई निवेश नहीं किया गया है और 31.03.2023 तक शेष राशि शून्य है।

3. अचल परिसंपत्तियाँ

   3.1 अचल परिसंपत्ति में अधिग्रहण की कुल लागत है जिसमें आवक भाड़ा, शुल्क और कर और अधिग्रहण से संबंधित आकस्मिक और प्रत्यक्ष खर्च शामिल हैं। निर्माण से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में, संबंधित पूर्व-संचालन व्यय, पूंजीकृत संपत्ति के मूल्य का हिस्सा बनते हैं।

   3.2 अचल संपत्तियों में रा.म.आ. को उपहार में दी गई/दान में दी गई पुस्तकें शामिल हैं और पूंजीकरण बही-मूल्य के आधार पर है।

4. मूल्यह्रास

   4.1 आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यह्रास लिखित मूल्य पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

मद	मूल्यह्रास की दर
भवन	10 %
वाहन	15%
फर्नीचर एवं फिटिंग	10%
मशीनरी एवं उपकरण	15%
कम्प्यूटर/बाह्य उपकरणों	40%
पुस्तकें एवं प्रकाशन	40%

5. सरकारी अनुदान/आर्थिक सहायता

5.1 सरकारी अनुदानों का परिकलन प्राप्ति के आधार पर किया जाता है।

6. माल/वस्तु सूची मूल्यांकन

माल/वस्तु सूची मूल्यांकन का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य, जो भी कम हो, पर किया जाता है।

7. चालू आस्तियां ऋण एवं अग्रिम

वर्तमान आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का सामान्य व्यवसायिक प्रक्रिया का वसूली मूल्य, जो कम से कम बैलेंस शीट में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है।

8. पूर्व अवधि की वस्तु

पहले के वर्षों से संबंधित कोई भी आय/व्यय जो किसी चूक या गलती के कारण घटना के वर्ष में खोजा और हिसाब नहीं लगाया जा सका, उस वर्ष में आय/व्यय के रूप में माना जाएगा जिसमें उसका पता लगाया गया/पता लगाया गया है।

9. वर्तमान देनदारियां और प्रावधान

आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मंजूरी राशि के प्रति देय राशि को पुस्तकों में वर्तमान देनदारियों के रूप में दर्ज किया गया है। खर्चों के लिए देनदारियां वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए लेकिन बाद में भुगतान किए गए कार्यों के संबंध में प्राप्त बिलों/जानकारी के आधार पर दर्ज की जाती हैं।

10. राजस्व मान्यता

क) आय की निम्नलिखित मदों को संग्रहण/प्राप्ति पर मान्यता दी जाती है-

- स्क्रैप, अनुपयोगी दुकानों/खाली दुकानों की बिक्री-आय
- अतिथि गृह शुल्क
- क्रेच फीस
- आवेदन शुल्क
- समाचार पत्रों आदि की बिक्री

ख) बैंक ब्याज का हिसाब उपार्जन के आधार पर किया जाता है।

अनुसूची-25 31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों का भाग

लेखांकन पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं

1.1 आयोग के प्रति ऋण के रूप में माने गए दावे रु. 4,34,18,052/-(रु 2,46,87,046 गत वर्ष 2021-22 एवं वर्तमान वर्ष 2022-23 के लिए रुपये 1,87,31,006/-)

1.2 निम्नलिखित की बाबत:

- आयोग द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी - रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
- आयोग की ओर से बैंक द्वारा खोले गए साख पत्र - रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
- आयोग के साथ भुनाए गए बिल - रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

1.3 निम्नलिखित की बाबत विवादित मांगे:

आयकर	–	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
विक्रय	–	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
नगरपालिका कर	–	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

1.4 आदेशों का निष्पादन न करने के लिए पक्षकारों की ओर से किए दावों की बाबत जिनका आयोग द्वारा विरोध किया गया – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य रुपये)

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं

वर्ष 2018-19 के लिए तुलन-पत्र में रु.1,47,02,000/- की राशि, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को कार्यालय भवन के निर्माण के लिए अग्रिम के रूप दिखाई गई है जिसे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा वापस कर दिया गया है और वह राशि वित्तीय वर्ष 2019-20 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को सौंप दी गई है। इसलिए पूंजी प्रतिबद्धता को 'शून्य' माना गया है।

3. चालू आस्तियाँ, ऋण और अग्रिम

सामान्य व्यावसायिक क्रम में चालू आस्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य प्राप्तियों पर आधृत होता है, जो कम से कम तुलन-पत्र में दिखाई गई कुल राशि के बराबर होती है।

4. कर-निर्धारण

आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कोई कर योग्य आय नहीं होने के मद्देनजर, आयकर के प्रावधान को आवश्यक नहीं माना गया है।

5. विदेशी मुद्रा लेनदेन

5.1 लागत, बीमा और माल भाड़ा (सी.आई.एफ) आधार पर परिकलित आयातों का मूल्य:

तैयार माल की खरीद	– शून्य
कच्चा माल और घटक (पारवहन सहित)	– शून्य
पूंजीगत सामान	– शून्य
स्टोर, पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं	– शून्य

5.2 विदेशी मुद्रा में व्यय:

(क)	यात्रा	– शून्य
(ख)	विदेशी मुद्रा में वित्तीय संस्थाओं/बैंक को धन-प्रेषण और ब्याज भुगतान	– शून्य
(ग)	अन्य व्यय	– शून्य
	बिक्री पर कमीशन	– शून्य
	कानूनी और व्यावसायिक व्यय	– शून्य
	विविध व्यय	– शून्य

5.3 आमदनी :

जहाज पर्यंत निःशुल्क (FOB) आधार पर निर्यात मूल्य – शून्य

6. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति महालेखा नियंत्रक (CGA) कार्यालय द्वारा आयोग के लिए निर्धारित प्रारूप पर आधारित है।

7. मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर देय उपदान (ग्रेच्युटी) तथा कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश नकदीकरण लाभों के प्रति कोई दायित्व लेखा पुस्तकों में नहीं किया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। इस संस्था में कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है, सभी कर्मचारी या तो केंद्र सरकार, अर्ध सरकारी संस्थाओं से प्रतिनियुक्ति पर हैं या अस्थायी/आकस्मिक/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारी हैं जिन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कोई उपदान/पेंशन देय नहीं है। अस्थायी स्तर पर कार्यरत 12 चपरासी को छोड़कर जिनकी सरकारी भविष्यनिधि(GPF) काटी जाती है और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में जमा की जाती है। वे सेवानिवृत्ति के समय अवकाश की प्रतिपूर्ति/उपदान एवं पेंशन के हकदार हैं। सेवानिवृत्ति लाभों का भुगतान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किया जाएगा।

8. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग को निधि प्रदान करता है। मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आयोग द्वारा प्राप्त अनुदानों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

क्र.	विवरण	सामान्य सहायता अनुदान, पूंजीगत आस्ति सृजन और एनईआर (राशि रुपए में)	वेतन एवं सामान्य सहायता अनुदान (राशि रुपये में)
1	वर्ष के आरंभ में अनुदान की अव्ययित शेष राशि जो भारत सरकार के खाते में वापस की गई। देखे कार्यालय पत्र सं.4-1/2022/ रा.म.आ/बजट दिनांकित 21-06-2022	1,36,40,935	1,44,89,689
2	वर्ष के आरंभ में हाथ में नकदी की अव्ययित शेष राशि	--	--
3	वर्ष के आरंभ में हाथ में अप्रयुक्त डाक टिकटों की राशि	--	77,942
4	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	21,49,00,000	8,50,96,000
5	वर्ष के अंत में अनुदान की अव्ययित शेष राशि (विविध प्राप्तियों सहित)	18,61,446	4,86,407
6	वर्ष के अंत में हाथ में नकदी अव्ययित शेष राशि	--	--
7	वर्ष के अंत में हाथ में अप्रयुक्त डाक टिकटों की राशि	--	1,19,812

9. पैरा संख्या क.1.1 में सांविधिक लेखापरीक्षा रिर्पोट (SAR) ऑडिट 2021-22 के अवलोकन पर अनुपालन हेतु संगठन/संस्था/गैर-सरकारी संगठन को देय राशि को नामे करके रुपये 1,87,31,006/- को 2017-18 से 2019-20 के दौरान हुए के पूर्वावधि समायोजन के रूप में जमा किया गया है और इस राशि को आकस्मिक देयता में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि संबंधित संगठनों से प्राप्त होने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र, संतोषजनक रिपोर्ट, बिल इत्यादि जैसे आवश्यक दस्तावेजों की प्रस्तुति संभावना बहुत कम है। तदनुसार, इस राशि को वर्तमान देयता के बजाय आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा, 2020-21 से 2022-23 तक की बकाया देनदारियों को जल्द से जल्द निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं और संबंधित संगठनों को अनुस्मारक जारी किए गए हैं।

10. पैरा संख्या ख. 2 में सांविधिक लेखापरीक्षा रिर्पोट (SAR) ऑडिट 2021-22 के अवलोकन पर यह कहा गया कि चालू वित्तीय वर्ष में लंबे समय से लंबित अग्रिमों को निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए बकाया अग्रिम के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

11. पैरा संख्या ख.1 में सांविधिक लेखापरीक्षा रिर्पोट (SAR) ऑडिट 2021-22 के अवलोकन पर, रा.म.आ ने अनुसूची 8 के अनुसार स्वायत्त निकाय के लिए निर्धारित खातों के वर्ष की शुरुआत

में लागत/मूल्यांकन और उसके बाद वर्ष के दौरान लगाए गया राशि-मूल्यह्रास के एक-समान प्रारूप को अपनाया है, वर्ष के अंत में कुल उपार्जित मूल्यह्रास और वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के कुल मूल्य को नहीं ।

इसके अलावा, लेखांकन मानक 6 (मूल्यह्रास लेखा) के पैरा 28 (iii) में प्रावधान के अनुसार भी यह उचित है: -

(i) मूल्यह्रास आस्तियों के प्रत्येक वर्ग की ऐतिहासिक लागत के लिए प्रतिस्थापित ऐतिहासिक लागत या अन्य राशि।

(ii) आस्तियों के प्रत्येक वर्ग की अवधि के लिए कुल मूल्यह्रास, और

(iii) संबंधित उपार्जित मूल्यह्रास।

ऊपर (i) के अनुसार यह अनुसूची 8 में देखा जा सकता है कि संपत्ति का मूल्य पिछले वर्ष में संपत्ति के समापन शेष के रूप में दिखाया गया है।

(ii और iii) के अनुसार अनुसूची 8 के कॉलम 4 और कॉलम 5 के तहत दिखाया गया उपार्जित मूल्यह्रास, जो पिछले वर्ष के अंत में उपार्जित मूल्यह्रास का प्रतिनिधित्व करता है और उस संपत्ति के प्रत्येक वर्ग के चालू वर्ष में मूल्यह्रास की गणना करता है।

12. अनुसूची 1 से 30 संलग्न हैं जो वर्ष 2022-23 के लिए तुलन-पत्र और आय और व्यय खाते का एक अभिन्न हिस्सा हैं।

हस्ता/- हस्ता/-

वेतन एवं लेखा अधिकारी सदस्य सचिव

अध्याय -21
लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 12(2) के साथ पठित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम,1971 की धारा 19 (2) के तहत हमने तारीख 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष में राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली के आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते की संलग्न बैलेंस शीट की लेखा परीक्षा की है। प्रबंधन, राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली इन वित्तीय विवरणियों के लिए उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करें।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (CAG) की वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन पद्धति, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के अनुपालन के संबंध में लेखांकन बदलाव से जुड़ी टिप्पणियाँ निहित हैं। वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा अवलोकन के संबंध में विधि, नियमों और विनियमों (औचित्य और नियमितता), और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि, यदि कोई हैं, के अनुपालन के लिए निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से अलग से रिपोर्ट किया जाता है।

3. हमने लेखापरीक्षा, भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों के अधीन यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना और कार्यनिष्पादन इस बारें में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए करें कि वित्तीय विवरणियां तात्विक मिथ्या कथन से मुक्त हैं। किसी लेखापरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में परीक्षण के आधार पर, सबूतों की जाँच करना और राशियों और खुलासे का समर्थन करना शामिल होता है।

   एक लेखापरीक्षा में उपयोग में लाए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे वक्तव्यों के लिए युक्तिसंगत आधार प्रदान करती है।

4. लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

   ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियां और भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

   iii) हमारी राय में, राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा उचित लेखा पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि ऐसी पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है।

   iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. सामान्य

   क.1 राष्ट्रीय महिला आयोग (रा.म.आ) ने विज्ञापन, सुरक्षा संपरीक्षा, कानूनी परामर्श, सेमिनार/कार्यशालाओं आदि के आयोजन हेतु विभिन्न संगठनों को रु.11.49 करोड़ की अग्रिम राशि का भुगतान किया। 2008-09 से 2021-22 से पहले की अवधि के लिए अग्रिम राशि रु.10.48 करोड़ का भुगतान किया गया था और शेष राशि रु.1.01करोड़ वर्ष 2022-23 से संबंधित हैं। इन अग्रिमों से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र या समायोजन बिल 31.03.2023 तक प्राप्त नहीं हुए थे। दीर्घावधि से लंबित असमायोजित अग्रिमों की समीक्षा और निपटान की आवश्यकता है।

क.2 वर्तमान देयताएं और प्रावधान (अनुसूची-7) में निम्नलिखित वर्तमान देयताएं शामिल हैं-

(1) रुपये 14.23 करोड़ जो 2019-20 से लेकर 2022-23 तक की अवधि के लिए संगठनों/संस्थानों के गैर-सरकारी संगठनों को देय राशि के रूप में लंबित है।

(2) रुपये 4.34 करोड़ की राशि जो वर्ष 2008-09 से 2019-20 तक की अवधि के लिए आकस्मिक देयताओं के रूप में लंबित

(3) वर्ष 2019-20 और 2020-21 से संबंधित रुपये 75,475 राशि के पुराने चेक

(4) वर्ष 2019-20 से संबंधित राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को भुगतान के लिए रुपये 33.06 लाख की देनदारी।

उपरोक्त देयताओं को यथाशीघ्र पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएँ।

क.3 उपहार में दी गई पुस्तकों का कोई काल्पनिक मूल्य निर्धारित कर उन्हें स्थाई आस्तियों के रूप में नहीं रखा गया, न ही इस संबंध में अनुसूची 25- खातों पर नोट्स के तहत कोई खुलासा किया गया है।

ख. सहायता अनुदान

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से वर्ष 2022-23 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग को रुपये 2999.96 लाख का अनुदान मिला। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पिछले वर्ष की सहायता अनुदान की अव्ययित शेष राशि रुपये 281.31 लाख मंत्रालय को वापस कर दी। रा.म.आ के पास रुपये 31.40 लाख की आंतरिक प्राप्तियाँ थी। रा.म.आ ने कुल राशि में से रुपये 2919.60 लाख की राशि का उपयोग किया और रुपये 23.48 लाख की अव्ययित सहायता राशि को छोड़कर, रुपये 88.27 लाख की राशि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से 31.03.2023 को स्वचालित रूप से नामें की गई।

v. पिछले पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में जिस तुलन-पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्ति और भुगतान लेखा के संबंध में कार्यवाही की गई है, वे लेखा बहियों के अनुरूप है।

vi. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और इसके साथ अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं। लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देती है:

(क) जहां तक यह 31 मार्च, 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के मामलों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबंधित है और

(ख) जहां तक यह उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता/-

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षक(CE)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

आंतरिक लेखापरीक्षा पर्याप्त नहीं है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा केवल मार्च 2015 तक रा.म.आ. की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

क) आयोग के गठन के 20 साल से अधिक समय बाद भी भर्ती नियम नहीं बनाए गए हैं।

ख) वैधानिक लेखापरीक्षा आपत्तियों पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया लेखापरीक्षा के रूप में प्रभावी नहीं थी क्योंकि 2009-10 से 2014-15 की अवधि की लेखापरीक्षा के रूप में 15 पैरा बकाया थे।

ग) 2008-09 के बाद से भारी मात्रा में बकाया अग्रिम और अनिर्धारित देनदारियां पड़ी हुई थीं।

3. संपत्ति के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

संपत्ति का वास्तविक सत्यापन 2022-23 तक किया गया है।

4. इन्वेंटरी के वास्तविक सत्यापन की प्रणाली

स्टेशनरी और अन्य उपभोग्य सामग्रियों का वास्तविक सत्यापन 2022-23 तक किया गया और पुस्तकालय पुस्तकों और प्रकाशनों का भौतिक सत्यापन 2021-22 तक किया गया।

5. देय राशि के भुगतान में नियमितता

वार्षिक खातों के अनुसार, वैधानिक बकाया के संबंध में छह महीने से अधिक का कोई भुगतान बकाया नहीं है।

निदेशक (AMG-V)

अनुलग्नक-I

आयोग की संरचना

श्रीमती रेखा शर्मा
अध्यक्ष **07.08.2018** से

श्रीमती खुशबू सुंदर
सदस्य 28.02.2023 से

सुश्री डेलिना खोंदुप
सदस्य 01.03.2023 से

श्रीमती ममता कुमारी
सदस्य 10.03.2023 से

श्रीमती मीता राजीवलोचन
सदस्य सचिव **26.10.2022** तक

अनुलग्नक-II

संगठनात्मक चार्ट

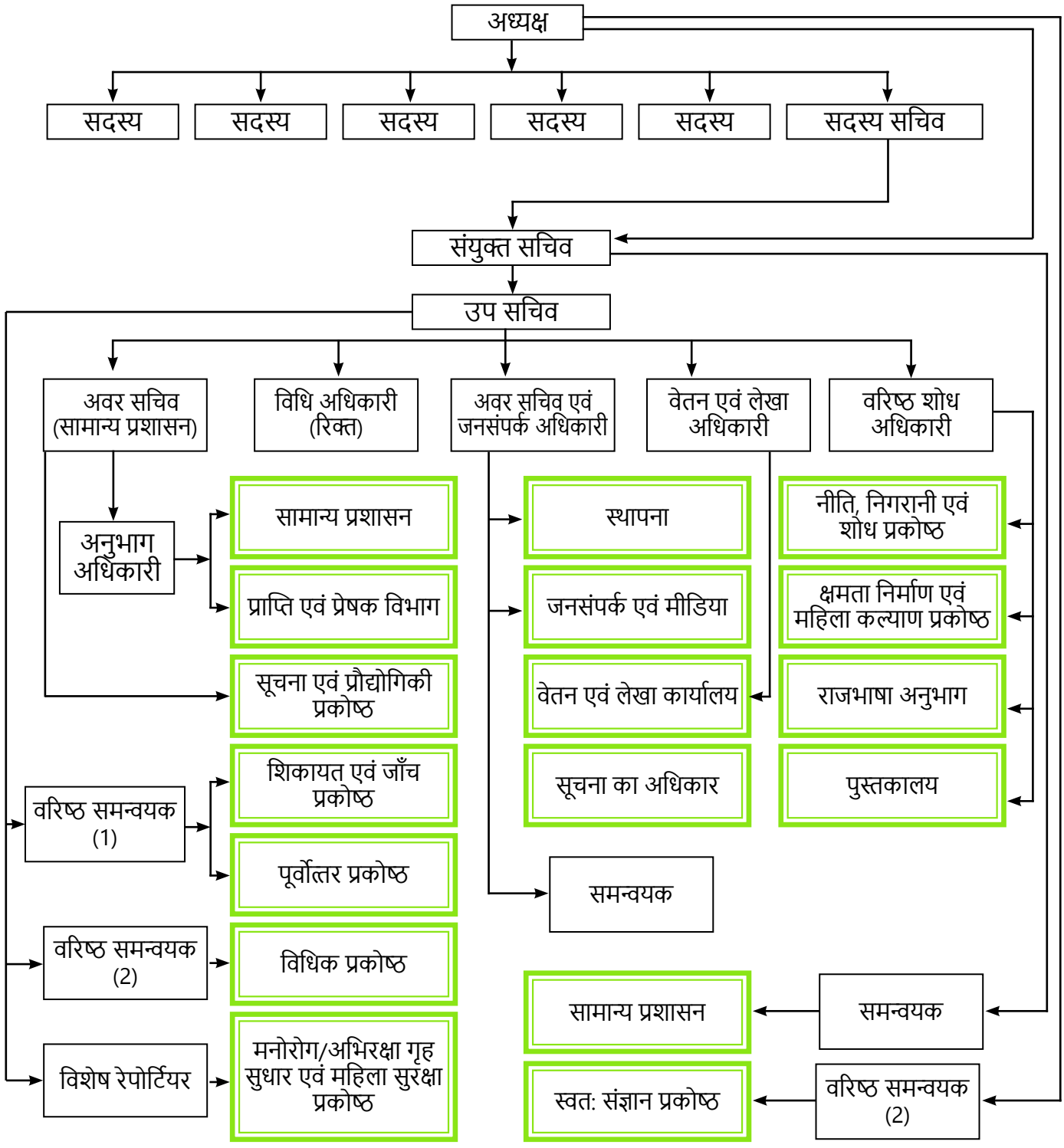

अनुलग्नक-III

2022-23 के दौरान आयोग द्वारा विचार किये गये प्रमुख निर्णय/मामले

आयोग की 230वीं बैठक 20 मार्च 2023 को आयोजित की गई

1. राष्ट्रीय महिला आयोग ने विचार-विमर्श किया और भवन में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए मैसर्स रॉयल कम्पलीट सिक्योरिटज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटड की समयवधि में 09.08.2022 से एक वर्ष की अवधि के लिए विस्तार हेतु कार्योत्तर संस्वीकृति दी।

2. आयोग ने विचार-विमर्श किया और मैसर्स को रा.म.आ के भवन में 2 लिफ्टों के व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध के विस्तार के लिए थिसेनक्रुप एलिवेटर इंडिया प्रा. लिमिटेड के 1 वर्ष (12.04.2023) की अतिरिक्त अवधि के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

3. आयोग ने विचार-विमर्श किया और मैसर्स लैबिकिप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को 12 हाउसकीपिंग स्टाफ और 1 सुपरवाइजर के लिए 1 वर्ष (01.01.2023) और मैसर्स दर्शन सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को 3 एमटीएस, 1 माली,1 लिफ्ट-ऑपरेटर,1प्लंबर प्रदान करने हेतु दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक अवधि के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

4. आयोग ने विचार-विमर्श किया और मैसर्स सीपीएस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को डाटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) आउटसोर्सिंग हेतु दो महीने अर्थात् 01.09.2022 से 31.10.2022 तक की अवधि के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

5. आयोग ने विचार-विमर्श किया और राष्ट्रीय महिला आयोग में 24 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की आउटसोर्सिंग के लिए मैसर्स आरआर एट सर्विसेज (पंजीकृत), 17/29, पहली मंजिल, कल्याणपुरी, दिल्ली-110091 को एक वर्ष (1 नवम्बर 2022 से 31 अक्टूबर 2023 तक) की अवधि के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

6. आयोग ने विचार-विमर्श किया और वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के वार्षिक लेखों को मंजूरी दी, जिसका महालेखा नियंत्रक (CAG) द्वारा पहले ही ऑडिट किया जा चुका है।

7. आयोग ने विचार-विर्मश किया और "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 " कानून की समीक्षा रिपोर्ट पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया और अ.शा.सं. 06-05/01/2021-2022 रा.म.आ(विधि) दिनांक 21.07.2022 द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित की गई।

8. आयोग ने विचार-विर्मश किया और "प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और संशोधन अधिनियम 2017" कानून की समीक्षा रिपोर्ट पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया और अ.शा.सं. 06-05/15/2021-2022- रा.म.आ(विधि) दिनांक 22.07.2022 द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित की गई।

9. आयोग ने विचार-विर्मश किया और "आपराधिक कानून की समीक्षा - महिलाओं की स्थिति में सुधार" कानून की समीक्षा रिपोर्ट पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया और अ.शा.सं.06-05/02/2021 022-रा.म.आ(विधि) दिनांक 04.03.2022 द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट कीएक प्रति अग्रेषित की गई।

10. आयोग ने विचार-विमर्श किया और वित्तीय वर्ष 2023-24 में फिजिकल मोड में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (सीबी और पीडीपी) आयोजित करने व आवश्यक

व्यवस्था करने के लिए 61 विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को रू. 59,00,150/-(रुपये उनसठ लाख एक सौ पचास मात्र) की कुल राशि की 50% की पहली किस्त जारी करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

11. आयोग ने विचार-विमर्श किया और 2021-2023 की अवधि के दौरान टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के सहयोग से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में महिलाओं के लिए "हिंसा मुक्त घर- एक महिला का अधिकार" परियोजना के 12 पायलट विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए रू. 2,41,67,166/-(रुपये दो करोड़, इकतालीस लाख, सड़सठ हजार, एक सौ छियासठ मात्र) के व्यय के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

12. आयोग ने विचार-विमर्श किया और- रुपये 2,48,28,975 (रुपये दो करोड़, अड़तालीस लाख, अट्ठाईस हजार, नौ सौ पचहत्तर मात्र) के व्यय के साथ 12 शहरों के संबंध में महिला सुरक्षा ऑडिट करने के लिए कार्योत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया।

13. आयोग ने विचार-विमर्श किया और- रुपये 34,99,333/-(रुपये चौंतीस लाख, निन्यानवे हजार तीन सौ तैंतीस मात्र) के व्यय के साथ मानव तस्करी विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

14. आयोग ने विचार-विमर्श किया और- रुपये 29,84,600/-(रुपये उनतीस लाख चौरासी हजार छह सौ मात्र) के खर्च के साथ अनिवासी भारतीय वैवाहिक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

15. आयोग ने वर्ष 2021-22 के लिए संशोधित बजट आबंटन, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय और वर्ष 2021-22 के लिए अव्ययित शेष राशि को नोट किया।

16. आयोग ने वर्ष 2022-23 के लिए बजट आबंटन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान फरवरी तक किए गए व्यय और 28 फरवरी, 2023 तक उपलब्ध अव्ययित शेष राशि को नोट किया।

17. आयोग ने आयोग की शिकायत और जाँच सेल के संबंध में मासिक रिपोर्ट (फरवरी, 2022 से फरवरी, 2023 तक) नोट की।

18. आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वत: संज्ञान सेल द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर गौर किया।

19. आयोग ने आयोग की 24X 7 हेल्पलाइन की रिपोर्ट पर गौर किया।

अनुलग्नक-IV

सेमिनार आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु चयनित प्रस्तावों की सूची (वर्ष 2022-23)

क्र.सं.	संगठन विवरण	विषय
1	एसोसिएटेड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, चंडीगढ़	दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (Daw)
2	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय विशेष शिक्षा विभाग, मुंबई	दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (Daw)
3	जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम) पोर्ट ब्लेयर	दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (Daw)
4	महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा	दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (Daw)
5	बिट्स-पिलानी हैदराबाद कैम्पस	दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (Daw)
6	केंद्रीय विश्वविद्यालय राजस्थान	दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (Daw)
7	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ	दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (Daw)
8	एनआईटी रायपुर	दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (Daw)
9	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर	दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (Daw)
10	महिला महाविद्यालय	दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (Daw)
11	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (Daw)
12	जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ऊटी	दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (Daw)
13	चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना बिहार	महिलाओं को न्याय दिलाने में फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष अदालतों की भूमिका
14	पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली	महिलाओं को न्याय दिलाने में फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष अदालतों की भूमिका
15	वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, चेन्नई	महिलाओं को न्याय दिलाने में फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष अदालतों की भूमिका
16	भारतीय प्रबंधन संस्थान काशीपुर	महिलाओं को न्याय दिलाने में फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष अदालतों की भूमिका
17	विवेकानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज दिल्ली	महिला पुलिस थाना/महिला थाना (कार्य, दक्षता एवं प्रभावशीलता)
18	ज्ञान प्रबोधिनी समशोधन संस्थान पुणे	महिला पुलिस थाना/महिला थाना (कार्य, दक्षता एवं प्रभावशीलता)
19	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा	महिला पुलिस थाना/महिला थाना (कार्य, दक्षता एवं प्रभावशीलता)

20	डॉ. बी.आर. अम्बेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत	महिला पुलिस थाना/महिला थाना (कार्य, दक्षता एवं प्रभावशीलता)
21	भारतीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान (बर्ड), गाजियाबाद	महिला पुलिस थाना/महिला थाना (कार्य, दक्षता एवं प्रभावशीलता)
22	रिजर्व इंदौर म.प्र पुलिस संगठन, इंदौर	महिला पुलिस थाना/महिला थाना (कार्य, दक्षता एवं प्रभावशीलता)
23	एक्शनएड एसोसिएशन, नई दिल्ली	महिला पुलिस थाना/महिला थाना (कार्य, दक्षता एवं प्रभावशीलता)
24	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला	महिला पुलिस थाना/महिला थाना (कार्य, दक्षता एवं प्रभावशीलता)
25	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़	खेल में महिलाएं
26	भारतीय स्त्री शक्ति मुंबई	खेल में महिलाएं
27	लोरेटो कॉलेज, कोलकाता	खेल में महिलाएं
28	कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	खेल में महिलाएं
29	सामाजिक अनुसंधान केंद्र, नई दिल्ली	खेल में महिलाएं
30	वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान	खेल में महिलाएं
31	संबलपुर विश्वविद्यालय, ओडिशा	खेल में महिलाएं
32	भारथिअर विश्वविद्यालय महिला अध्ययन विभाग	खेल में महिलाएं
33	नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची	अर्धसैनिक बलों में महिलाएं
34	राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, गांधीनगर	अर्धसैनिक बलों में महिलाएं
35	सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय,	अर्धसैनिक बलों में महिलाएं

अनुलग्नक -V

वित्तीय सहायता अनुदान हेतु चयनित प्रस्तावों की सूची
अनुसंधान अध्ययन का संचालन (वर्ष 2022-23)

क्र.सं.	संस्थान का नाम	विषय
1.	गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली	न्याय और सुरक्षा तक पहुंच में लैंगिक मुख्यधारा: महिला थानों की प्रभावकारिता और प्रभावशीलता को मापने का एक केस अध्ययन
2.	दिल्ली विश्वविद्यालय शहीद भगत सिंह कॉलेज, दिल्ली	सामाजिक न्याय की सुविधा के लिए एक कदम: हिमाचल प्रदेश में महिला पुलिस स्टेशनों (डब्ल्यूपीएस) की कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता पर एक अध्ययन
3.	अटल बिहारी वाजपेई भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर (म.प्र.)	संभावित आईटी हस्तक्षेप: मध्य प्रदेश राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर को कम करने के लिए महिला पुलिस स्टेशनों (डब्ल्यूपीएस) का प्रभाव विश्लेषण
4.	हिंदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़	लैंगिक हिंसा और महिला उत्पीड़न: छत्तीसगढ़ में महिला थाने के संबंध में एक महत्वपूर्ण अध्ययन
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु	महिला पुलिस कर्मियों का कार्य निष्पादन एवं महिला शिकायतकर्ता को प्रभावित करने वाले कारकों की खोज
6.	नालसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद तेलंगाना	तेलंगाना में महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने में महिला पुलिस प्रणालियों के कामकाज का एक प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन
7.	महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, मुंबई	महाराष्ट्र राज्य में महिला पुलिस स्टेशन में महिला पुलिस की भूमिका और कार्य का मूल्यांकन
8.	शारदा विश्वविद्यालय	उत्तर प्रदेश में सभी महिला पुलिस स्टेशनों का प्रदर्शन (कार्य, दक्षता और प्रभावशीलता)।
9.	एमिटी इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंसेज, एमिटी यूनिवर्सिटी, नोएडा, उत्तर प्रदेश	भारत में दिव्यांग महिलाओं के कानूनी विरासत अधिकार (डीएडब्ल्यू)।
10.	भारथिअर विश्वविद्यालय कोयंबटूर, तमिलनाडु	एक बायोसाइकोसोशल विश्लेषण: तमिलनाडु में कोयंबटूर जिले में लोकोमोटर विकलांगता के तहत महिलाओं की विवाह पूर्व और विवाहोत्तर सामाजिक-आर्थिक स्थितियों की तुलना
11.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर, उत्तराखंड	व्यावसायिक उच्च शिक्षा में दिव्यांग महिलाएँ: जीवित अनुभव और अधिकार-आधारित नीति परिप्रेक्ष्य

12.	दिल्ली विश्वविद्यालय, कैम्पस लॉ सेंटर	महिला सशक्तिकरण के एक उपकरण के रूप में खेल: भारत में खेलों में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली नीतियों, प्रथाओं और बाधाओं का एक अध्ययन
13.	आईआईटी मद्रास, तमिलनाडु	भारतीय महिला एथलीटों को क्या रोकता है? उनके रैंप अप के लिए एक तंत्र की खोज करना
14.	प्रबंधन अध्ययन विभाग, पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी	भारतीय खिलाड़ियों के सामने आने वाली बाधाओं और मुद्दों की पहचान करना और उनके प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए समान अवसर और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए एक नीति ढांचा विकसित करना।
15.	महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा	अर्धसैनिक बलों में महिलाएं- शामिल मुद्दे और चुनौतियाँ: सीआरपीएफ और बीएसएफ के विशेष संदर्भ में"

अनुलग्नक-VI

वित्तीय सहायता अनुदान हेतु चयनित प्रस्तावों की सूची
विशेष शोध अध्ययन (वर्ष 2022-23)

क्र.सं..	संस्थान का नाम	विषय
1.	भारतीय स्त्री शक्ति, मुंबई	भारत में महिला खेल एवं उनके लैंगिक मुद्दे
2	कलकत्ता विश्वविद्यालय	महिलाओं के लिए एक पेशे के रूप में खेल; प्रेरणा और बाधाएँ
3	कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय	हरियाणा राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
4	एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, मुंबई	"महाराष्ट्र से एक अध्ययन: युवा महिलाओं और वेब 2.0 के लिए साइबर हिंसा की व्यापकता, प्रकृति और जागरूकता"
5	पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ (माझा क्षेत्र)	पंजाब में माझा क्षेत्र का एक अध्ययन: नशेड़ियों की पत्नियों पर नशीली दवाओं की लत का सामाजिक-मनोवैज्ञानिक प्रभाव
6	पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ (DOABA क्षेत्र)	पंजाब में दोआबा क्षेत्र का एक अध्ययन: नशेड़ियों की पत्नियों पर नशीली दवाओं की लत का सामाजिक-मनोवैज्ञानिक प्रभाव
7	पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ (मालवा क्षेत्र)	पंजाब में मालवा क्षेत्र का एक अध्ययन: नशेड़ियों की पत्नियों पर नशीली दवाओं की लत का सामाजिक-मनोवैज्ञानिक प्रभाव
8	दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय	सीमित कारकों और आगे की राह का एक अध्ययन: दिल्ली एनसीआर में महिलाओं का कौशल विकास
9	गुजरात विश्वविद्यालय (अर्धसैनिक)	अर्धसैनिक बलों में महिलाएँ: उपलब्धियाँ, संभावनाएँ और चुनौतियाँ
10	गुजरात विश्वविद्यालय (एफटीसी)	गुजरात में एफटीसी के विशेष संदर्भ में महिलाओं को न्याय दिलाने में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की भूमिका
11	लक्ष्मीबाई कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय)	सामाजिक और सांस्कृतिक उद्यमिता-महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों में स्वयं सहायता समूहों और सूक्ष्म वित्त की भूमिका का अध्ययन
12	जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दिव्यांग महिलाओं के अधिकार (डीएडब्ल्यू)।

संग्रहित फोटो

31वां स्थापना दिवस

"शी इज़ ए चेंज मेकर"

under Project
(2022)

Workshop on
Gender Responsive Governance

"SHE IS A CHANGEMAKER"
"SHE IS A CHANGEMAKER"

"SHE IS A CHANGEMAKER"
16-01-2023 TO 18-01-2023
'SHE IS A CHANGE MAKER'
'SHE IS A CHANGE MAKER'

She is a Change Maker
Capacity Building Programme for Elected Women Representatives of Panchayati Raj Institutions
Venue: BAMETI, Patna
Date: 13-15 July, 2023

Three Days Training Programme on Leadership Skills and Empowerment of Women

मानव तस्करी निवारण

Meghalaya State Commission for Women & North Eastern Council
Date : 28th September, 2022
North Eastern Council Auditorium, Nongrim Hills, Shillong-793003

Seminar on
"Combating Human Trafficking in NER"
Organized by
National Commission for Women

National Commission for Women
PRELIMINARY DISCUSSION MEETING
ON
ANTI-HUMAN TRAFFICKING

Seminar on
Combating Human Trafficking in Rajasthan
Organised by
National Commission for Women
in Collaboration with
"मिशन रोशनी"

डिजिटल शक्ति

Launch of Digital Shakti 4.0
A NATIONWIDE CAMPAIGN TO DIGITALLY EMPOWERING & SKILLING
GIRLS AND WOMEN IN CYBERSPACE
Azadi Ka Amrit Mahotsav

Launch of Digital Shakti 4.0 at Vigyan Bhawan, New Delhi

महिला जन-सुनवाई

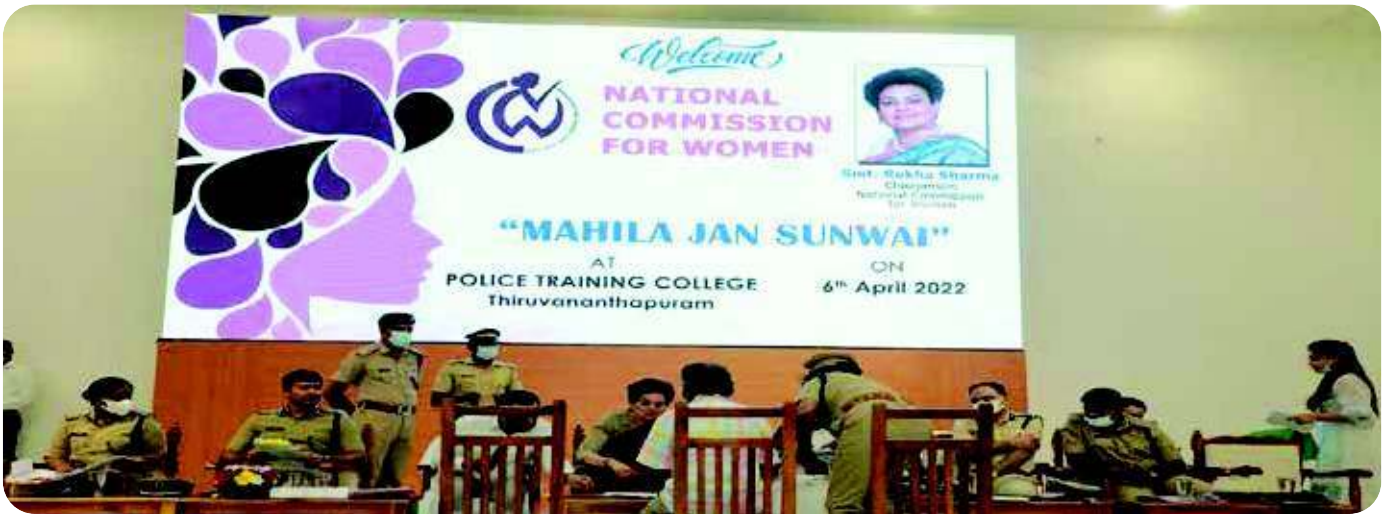
Welcome
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
"MAHILA JAN SUNWAI"
AT
POLICE TRAINING COLLEGE
Thiruvananthapuram
ON
6th April 2022

unwai

Mahila Jan Sunwai

पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक

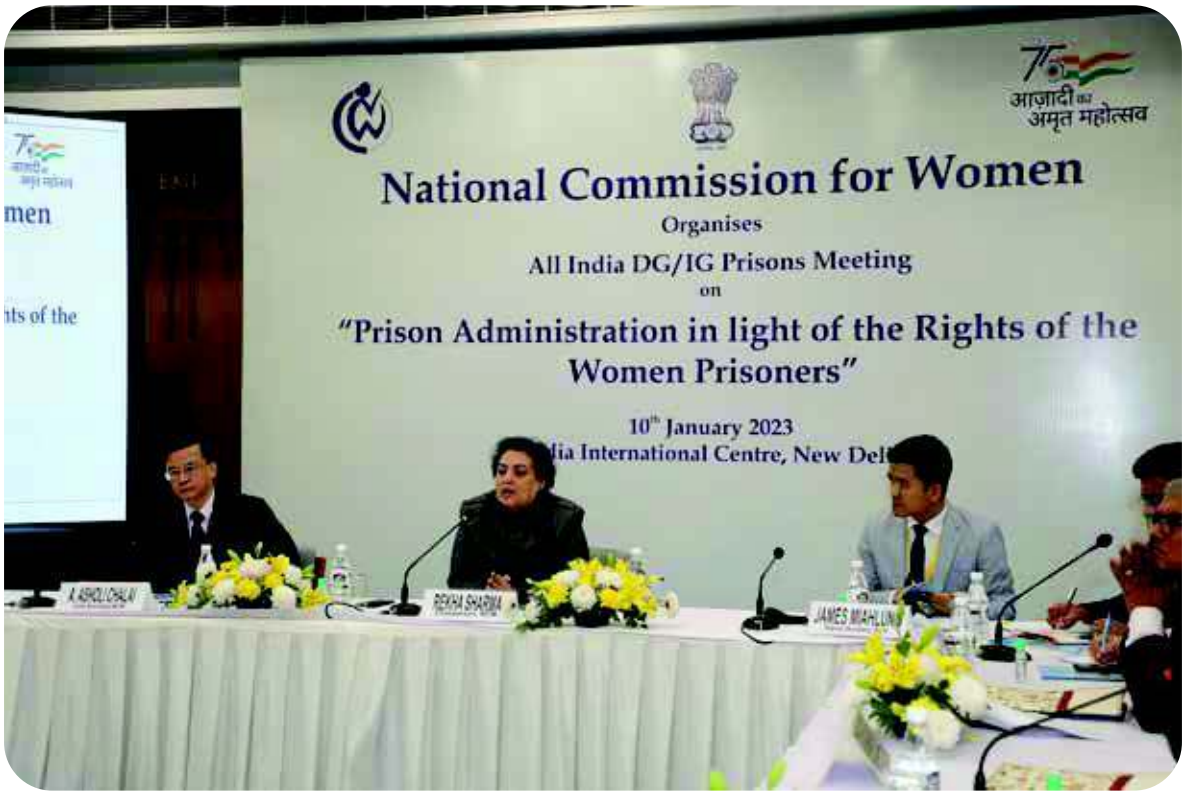

क्षमता निर्माण गतिविधियाँ

मीडिया कर्मियों का क्षमता निर्माण

डेरी फार्मिंग

परामर्श

NATIONAL COMMISSION
FOR WOMEN

National Commission for Women
Organises
Final Law Review Consultation on
"The Maternity Benefit Act, 1961
and 2017 Amendment"

National Commission for Women
Organises
Final Law Review Consultation on

राष्ट्रीय महिला आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

रा.म.आ में छात्रों का दौरा

NATIONAL COMMISSION
FOR WOMEN

NATIONAL COMMISSION
FOR WOMEN

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग
NATIONAL COMMISSION
FOR WOMEN
NATIONAL VISIT

Educational Tour

भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ ऑनलाइन कार्यक्रम

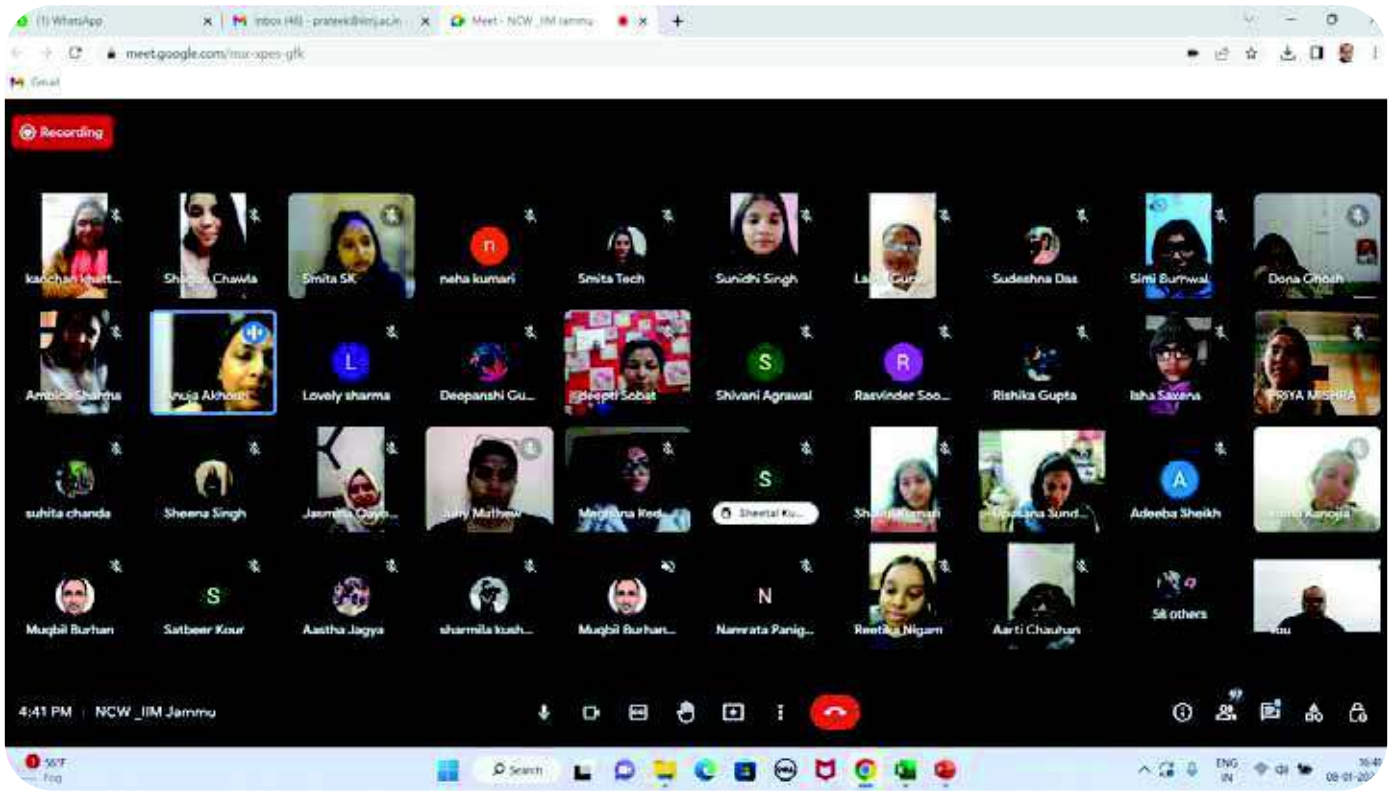

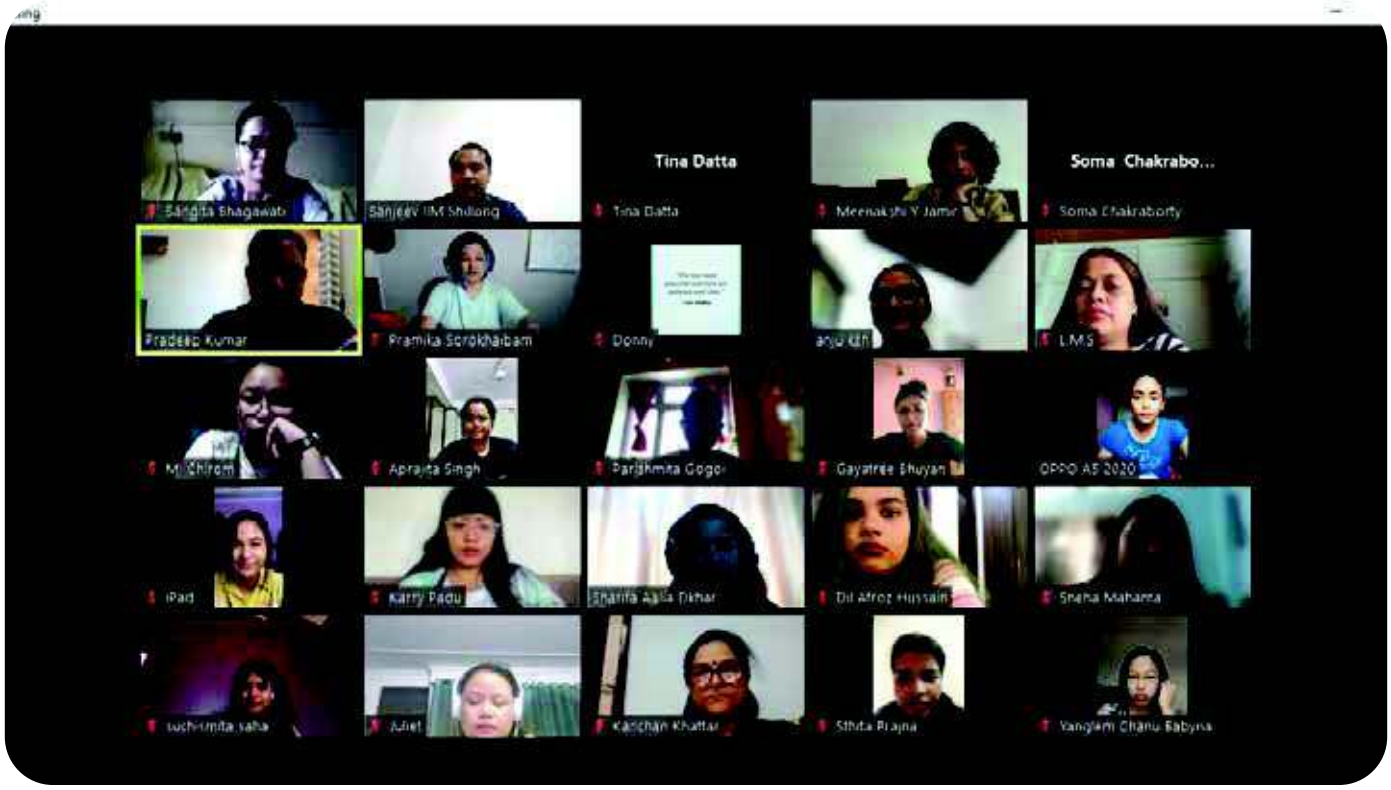

रा.म.आ कार्यालय में गतिविधियाँ

टिप्पणी

राष्ट्रीय महिला आयोग

प्लॉट न. 21, जसोला इंस्टिट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110025
http://www.ncw.nic.in